हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 फरवरी, 1989

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 22 फरवरी, 1989,

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं–उत्तर	(2)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर	(2)29
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर,	(2) 33
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(2)52
नियम 22(2) के अधीन प्रस्ताव	(2)53
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(2) 53
सरकारी संकल्प– संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 के अनुसमर्थन संबंधी	(2)54
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2) 68

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 22 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहैंबान, अब सवाल होंगे।

Purchase of Mini buses

***815 Shri Ranjit Singh:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) the total number of mini-buses purchased by the Transport Department during the year 1988-89; and

(b) whether the mini-buses as referred to in part (a) above have been proved economically viable on the routes on which these are plying ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह):

(क) 61

(ख) मिनी बसों की वित्तीय योग्यता राज्य सरकार के पास जांचने हैंतु विचाराधीन श्री रणजीत सिंह रू स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि

क्या ये बसिज गांवों के लिये इकौनोमीकली वायेबल हैं, अगर हैं तो क्या सरकार और मिनी बसिज खरीदने के बारे में सोच रही है?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, ये बसिज थोड़े तेल में ज्यादा चलती हैं। कहने का मतलब यह है कि थोड़े पैसे में ज्यादा चलती हैं, तकरीबन डेढ़ गुना ज्यादा चलती हैं। सरकार जल्दी ही 100 और मिनी बसिज खरीद रही है।

श्री भगवान सहाय रावतः स्पीकर साहब, ये जो मिनी बसिज खरीदी गयी हैं, इनकी वर्कशौप्स सभी जगहों पर नहीं हैं। जब कहीं ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं तो इनको ठीक करने के लिये काफी समय लगता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सरकार इनके ब्रेक डाउन को खत्म करने के लिये और सभी जगहों पर वर्कशौप का प्रबन्ध करने के लिये क्या कर रही है?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, अब तक तो ऐसी कोई कठिनाई हमारे सामने आयी नहीं है क्योंकि इनको चलाते हुए अभी 6– 7 महीने ही हुए हैं। जिन एजेंसियों से हमने ये बसिज खरीदी हैं, उन्होंने हमें यह लिखकर दे रखा है कि वारन्टी पीरियड में बस खराब होने की स्थिति में उनके मिस्त्री उनको ठीक करेंगे।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि किस किस कम्पनी से ये मिनी बसिज

खरीदी गयी हैं और उनकी अलग–अलग से कोटेशन्ज क्या–क्या थीं? क्या यह पहली बार नया ऐक्सपैरीमैंट किया गया है?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, पहली बार ऐसा ऐक्सपैरीमैंट किया गया है। अब तक तीन कम्पनियों से ये बसिज खरीदी गयी हैं, वे हैं. आयशर, स्वराज माजदा और डी० सी० एम० टोयटा। इन कम्पनियों से 20– 20 बसें खरीदी गयी हैं।

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या करनाल में भी ऐसी मिनी बसिज आयेगी?

श्री धर्मवीर सिंहः जरूर आयेगी। आगे जो हम 100 मिनी बसिज खरीदेंगे, उनमें से कुछ हम करनाल को जरूर देंगे।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि एक बस खरीदने में कितने पैसे लगते हैं। तीनों कम्पनियों के क्या एक जैसे रेट हैं या कुछ फर्क है?

श्री धर्मवीर सिंहः लगभग बराबर हैं।

ई० जगपाल सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, पिछले सैशन में मैंने कहा था कि अम्बाला जिले का छछरौली और नारायणगढ़ वगैरा का एरिया सब–मांउटेनियस है। वहां पर मिनी बसिज ज्यादा कामयाब हैं क्योंकि इनके लिए वहां पर नाले वगैरा क्रौस करना इजी हैं। उस वक्त यह अश्योरैंस दिया गया था कि हमें मिनी

बसिज जरूर दी जायेंगी। अभी तक वहां ये बसिज आयी नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक बसिज आ जायेंगी?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, पहले 60 बसिज इसलिये खरीदी गयी थीं ताकि इन बसिज के बारे में देखा जा सके कि ये कामयाब हैं या नहीं। जैसे कि मैंने बताया है कि हम जल्दी ही 100 बसिज और खरीदने वाले हैं, उनमें से नारायणगढ़ एरिया को भी ये बसिज दी जायेंगी।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इन मिनी बसिज की रूट अलाटमैंट का क्या क्राइटेरिया है और ये अब तक कितने डिपोज में दी जा चुकी हैं?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, ये बसिज 6 डिपोज में दी गयी हैं। सोनीपत डिपो में भी 10 बसिज दी जा चुकी हैं।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, पिछले दिनों एक हाई पावर्ड कमेटी मिनी बसिज के रेट्स तय करने के लिये बनाई गयी थी क्योंकि 25 नयी बसिज खरीदनी थीं। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नए रेट में और पुराने रेट में क्या फर्क है?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, दोबारा बसिज खरीदी नहीं गयी हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ये मिनी बसिज माजदा वगैरा कम्पनियों से ऐक्सपैरीमैट करने के लिये क्यों खरीदी गयीं जबकि पुरानी बसिज जो आन रोड थीं और उनके स्पेयर पार्टस वगैरा भी अवेलेबल थे अच्छी चल रही थीं। इनके स्पेयर पार्ट्स मिलने में निश्चित रूप से कठिनाई आयेगी?

श्री धर्मवीर सिंह: स्पीकर साहब, पहले लेलैडं और टाटा की बड़ी बसिज होती थीं, छोटी बसिज नहीं थीं। छोटी बसिज इसलिये चलायी गयीं क्योंकि रुटस छोटे हैं और लिंक रोड्ज पर छोटे रूट्स होने की वजह से सवारियां भी थोड़ी मिलती हैं।

Haryana Roadways Sub-depot Kurukshetra

***667. Shri Rattan Lal Kataria:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to up-grade the Haryana Roadways Sub-depot Kurukshetra into a full fledged depot; if so, the time by which the said proposal is likely to materialise ?

Minister of State for Transport (Shri Dharam Bir Singh)**:** Yes, but it is not possible to indicate the time by which the proposal is likely to materialise.

श्री रत्न लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक स्थान है और केवल हिन्दुस्तान के ही लोग नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों का आवागमन कुरुक्षेव में होता रहता है।

मन्त्री जी ने सवाल का जवाब 'जी हां' में दिया है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हू लेकिन साथ ही यह कहा है कि समय निश्चित करना सम्भव नहीं है। अगर मंत्री महोदय निश्चित समय नहीं बता सकते तो क्या लगभग समय ही बताने की कृपा करेंगे?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, नैक्सट ईयर हम बहुत जल्दी ही कुरुक्षेत्र के डिपो को अपग्रेड कर देंगे।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर यूनिवर्सिटी भी है और लोकल बसें भी चलती हैं तथा शहर भी काफी बड़ा है फिर वहां पर डिपो क्यों नहीं बनाया गया है? इन्होंने फतेहाबाद में डिपो बना दिया है। मैं यह नहीं कहता कि फतेहाबाद में क्यों बनाया गया है लेकिन क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि डिपो बनाने के लिए किस बात को प्रैफरैन्स दिया जाता है ?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र में कैथल एक बहुत बड़ा शहर है वहां डिपो बनाया गया था। जैसा कि मैंने कहा है कुरुक्षेत्र को भी बहुत जल्दी ही डिपो बना दिया जाएगा।

ई० जगपाल सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नारायणगढ़ में जहां रेलवे लाइन भी नहीं है, वहां पर डिपो कब तक बना दिया जायेगा?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, जब जरूरत होगी वहां डिपो बना दिया जाएगा।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि डिपो बनाने का क्या क्राईटेरिया है और पानीपत को डिपो क्यों नहीं बनाया गया है?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, पानीपत के नजदीक करनाल और सोनीपत पड़ते हैं और उनको पहले ही डिपो बनाया हुआ है।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, सिरसा पहले ही डिपो था और इन्होंने फतेहाबाद क्रो भी डिपो बना दिया। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि डिपो बनाने का क्या क्राईटेनिया हैं?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, फतेहाबाद में डिपो बनाना जरूरी था क्योंकि इनके टोहाना का एरिया उसके साथ लगता है। (हंसी)

Sarkaria Commission Report

***674. Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the State Government has received a copy of the Sarkaria Commission Report from the Government of India ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh)**:** Yes Sir.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट की कापी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः यह है जी। (हंसी)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस रिपोर्ट के सेलियैन्ट फीचर्ज क्या हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह रिपोर्ट दो वौल्यूम्ज में है। एक में 577 पेज हैं और दूसरे में 874 पेज है। स्पीकर साहब, जब सरकारिया कमीशन मुकरर्र हुआ था तो बहुत सारी चीजें उनके सामने थीं जैसे सैन्टर स्टेट रिलेशंज। इसके बारे में और दूसरी बहुत सी बातों पर सरकारिया कमीशन ने रिपोर्ट में अपनी सिफारिशात की हैं जिसमें लैजिस्लेटिव रिलेशंज भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंज भी हैं, फाइनैशियल रिलेशज भी हैं। गवर्नर साहब का क्या रोल होना चाहिए यह भी है। इस बारे में हमारे औफिसर्ज ने जो कमैन्टस दिए हैं वे हमने सैन्ट्रल गवर्नमैंट को भेज दिए हैं लेकिन डा० साहब, मैं इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ पाया हूं। अगले सैशन तक आप और मैं दोनों मिलकर पढ़ लेंगे।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरी पढ्ने की जिम्मेदारी नहीं है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि औफिसर्ज ने रिपोर्ट पर जो कमैन्टस दिए हैं, वे कमैन्टस क्या हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जैसे ऐडमिनिस्ट्रेटिव और लैजिस्लेटिव रिलेशज की बातें हैं, उनको हमने एन्डोर्स कर दिया है। जहां तक रोल औफ गवर्नर की बात है उसको भी हमने ऐन्डोर्स किया है। परन्तु एक बात कही है कि गवर्नर की जो अप्वायंटमैंट हो वह मुख्य मन्त्री की सिफारिश पर हो। जो तीन नाम का पैनल हो उसमें से एक की अप्वायंटमैंट की जाए। हमने यह भी कहा है कि जो भी गवर्नर अप्वायंट किया जाए वह केन्द्र में जिस पार्टी का शासन हो उसका इलैक्शन में हारा हुआ आदमी न हो। इस तरह से अलग अलग कमैन्टस हमने दिए है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, क्या मुख्य मन्त्री महोदय या संसदीय कार्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति के समय क्या सरकारिया कमीशन की गाइडलाईज को मद्देनजर रखा गया था?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, नहीं रखा गया था।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, क्या संसदीय कार्य मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि गर्वनर की अप्यायंटमैंट के वक्त जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को बाई पास किया गया है उसके लिये केन्द्र सरकार से कोई प्रोटैस्ट किया गया हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डाक्टर साहब, नवम्बर–दिसम्बर में इकट्ठा ही कर देंगे। (हंसी)।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जोकि केन्द्र सरकार से सम्बन्धित हैं और केन्द्र सरकार ने गवर्नर की नियुक्ति के मामले में हमारे साथ ज्यादती की है। क्या कोई ऐसा मुद्दा भी है जोकि केन्द्र की मदद के बिना प्रदेश से सम्बन्ध रखता हो, अगर है तो उस को कब तक लागू करने का प्रबन्ध किया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह सरकारिया कमीशन सैन्टर स्टेट्स रिलेशज के बारे में नियुक्त किया गया था। यह अकेले स्टेट के मामले की बात नही है। सैन्टर–स्टेट के आपस में क्या रिलेशंज होने चाहियें इसके लिये यह कमीशन नियुक्त किया गया था।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में जो फायनैंशियल आस्पैक्ट्स थे, उनको स्टडी किया गया है। मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि वे क्या सिफारिशें शै?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि मैंने वह रिपोर्ट अभी पढ़ी नहीं है। मैं और डाक्टर साहब मिल कर पढ़ लेंगे।

Shri. Mangal Sein : Sir, it is a very serious matter. कि इन्होंने अभी तक इस रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इनके पास पूरा स्टाफ था। उस रिपोर्ट को स्टडी करके

ऐग्जामिन करवा सकते थे। उस रिपोर्ट पर अपने कमैन्टस भेज सकते थे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि हमने फायनैशियल, लैजिस्तेटिव व ऐडमिनिस्ट्रेटिव आस्पैक्ट्स पर अपने कमैन्टस भेजे हैं लेकिन अगर डाक्टर साहब, इसके लिये विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे समय दे दें मैं उनकी अच्छी तरह से तसल्ली करवा का।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, तो फिर मैं रूल 84 के तहत डिस्कशन डिमांड कर लेता हूं।

श्री अध्यक्षः जब नोटिस आएगा तो देख लेंगे।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी फरमाया कि हमने सरकारिया कमीशन के सम्बन्ध में अपने कमैन्ट्स केन्द्र सरकार को या राष्ट्रपति को भेजे हैं कि गवर्नर महोदय की नियुक्ति मुख्य मन्त्री महोदय जी की सलाह से की जाए। गवर्नर महोदय का पद ऐसा होता है कि वह किसी पार्टी विशेष के साथ सम्बद्ध नहीं होता। वह सभी पार्टीज को ही निस्वार्थ भावना से देखता है। अगर केवल मुख्य मन्त्री महोदय की सलाह से गवर्नर महोदय को नियुक्त किया जाएगा तो दूसरी पार्टीज के लिये उसकी सहानुभूति ही खत्म हो जाएगी और वह केवल मुख्यमन्त्री के साथ ही सहानुभूति रखेगा। इसलिये ऐसा नहीं

होना चाहिये। केन्द्र सरकार को ही इस तरह का पूर्ण अधिकार होना चाहिये कि वह खुद ही इस बात का निर्णय ले। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह जी ने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की है कि मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए तीन नामों के पैनल में से गवर्नर नियुक्त किया जाए। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर ऐसा किया गया तो दूसरी पार्टीज के लिये गवर्नर महोदय की सहानुभूति ही खत्म हो जाएगी। क्या चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह जी की राय मे आज तक जितने भी गवर्नर मुकर्रर हुए है वे किसी एक पार्टी विशेष की ख्वाइश या चायस के मुताबिक नहीं हुए हैं? इस तरह की जो ये बातें यहां हाउस मे कह रहैं हैं ये तो गवर्नर महोदय के औफिस पर एक तरह से ऐसपर्शन है। ऐसा इन्हैं नहीं कहना चाहिये। इनको यह भी पता होना चाहिये कि पोलिटिकल पार्टीज के लोगों में से ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसलिये यह एक सही कदम होगा यदि मुख्य मन्त्री द्वारा भेजे तीन नामों के पैनल में से ही, उनकी सिफारिश पर ही, गवर्नर महोदय की नियुक्ति की जाए।

Incident of misbehaviour with Girl Students

***675. @Shri Surinder Kumar Madan and Pandit Vasu Dev Sharma and Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) whether it has come to the notice of the Government that any incident of misbehaviour with the girl students took place in the premises of Kurukshetra University

on 31st October, 1988; and

(b) if so, the details thereof togetherwith the action taken in the matter ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) हां।

(ख) घटना के तथ्य इस प्रकार है कि विश्वविद्यालय अधिकारियों ने बहुत से व्यक्तियों जिनमें विश्वविद्यालय के छात्र व छात्रायें भी शामिल थीं, को रूस के कलाकारों द्वारा दिनांक 31–10–88 को सायं 6.00 बजे से 7.20 बजे तक प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने हैंतु आमन्त्रित किया था। कार्यक्रम के दौरान कानून व व्यवस्था को बनाए रखने के लिये पर्याप्त माता में पुलिस नियुक्त की गई थी। कार्यक्रम से पहले या बाद में सभा मण्डल में कुछ भी घटित नहीं हुआ। कार्यक्रम की समाप्ति पर जब छात्राएं पैदल अपने छात्रावास की ओर वापिस जा रही थीं और कला संकाय के समीप पहुंची तो कुछ शरारती छाल ''सांप'' ''सांप'' कह कर चिल्लाए। 14715 छात्राओं का एक समूह दौड़ पड़ा और शरारती छात्र भी उनके पीछे छात्रावास की ओर दौड़ पड़े और छात्राओं के साथ हाथापाई तथा छेडछाड की। न तो छात्राओं ने और न ही विश्वविद्यालय अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर भी स्थानीय पुलिस ने छात्राओ द्वारा बांटे गये पैम्फलेट के आधार पर मुकद्दमा नं० 383 दिनांक 4– 11–88 धाराधीन 354 भा० द० स० थाना थानेसर दर्ज

किया। इस अभियोग में संलिप्त 4 दोषियों को गिरफतार किया जा चुका है। अभियोग अनुसंधानाधीन है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं और मेरे आदरणीय साथी श्री गुरदयाल सिंह सैनी वहां के वाइस चांसलर को मिले तो वे हमें बोलते हैं कि तुमने यह रिपोर्ट दर्ज करवाई है हमने उनको कहा कि आप हमें शरारत करने वाले लड़की के नाम दो।

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछिए।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस दिन यह घटना हुई उसके अगले दिन आदरणीय गृह मन्त्री हरियाणा दिवस के फंक्शन पर वहां गए थे लेकिन फिर भी इस घटना को कंडैम नहीं किया गया, क्या यह सच्चाई है?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बताया है कि 31 तारीख की रात को यह घटना यूनिवर्सिटी कैम्पस में हुई। वहां पर वी० सी० ने, रजिस्ट्रार ने, गर्ल्ज स्टुडैंटस ने या अन्य किसी ने पुलिस को इस बारे में कोई इनफर्मेशन

नहीं दी और न कोई कम्पलेंट की। मैं और राज्य सभा के मैम्बर श्री चौटाला जी एक तारीख को वहां गए थे। उस दिन रात के समय तक इस बारे में हमें किसी ने कोई कम्पलेंट नही

दी। जब परचे बांटे गए तो उन्हीं के आधार पर केस दर्ज किया गया और संबंधित लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात ठीक है कि जब मन्त्री महोदय वहां पहुंचे तो वी० सी० ने और यूनिवर्सिटी अथौरिटीज ने किसी लड़के या लड़की को इनसे मिलने नहीं दिया? इससे यह साफ जाहिर होता है कि यूनिवर्सिटी अथौरिटीज ने इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया। क्या सरकार वहां के वाइस चांसलर के खिलाफ कोई कदम उठाने जा रही है ताकि आगे से इस तरह की घटना न हो?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जहां तक मुझे न मिलने देने की बात है यह सरासर गल्त है। उस फंक्शन में तकरीबन एक हजार शहरी लोग शामिल थे, किसी ने इस बारे में कोई कम्पलेंट नहीं की थी। जहां तक वी० सी० का मामला है उसके बारे में चांसलर जानें।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने कहा कि किसी ने कोई कम्पलेट दर्ज नहीं करवाई। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार ने जो विधान सभा के तीन सदस्यों की कमेटी बनाई थी उसने अपनी क्या रिपोर्ट दी है?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं कह रहा हूं कि जो इस्तहार बांटे गए थे उनको आधार मान कर बाकायदा केस दर्ज किया गया और गिरफ्तारियां भी की गई।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, बड़ी लज्जा की बात है कि हरियाणा में जो यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है वहां बेटियां के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां सरकार की सी० आई० डी० नही थी क्योंकि वहां पर फोरन डिगनिट्रीज आए हुए थे?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, हम सिक्योरिटी तो हर वक्त तैयार रखते हैं लेकिन सी० आई० डी० को हर संस्था में भेजने की हमारी परम्परा नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, विधान सभा के तीन मैम्बरों की जो रिपोर्ट है क्या उसे यहां पर लेड डाउन करेंगे या अगर किसी नागरिक समिति या अन्य समिति की रिपोर्ट हो उसे हाउस में रखेगें?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, यह केस अंडर इनवैस्टीगेशन है। कोर्ट में केस गया हुआ है और सारी कार्यवाही हो रही है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस तीन मैम्बरी कमेटी की रिपोर्ट क्या है। इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वह फंक्शन यूयिवर्सिटी अथौरिटीज ने करवाया था या डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया भा?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, वह फंक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट नवम्बर का प्रोग्राम था। इस बारे में चा हैं तीन मैम्बरी कमेटी की रिपोर्ट थी और चाहैं सिटिजन कौंसिल की रिपोर्ट थी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इनवैस्टीगेशन की जा रही हैं।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्की जी से जानना चाहता हूं कि इस मामले में जो चार आदमी दोषी गिरफ्तार किए गए हैं क्या वे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं या बाहर के हैं और उनके नाम क्या हैं?

प्रो० सम्पत सिहः स्पीकर साहब, वे चार आदमी यूनिवर्सिटी के हैं या बाहर के हैं इस बारे में मेरे पास इस समय पूरी इनफर्मेशन नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को उनके नाम बता देता हूं। उन चारों के नाम हैं बलराम वल्द चन्द्र सिंह, शमशेर सिंह वल्द बनारसी दास, भगवान सिंह वल्द भीम सिंह और सतप्रकाश वल्द फूल सिंह।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, में अर्ज करना चाहता हूं कि जब भी किसी कल्चरल प्रोग्राम में लड़कियों को ले जाया जाता है तो उनके लिए बस प्रोवाइड की जाती है और उनको बस से ही वापिस उनके स्थान पर छोड़ा जाता है लेकिन जिस दिन यूनिवर्सिटी का वह प्रोग्राम था उस दिन उन लड़कियों को बस प्रोवाइड नहीं की गई जिसके कारण उनके साथ यह घटना घटी।

इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इस मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। सरकार ने लड़कियों की तरफ से जो कुछ छपा था उसके आधार पर ही रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस मामले में यूनिवर्सिटी की तरफ से रिपोर्ट दर्ज न करवाना क्या नियमों की अव्हैंलना नहीं हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक किसी कल्चरल प्रोग्राम में लड़कियों के लिए बस प्रोवाइड करने की बात है वह ठीक है। लड़कियों के लिए बस जरूर प्रोवाइड की जाती हैं लेकिन उस दिन यूनिवर्सिटी की तरफ से लड़कियों के लिए बस प्रोवाइड नहीं करवाई गई जिसके कारण उन लड़कियों के साथ यह घटना घटी। यह यूनिवर्सिटी की तरफ से कमी है।

श्री योगेश चन्द शर्माः स्पीकर साहब, आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास उस मामले की एफ० आई० आर० की कापी है, अगर है तो इससे साफ जाहिर होता है कि वे यूनिवर्सिटी के स्टुडैट्स थे।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, एफ० आई० आर० की कापी तो मेरे पास है लेकिन इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि वे किस गांव के रहने वाले हैं, किस कालेज में पढ़ते हैं और किस क्लास के हैं। उनके चारों के नाम मैंने पहले ही बता दिए हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यूनिवर्सिटी अथौरिटीज ने

यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडैटं के खिलाफ कोई कार्यवाही की है, अगर नहीं की तो यूनिवर्सिटी की इस लापरवाही के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, यह यूनिवर्सिटी का मामला था और यूनिवर्सिटी एक अटोनोमस वौडी है लेकिन वहां पर जो क्रिमिनल केस था वह बाकायदा दर्ज किया गया और उस पर कार्यवाही की है।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, उस मामले की इनवैस्टीगेशन करने के लिए यूनिवर्सिटी अथौरिटीज ने एक कमेटी मुकर्रर की थी और उस कमेटी को यह कहा गया था कि आप इतने दिन में अपनी रिपोर्ट दे दें लेकिन उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। जानबूझ कर मामले को लिगर आन किया जा जा रहा है। सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इस बारे में यूनिवर्सिटी ने कोई कमेटी मुकर्रर की थी इसका मुझे पता नहीं है लेकिन इस मामले की छानबीन करने के लिए एक रिटायर्ड जज नियुक्त किया गया था जिसको यूनिवर्सिटी ने नहीं माना।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इनको सिटीजन कौंसिल की रिपोर्ट मिली है, अगर मिली है तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इस मामले के बारे में हमें जो भो रिपोर्ट स मिली हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ही कार्यवाही की जा रही है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, जब किसी आदमी को दोषी समझा जाता है तो उसके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज होती है और उसमें उसका निवास स्थान लिखा जाता है, क्या काम करता है यह भी लिखा जाता है। वह पढ़ता है या कोई अपना धंधा करता है यह भी लिखा जाता है। क्या मन्त्री जी के पास उनका पूरा ब्यौरा नही है?

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, यह जरूरी नहीं है कि एफ० आई० आर० में सारे फैक्टस हों।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, फैक्टस तो जरूरी हैं आप तो वकील हैं।

श्री अध्यक्षः इसीलिए तो कहता हूं कि जरूरी नहीं हैं।

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल): ये वकील हैं आपकी तरह डाक्टर नहीं हैं।

श्री मंगल सैनः मैं पहले डाक्टर था, अब वकील बनने जा रहा हूं। नें अब फुरसत में हूं इसलिए वकील बनने जा रहा हूं। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि

इस मामले में जो आदमी गिरफ्तार किए गए क्या वे विद्यार्थी हैं या वे बाहर के एलीमैंट थे?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, डाक्टर साहब की बात वाजिब है। पुलिस की अपनी इन्फर्मेशन थी कि कुछ लोग बाहर से आते हैं और वे यूनिवर्सिटी में अमन को खराब करने की कोशिश करते हैं। वहां के लोकल एस० पो० ने यूनि– वर्सिटी को लिखा कि हमें इस काम के लिए आपके वार्डन का सहयोग चाहिए ताकि अनवाटिड एलीमैंट को पकड़ा जा सके और उनको गिरफ्तार किया जा सके, वहां से निकाला जा सके। बाद में वहां से छापे के दौरान दो स्टुडैंट्स ऐसे पकड़े गए जिनकी यूनिवर्सिटी में एन्ट्री बन्द थी। पुलिस ने उनको पकड़ा और उन्हैं गिरफ्तार किया। जहां तक यूनिवर्सिटी में ला एण्ड आर्डर की बात है अब वहां पर बाफायदा अमन–चौन है! भविष्य में ऐसी कोई घटना वहां पर न घटे इसलिए अब यहां दो पुलिस पोस्ट भी लगा दी गई हैं।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया हैं कि यह घटना 31 अक्तूबर, 1988 को हुई और मुकदमा 4– 11–88 को दर्ज हुआ। इन 4 दिनों के बीच में क्या हुआ, क्या यह घटना सरकार के नोटिस में नहीं आई जबकि सरकार की अपनी सी० आई० डी० भी है। जब समाचार पत्रों में। इस बात का जिक्र आया तो कहीं जा कर सरकार ने इस पर कुछ कार्यवाही की क्या हम यह समझें कि 4 दिन के बाद जो केस दर्ज हुआ वह आफटर थौट हुआ। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी

सैंसेटिव प्लेसिज पर भविष्य में कोई घटना न हो और अगर हो जाये तो तुरन्त उस पर कार्यवाही की जा सके, इसके लिए सरकार की क्या योजना है?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बताया है कि न तो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से इस घटना के बारे कोई सूचना मिली और न ही स्टुडैंट्स ने इस घटना के बारे में हमें कोई दरख्वास्त आदि दी। फिर भी जब सरकार के नोटिस में यह बात आई तो सरकार ने तुरन्त ही इस पर ऐक्शन लिया। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो हमारे वजीर हैं इनसे कोई भी आदमी या स्टुडैंट्स वगैरा कभी भी मिल सकते हैं। किसी को भी किसी वजीर से मिलने की पाबन्दी नहीं है। कहीं पर कोई ऐसी बात हो जाए तो कोई भी आदमी किसी वक्त किसी भी मन्त्री के नोटिस में ला सकता है। किसी पर कोई पाबन्दी नही है। हमारी सरकार अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है। अब वहां पर शान्ति व्यवस्था कायम है। भविष्य में फिर कोई ऐसी घटना वहां पर न हो सके इसलिए हमने वहां पर स्थिति को वाच करने के लिये दो पुलिस पोस्ट बना दी हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि न केवल वहां पर यूनिवर्सिटी के अन्दर ही स्थिति को कन्ट्रोल में रखने के लिए पग उठाए गए हैं बल्कि तमाम प्रदेश की सैसेटिव प्लेसिज पर निगरानी रखी जा रही है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी बताएंगे कि क्या यह बात ठीक नही है कि जिस यूनिवर्सिटी के बारे में ये

कह रहैं हैं कि अब वहां पर स्थिति शान्तिपूर्वक है, बिल्कुल उल्ट कह रहैं है। यह स्थिति इसलिए तो नही है कि वहां पर कुछ लोगों ने दहशत फैला रखी है जिसकी वजह से कोई भी लड़का, महिला या और कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नही करवा सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से गुण्डा ऐलिमैट को शह दी जा रही हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, वहां पर दहशत वाली कोई बात नही है। यह बात तो ठीक है कि हम यूनिवर्सिटी के कामकाज में अधिक दखल नहीं देते। मैं इन्हैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में चाहैं कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई और अथौरिटी हो किसी को भी दहशत फैलाने की इजाजत नही दी जाती।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि कुछ लड़कियों ने इस वारदात के संबंध में दो लड़कों के नाम भी बताए थे लेकिन बाद में उन लडिकयो को धमकी दी गई। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लड़कियों ने जिन लड–कों के नाम बताए थे क्या उनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज करके कोई कार्यवाही की गई हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैं बता चुका हूं कि केस रजिस्टर्ड हो चुका है, चार लोग पकड़े जा चुके हैं और कोर्ट

में चालान पेश होने वाला है। इस संबंध में मैंने सारी बातें खुल कर बता दी है। अब अगर मेरे साथी इस स्थिति से कोई पोलिटिकल आउटपुट लेना चाहैं तो वह नहीं ले सकते क्योंकि इस समय सारी स्थिति सरकार के कन्ट्रोल में है।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, यह मैटर सब–जुडिस है इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कशन नही होनी चाहिए।

Mr. Speaker: Next question.

तारांकित प्रश्न संख्या 678

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योंकि माननीव सदस्य, श्री पी० के० चौधरी, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Water Works/Sewerage system in Gohana

***680. Chaudhri Kishan Singh Sangwan:** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to lay the Sewerage System in Gohana City; if so, the time by which the afore-said scheme is likely to be implemented ;

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to construct water works at following villages of the Gohana sub-division:-

(i) Shamri

(ii) Gamri

(iii) Rookhi

(iv) Rabra

(v) Anavali

(vi) Kenhi

(vii) Guhna

(viii) Joli

(ix) Lath

(x) Bali

(xi) Kailana Khas

(xii) Wazirpura-Hassangarh

(xiii) Jasrana; and

(xiv) Nuran Khera ;

(c) if so, the time by which the construction of water works as referred to above are likely to be started/completed ;

(d) whether there is also any scheme under consideration of the Government to supply drinking water through tube-wells in Gari, Ujalekhan and Gari Sarai Namdar Khan;

(e) whether there is also any proposal under consideration of the Government to install two more tubewells

for the supply of drinking water in Gohana City; and

(f) if so, the time by which the scheme/proposal as referred to in parts (d) & (e) are likely to be materialized ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा):

(क) जी हां। योजना का कार्यान्वित करना नगरपालिका द्वारा धन राशि उपलब्ध करने पर निर्भर है।

(ख) जी हां।

(ग) भाग ''ख'' में दिये गये विभिन्न ग्रामों के जलघरों के कार्यों को आरम्भ करने तथा पूर्ण करने सम्बन्धी अनुमानित कार्यक्रम विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

क्रमांक	जलघर का नाम	कार्य आरम्भ होने की संभावित तिथि	पूर्ण होने की खंभा– वित तिथि
1	2	3	4
1.	शामडी	पहले ही चालू है	1989–90
2.	गामडी	पहले ही चालू है	1989– 90
3.	रुखी	पहले ही चालू है	1989–90

4.	राबडा	पहले ही चालू है	1990–91
5.	अनावली	पहले ही चालू है	1989– 90
6.	कान्ही	पहले ही चालू है	1990–91
7.	गुहना	पहले ही चालू है	1989– 90
8.	जोली	1989–90	1990– 91
9.	लाठ	1989– 90	1990– 91
10.	बली	पहले ही चालू है	1989–90
11.	कैलाना खास	1989–90	1990–91
12.	वजीरपुरा हसनगढ़	1989–90	1990–91
13.	जसराना	1989–90	1990–91
14.	नूरां खेड़ा	पहले ही चालू है	1989–90

(घ) जी हां।

(ड) जी हां।

(च) (घ) गढ़ी उजाले खा तथा गढ़ी सराये नामदर खां के लिये नलकूप मार्च, 1990 तक लगाये जाने की संभावना है तथा

(ड) गोहाना नगर मे नलकूपों को दिसम्बर 1989 तक सम्पन्न करने की सभावना है।

10.00 बजे।

चौधरी किशन सिंह सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जो स्कीमें पहले से चल रही है और कई सालों से चल रही हैं उनके कम्पलीट होने का समय क्या था और यह डिले क्यों हो रही हैं?

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने हर गाव के बारे मे जो जानकारी मांगी है, प्रत्येक गांव के सामने हमने लिखा है कि कब से काम चल रहा है और कब तक इसके पूरा होने की संभावना है।

Upgradation of Middle Schools at Kabri and Nimbri

***681. Chaudhri Satbir Singh Kadian:** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Middle Schools to High Schools at Kabri and Nimbri in Tehsil Panipat; if so, the time by which these are likely to be upgraded ?

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): नही जी।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या करनाल जिले में कोई दूसरा स्कूल अपग्रेड किया गया है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, मैं पहले सभी माननीय सदस्यों को यह बता द् कि कन्या स्कूलों को अपग्रेड करने के अलावा कोई अन्य स्कूल इस वर्ष अपग्रेड नही किया गया है। यदि आप मुझे दो मिनट का समय दें तो मैं सरकार की अपग्रेडेशन के सम्बन्ध में नीति बता द्। सरकार ने शिक्षा के लिए नीतिगत निर्णय यह लिया है कि इस समय केवल कन्या स्कूलों को ही अपग्रेड किया जाए। सरकार ने यह फैसला लिया था कि 1985–90 की पंचवर्षीय योजना में 500 प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में और 100 मिडल स्कूलों को हाई स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा।

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि इस ऐकेडैमिक ईयर के अन्तर्गत लड़के और लड़कियों के कितने प्राईमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में और कितने मिडल स्कूलों को हाई स्कूलों में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, इस ऐकेडैमिक सैशन में 5 ं प्राईमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में और 25 मिडल स्कूलों

को हाई स्कूलों में अपग्रेड करने का हमारा प्रस्ताव है। ये सभी स्कूल ब्वाय स्कूल नहीं बल्कि गर्ल्ज स्कूल्ज हैं।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि जो स्कूल अपग्रेडेशन के लिये इन्होंने बताए हैं उनकी जिलेवार संख्या कितनी–कितनी है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, जिलावार ब्यौरा इस प्रकार है कि अम्बाला में प्राइमरी से मिडल कोई नहीं तथा मिडल से हाई कोई नहीं। भिवानी में प्राईमरी से मिडल 5 तथा मिडल से हाई एक, फरीदाबाद में प्राईमरी से मिडल एक और मिडल से हाई एक, गुड़गांव में प्राईमरी से मिडल 6 बोर मिडल से हाई एक, हिसार में प्राईमरी से मिडल 9 और मिडल से हाई 4, जीन्द में प्राइमरी से मिडल 5 और मिडल से हाई 8, करनाल में प्राईमरी से मिडल 3 और मिडल से हाई कोई नहीं, कुरुक्षेत्र में प्राइमरी से मिडल एक तथा मिडल से हाई कोई नहीं, महैंन्द्रगढ़ में प्राइमरी से मिडल 5 और मिडल से हाई 3, रोहतक में प्राईमरी से मिडल 8 और मिडल से हाई 3, सिरसा में प्राईमरी से मिडल 7 और मिडल से हाई 3 तथा सोनीपत में प्राईमरी से मिडल कोई नहीं और मिडल से हाई एक।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि कई गांवों में लोगों ने अपने स्कूल बनाए हैं यानी स्कूलों छी बिल्डिंगें खुद बनाई हैं और वे

फाईनैसं भी दे रहैं हैं, क्या उन स्कूलों को अपग्रेडेशन के लिये कन्सिडर करेंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि 1985–90 की पंचवर्षीय योजना में 500 प्राईमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में और 100 मिडल स्कूलों को हाई स्कूलों में अपग्रेड करने का लक्ष्य था। क्योंकि वर्ष 1987 चुनावों का साल था इसलिये हमारे से पहले जाने वाली सरकार ने इस लक्ष्य को 1986–87 में ही पूरा कर दिया और 102 स्कूल मिडल से हाई स्कूल में अपग्रेड कर दिये। क्योंकि यह चुनाव का साल था इसलिए वोट प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया। उसके बाद हमने प्लानिंग कमीशन से और प्राईमरी तथा मिडल स्कूलों को अपग्रेड करने की सिफारिश की थी लेकिन उन्होंने हमारे सुझाव को ठुकरा दिया क्योंकि पहले ही लक्ष्य से ज्यादा स्कूल अपग्रेड किये जा चुके थे। लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी कन्याओं की शिक्षा के लिए बहुत चिन्तित रहते हैं इसलिये उन्होंने शिक्षा विभाग को कहा कि बेशक प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप ने स्कूल अपग्रेड करने के लिए मना कर दिया है लेकिन आप अपने बजट से व्यवस्था करें और लड़कियों के स्कूलों को अपग्रेड करें। इसलिये 5० प्राईमरी से मिडल और 25 मिडल से हाई, कन्याओं के स्कूल अपग्रेड करने हैं। यह प्रावधान बजट में हमारे मुख्य मन्त्री जी के कहने पर हुआ है। मुख्य मन्त्री जी का रुझान कन्याओं की शिक्षा की ओर बहुत ज्यादा है। इसलिये आप जो भी बात करें वह

कन्याओं के स्कूलों के बारे में करें। हमारी नीति लड़कों के' स्कूल अपग्रेड करने के बारे में या कहीं पर बिल्डिंग पूरी है या नहीं है उसके बारे में नही है। हमारी नीति इस बारे यह निर्धारित की गई है कि पचास प्राईमरी से मिडल और 25 मिडल से हाई केवल कन्याओं के स्कूल अपग्रेड करने हैं और वह भी अपने बजट में से व्यवस्था कर के कर रहैं हैं।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा' कि जो उन्होंने जिलेवार स्कूलों को अपग्रेड करने का ब्यौरा दिया हैं उसका क्या क्राइटेरिया अपनाया है और किस आधार पर यह स्कूलों की संख्या दी गई है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो हमने फीमेल लिटरेसी रेट को सामने रखा है। जहां फीमेल लिटरेसी रेट बहुत कम था वहां हमने सब से ज्यादा स्कूल दिये हैं जैसे जीन्द में फीमेल लिटरेसी रेट 12.24 परसैन्ट है तो वहां ज्यादा स्कूल दिये हैं। फीमेल लिटरेसी रेट अम्बाला में सब से ज्यादा है इसलिए वहां नहीं दिये गये। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि इस आधार में कोई मोटिव एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। इसलिए एक तो हमने फीमेल लिटरेसी रेट को आधार बनाया है और दूसरे जो अलग अलग जगह से मांगें आयी हैं उनको अपग्रेडेशन के आधार पर जांचा है। उस आधार पर जो स्कूल पूरे उतरते थे उस हिसाब से अपग्रेड किये हैं। स्कूलों का

चयन करते समय किसी तरह का मोटिव या डिस्क्रिशन इस्ते– माल नहीं की गई है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार और चौधरी देवी लाल की नीति के अनुसार स्त्रियों को शिक्षा में ज्यादा बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने अपने बजट में से पैसे की व्यवस्था की है। जिस तरह से शहरों में शिक्षा व्यवस्था पूरी करने के लिये टैन्टों में स्कूल लगाये जाते हैं अगर कहीं गांवों में साधनों का अभाव है और दसवी कक्षा की लड़कियां बाहर दूसरे गांव में पढ्ने के लिऐ नहीं जाना चाहती हैं तो क्या उसी प्रकार से वहां टैन्टों में स्कूल लगा कर और स्टाफ मुहैया करके बड़े. बड़े गांवों में मिडल से हाई स्कूल बनाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, स्टाफ मुहैया करके टैन्टों में स्कूल नहीं खोले जा सकते और न ही स्कूल अपग्रेड किये जा सकते हैं क्योंकि टैन्टों में स्कूल नहीं लग सकते। हमारे यहां मौसम बदलता रहता है। अगर बरसात हो गई तो टैन्ट वाले बच्चे कहां जायेगे इसलिये टैन्टों में स्कूल नहीं खोले जा सकते।

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर जैसे बहिन सुषमा जी और दूसरे मन्त्री गांवों में जाते हैं और वहां कह देते हैं कि आपके स्कूल को अपग्रेड कर देंगे। मेरे अपने हल्के में गांव

कुंगड़ है वहां पर हमने भी कह दिया और दूसरे, मण्डियों ने भी कह दिया कि इस स्कूल को अपग्रेड कर देंगे। वहां 15 लाख रुपये लड़कियों के स्कूल के लिये इक्ट्ठे कर दिये, बिल्डिग शुरू कर दी। पूरे गांव में भी 15 कमरे बने हुए हैं और इसी तरह से ईशरवाल गांव में भी 15 कमरे लड़कियों के स्कूल के बने हैं। उनको पहले आश्वासन दे दिया कि स्कूल अपग्रेड कर देंगे इसलिए उन्होंने बिल्डिंग बना ली। अब मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि उनके बारे में क्या होगा और क्या सोचोगे?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं भाई जगन नाथ जो को बताना चाहती हूं कि जिन मन्त्रियों ने आश्वासन दिया है उसके बारे में मैं यहां फलोर आफ दि हाउस पर आश्वासन देती हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में ऐसे स्कूलों को अपग्रेड करने के बारे में पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री बलवीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जो मोटे तौर पर आधार लिया गया है क्या उस आधार पर और भी स्कूल आते हैं और जो उस आधार को पूरा करते हैं क्या उनकी लिस्ट बनायी गई है? गोरखपुर गांव मेरे जिला हिसार में है। वहां लड़कियों का मिडल स्कूल है। वह हाई स्कूल बनने में इस आधार में क्यों नहीं आया, लिस्ट में क्यों नही आ सका? क्या कोई वेटिंग लिस्ट भी बनायी है? मेरा सवाल यह है कि जो स्कूल आधार पूरा करते थे

वे सब ले लिए हैं या कोई ऐसी भी लिस्ट है जिन्हैं शीघ्र पूरा किया जायेगा?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, श्री बलबीर सिंह की बात बहुत वाजिब है और बहुत स्कूल ऐसे हैं जो यह आधार पूरा करते हैं। हर बार अपग्रेडेशन के लिए सीमित संख्या निर्धारित करनी होती है। इसलिये केवल पचास लिए हैं। इस वजह से इनका ही स्कूल नहीं बल्कि दूसरे स्कूल भी जो आधार पूरा करते हैं वे भी सूची में नहीं आये हैं। उन्हैं अगले वित्तीय वर्ष की सूची में शामिल करने की कोशिश करेंगे।

सेठ लछमन दास बजाजः अध्यक्ष महोदय, करनाल में प्रेम नगर हाई स्कूल में 2500 लड़कियां और लड़के इक्ट्ठे पढ़ते हैं। वहां पर न बिल्डिंग की जरुरत है और न स्टाफ की जरुरत है क्या मन्त्री जी बताएंगे कि वहां दोनों को अलग– अलग करने का कोई प्रावधान हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, बजाज साहब पहले ही कह रहैं हैं कि वह स्कूल दसवीं तक का है। अलग अलग करने का कोई प्रावधान नहीं है और जो विशुद्ध रूप से कन्या स्कूल हैं हमने उनको ही अपग्रेड किया है।

Supply of Agricultural Instruments

***699. Shri Hira Nand Arya:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether any decision has been taken by the Govt. to supply agricultural instruments like diesel engines, tractors etc. to the farmers in the State through -Agro-lndustries Corporation;

(b) if so, the number of farmers availed of this facility so far; and

(c) whether any complaint regarding non-availability/non supply of the items as referred to in part (a) above has been received; if so, the districtwise details thereof ?

कृषि मन्त्री (श्री तैयब हुसैन):

(क) हां जी।

(ख) 31– 1–89 तक 819 किसानों ने लाभ उठाया।

(ग) हां जी। जिलावार विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

निगम को सात फोर्ड ट्रैक्टरों के उपलब्ध न होने की विशेष सूचना मिली थी? जिसमें दो अम्बाला जिला से, दो भिवानी जिला से तथा एक–एक जीन्द, सोनीपत तथा कुरुक्षेत्र जिला से थी। तीन फोर्ड ट्रैक्टर्ज दिए जा चुके हैं। अम्बाला

जिला से दो ट्रैक्टरों की मांग वापिस ले ली गई है। बाकी के ट्रैक्टर्ज एसकोर्ट कम्पनी, फरीदाबाद से उपलब्ध होने पर दे दिए जाएंगे। भिवानी जिले से दो एच० एम० टी० ट्रैक्टर, एक आइसर ट्रैक्टर तथा एक मैसी फरगुशन ट्रैक्टर न उपलब्ध होने की विशेष सूचना प्राप्त हुई थी। दो एच० एम० टी० ट्रैक्टर दिए जा चुके हैं। जहां तक आइसर ट्रैक्टर का सम्बन्ध हैं किसान ने अपनी प्राथमिकता एसकोर्ट – 325 के लिए बदल दी है और यह ट्रैक्टर देने के लिए उपलब्ध हैं। मैसी फरगशन ट्रैक्टर अभी हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा नहीं दिए जा रहैं हैं। एक खूबी बिजली की मोटर सिरसा जिला से, एक ब्राऊन बावरी बिजली की मोटर फरीदाबाद जिला से, दो ज्योति मोनोबलाक पम्पसैट्स गुड़गांव जिला से तीन जैट डीजल ईंजन सोनीपत जिला से तथा एक फील्ड मास्टर डीजल ईंजन कुरुक्षेत्र जिला से न उपलब्ध होने की सूचना मिली थी। जैट डीजल ईजन को छोड्कर अन्य सभी वस्तुएं किसानों को दे दी गई हैं। यह जैट डीजल ईजन भी किसान को देने के लिए स्टाक में उपलब्ध हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, अलग अलग आईटम्ज के बारे में अलग अलग ब्यौरा दिया गया है। ऐसी कौन–कौन सी आईटम्ज हैं जिनके बारे में उनके पास कोई शिकायत आयी है ऐग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन में मोटर्ज वगैरह कुछ ऐसी चीजे हैं जिनकी प्राइवेट डीलर्ज के यहां पर कम कीमत है लेकिन कार्पोरेशन में उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। 10 होर्स पावर

की मोटर की कीमत कार्पोरेशन में 9260 रुपये है जबकि एक प्राइवेट डीलर की मोटर की कीमत 7800 रुपये है। इसी तरह से फील्ड मार्शल ईंजन की कीमत कार्पोरेशन में 6815 और प्राइवेट डीलर के पास 5800 रुपये है। कम्पनी वाले 25 प्रतिशत कमीशन देते हैं इसलिये प्राइवेट वाले कीमत कम कर देते हैं। क्या आपके पास इस बारे में कोई शिकायत आयी है, अगर आई है, तो क्या उसका कोई ईलाज करेंगे जिससे कम रेट पर किसानों को ऐग्रीकल्चरल इस्ट्रूमैंट्स उपलब्ध हो सकें। ऐसे इंस्ट्रूरमैट्स की कितनी संख्या है जो आपके यहां पर बिकते नहीं हैं क्योंकि आपके यहां उनकी कीमत ज्यादा है?

श्री तैयब हुसैनः स्पीकर साहब, इन्होंने मेन सवाल में इंस्ट्रूमैंट्स की कीमतों के बारे में नहीं पूछा था। ये इसके लिये सैपरेट नोटिस दे दें। हम इनको कीमतों के बारे में भी बता देंगे।

श्री आत्मा राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि हरियाणा ऐग्रो के पास कोई ईंजन या मोटरें स्टाक में हैं, अगर हैं तो क्या उनकी मुरम्मत करने के लिये मैकेनिक वगैरा भी हैं या नहीं हैं?

श्री तैयब हुसैनः स्पीकर साहब, हमारे पास तो नयी मोटरें हैं लेकिन अगर किसान अपनी मोटरें किसी खराबी की वजह से हमारे पास लायेंगे उनकी मुरम्मत करने का भी हमारे पास इन्तजाम है। (हंसी)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि किसानों की मुरम्मत करने का इनके पास प्रा इन्तजाम है। उनसे ज्यादा कीमत लेकर उनकी मुरम्मत ही तो यह कर रहैं हैं।

श्री तैयब हुसैनः यह बात सही नही है जो मैम्बर कह रहैं हैं कि उनकी कीमत में इतना फर्क है। हमारा एग्रीड कमीशन होता है। उसी हिसाब से हम मैनुफैक्चरर की रिटेल प्राईस से भी कम कीमत पर बेच रहैं हैं।

श्री आत्मा राम गोदाराः स्पीकर साहब, कुछ फर्मे जो मोटरें प्रोडयूस करती हैं वे 38 परसैन्ट तक कमीशन दे देती हैं। क्या मन्त्री महोदय प्राईस फिक्स करते वक्त इस चीज का भी ध्यान रखते हैं या नही?

श्री तैयब हुसैनः स्पीकर साहब, जैसे मैंने अर्ज किया है, कीमत के बारे में सैपरेट नोटिस दे दें, हम पता करके बता देंगे।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई हीरा नन्द आर्य जी ने सवाल पूछा था, मन्त्री जी ने कह दिया कि सैपरेट नोटिस दे दें। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि निगम द्वारा ऐग्रीकल्चरल इम्पलीमैंट्स, ट्रैक्टर्ज, मोटरें वगैरा जो बेचे जा रहैं है, उनकी कीमत में और प्राइवेट एजेंसिज द्वारा बेचे जा रहैं भाव में हजारों स्मये का अन्तर होता है। क्या वे इस

मामले की जांच करेंगे और इस फर्क को दूर करने की कोशिश करेंगे?

श्री तैयब हुसैनः स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि हम मैनु– फैकचरर्ज की रिटेल प्राइस से कम में दे रहैं हैं। हम आई० एस० आई० मार्का चीज बेच रहैं हैं, हम फर्जी मोटर नही बेच रहैं हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के पार्ट (सी) में पूछा था–

"whether any complaint regarding non-availability/non supply of the items as referred to in part (a) above has been received; if so, the districtwise detail thereof."

तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो पल मैंने आपको लिखा था वह पत्र आपको मिल गया था या नहीं क्योंकि उसका जवाब मुझे नही मिला। स्पीकर साहब, मैंने दर्जनों पत्र इनको लिखे थे लेकिन किसी का जवाब नही आया। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कीमत सम्बन्धी मेरा पत्र इनको मिला था? (व्यवधान)

Mr. Speaker: Arya Sahib, do not open a new platform. Please take your seat. (Interruptions). Arya Sahib, you are a senior Member. This is not the way. I am sorry to say that you are not behaving properly.

श्री तैयब हुसैनः स्पीकर साहब, ये दुबारा नोटिस दे दें, मैं पता करके बता दूंगा।

श्री बलवीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह बात सच नहीं है कि ऐग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन घाटे में जा रही थी? क्या यह सच नहीं है कि उस घाटे को पूरा करने के लिए यहं व्यवस्था की गई है? क्या यह भी सच नहीं है कि किसानों के हितों का छगन न रखकर उनको ये चीजें सस्ते दाम पर देने की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वह व्यवस्था नहीं की गई?

श्री तैयब हुसैनः स्पीकर साहब, यह बात सही नहीं है कि किसानों को ल्टा जा रहा है। स्पीकर साहब, प्राईवेट डीलर्ज द्वारा जो लुटाई किसान की होती थी उसको रोका गया है और सही चीज सही समय पर किसान को सप्लाई की जा रही गै। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल को मुबारिकबाद देनी चाहिए जिन्होंने मसीहा का काम किया है। पिछले सैशन में कहा गया था कि यह तो मुर्दा लाश है। चौधरी देवी लाल ने मसीहा का काम किया है और इसको जिन्दा किया है।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जितने सर्विस सैन्टर्ज हैं वे काफी हैं?

श्री तैयब हुसैनः स्पीकर साहब, जितने भी सर्विस सैन्टर्ज इस समय हैं वे जरूरत के मुताबिक काफी हैं। मुअजिज मैम्बर अगर कहीं और यह सैन्टर चाहते हैं तो अपना सुझाव दे दें।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा किसानों को ऋण के अगेन्सट जो माल सप्लाई होता है, उसका अगर कहीं अभाव होता है तो उसके बारे में क्या प्रक्रिया ऐग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन अपनाती हैं?

श्री तैयब हुसैनः स्पीकर साहब, ज्यों ही लैड मौरगेज बैक से डिमाण्ड आती है, इमीजिएटली इंतजाम करते हैं और फौरी तौर पर सप्लाई होती है।

Loss suffered by H.S.E.B.

***672. Shri Atma Ram Godara:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the profit earned or loss suffered by the Haryana State Electricity Board during the last five years i.e. upto 1988;

(b) the total quantum of Electricity supplied to Agricultural and Industrial sector and the tariff received from each sector separately during the period as referred to in part (a) above; and

(c) the loss, if any suffered togetherwith the steps, taken or proposed to be taken to eliminate/reduce the losses ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):

(a) & (b) (c) : statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Losses suffered by Haryana State Electricity Board during the last five years were as under:—

Year	Rupees in crores
.1983-84	40 . 76
1984-85	75.68
1985-86	75.91
1986-87	61.23
1987-88	143.41

(b) The year-wise energy sold to and revenue received from agricultural and industrial sectors was as under:—

Year	Agricultural sector		Industrial sector	
	Units sold (in crores)	Revenue received (in crores)	Units sold (in crores)	Revenue received (in crores)
1983-84	130.14	23.67	134.29	77.23

1984-85	137.52	26.73	112.20	75.49
1985-86	136.65	27.26	129.05	93.06
1986-87	162.41	27.46	136.84	107.6
1987-88	217.63	35.11	131.76	118.14

(c) The Board suffered loss on account of sale of power to agricultural sector as follows:—

Year	Energy sold to agricul- tural sector (crore units)	Loss in Rs. crores
1983-84	130.14	44.05
1984-85	137.52	61.60
1985-86	136.65	62.60
1986-87	162.41	76.43
1987-88	217.63	140.81

The following steps have been taken to reduce losses:-

(a) Improvement in system by way of addition of new substations, re-alignment of lines and installation of capacitors etc.

(b) Checking of consumer premises to arrest the incidence of theft of electricity.

(c) Monitoring the cost of generation at the thermal plants so as to keep it under control.

(d) Increase in power tariff.

श्री आत्मा राम गोदाराः स्पीकर सहिब, सवाल के पार्ट ए के जवाब में वर्ष 1987–88 में सब से ज्यादा लौसिज दिखाए हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आपको पता है कि वर्ष 1987–88 ड्राउट ईयर था और उस ड़ाउट ईयर में ऐग्रीकल्चर सैक्टर में मैक्सीमम बिजली देनी पड़ी। जोहड़ों में पानी डाला गया। ट्यूबवैल्ज को ज्यादा बिजली दी गई। ऐग्रीक्लचर सैक्टर को जो बिजली दी जाती है वह हाइली सबसीडाइज्ड होती है। इसलिए यह लौसिज हुए हैं।

श्री आत्मा राम गोदाराः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि प्रोडक्शन में जो लौसिज हुए हैं या प्रोडक्शन में जो ऐक्सपैन्सिज ज्यादा किए हैं उनको कम करने के लिए क्या कोई कदम उठाए हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जैसा कि आत्मा राम गोदारा जी ने कहा है कि लौसिज बढ़ गए हैं, इस बारे में मैं

कहना चाहता हूं कि प्रोडक्शन में कोई लौसिज इस प्रकार के नहीं हैं। प्रोडक्शन में जो जनरेटिंग कौस्ट बढ़ी है उसके कई कारण हैं जैसे कोल की प्राईस बढ़ गई, तेल की प्राईस बढ़ गई, रेलवे फ्रेट 43–44 परसैन्ट यद् गया और जो ऐस्टेबलिशमैट एच० एस० ई० बी० की है उसका भी खर्चा बढ़ गया है। ज्यों ही पे कमिशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमैंट एम्पलाइज को पैसा बढ़ कर मिला। उसी तरह से बिजली बोर्ड ने भी बढ़ाया। इस कारण से जनरेटिंग कौस्ट बढ़ गई।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एक ही डैम से बनी हुई बिजली पंजाब में तो 13 पैसे पर–यूनिट के हिसाब से मुहैया की जाती है और हरियाणा में उसी बिजली के रेट्स काफी हाई वसूल किये जाते हैं। दूसरा मेरा सवाल यह है कि बिजली बोर्ड के अन्दर जो घाटा पड़ा है क्या वह बिजली की चोरी, घटिया सामान खरीदने व सामान आदि की चोरी के कारण तो नहीं है? (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, कामरेड हरपाल सिंह जी ने जो सवाल पूछा है वह तो हमारी समझ में नहीं आया। केवल चोरी–चोरी ही सुनायी दिया। (शोर एवं व्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने बड़े क्लीयर सवाल पूछे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्षः कामरेड साहब, आपने एक साथ ही तीन चार सवाल पुट कर दिये हैं। (शोर)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं दोबारा कलैरीफाई कर देता हूं। (शोर)

Mr. Speaker: No clarification please. You take your seat.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, इन्होंने पूछा है कि क्या घाटे का कारण बिजली की चोरी, पुर्जो की चोरी व घटिया सामान का इस्तेमाल किया जाना वगैरह वगैरह तो नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंहः .....

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. Mr. Harpal Singh please take your seat now.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सारी वोट्स ये चोरी करके ले गये और जिन लोगों ने चुनकर इनको यहां तक पहुंचाया, पहले ही दिन इन्होंने उन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके बारे में यहां पर गल्लव्यानी करते रहैं, गल्त बातें कहते रहैं। (शोर एवं व्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हम जनता की जेब काटने के लिये नहीं आये हैं, हम तो जनता की सेवा करने के लिये यहां पर आये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, जब संघर्ष समिति संघर्ष कर रही थी, चौधरी देवी लाल व श्री मंगल सैन जी के नेतृत्व में हम संघर्ष कर रहैं थे, उस वक्त सी० पी० एम० के भाईयों का जो स्टैंड था, वह संघर्ष समिति वाला स्टैण्ड नहीं था। लेकिन फिर भी हमने इनको स्पोर्ट किया। (शोर एवं व्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, ये मेरे सवाल का जवाब तो दे नहीं रह.... (शोर)।

श्री अध्यक्षः हरपाल सिंह जी, आप बैठिये। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः कामरेड साहब आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूं 1 स्पीकर सर, जब चुनाव आये तो चौधरी देवी लाल जी ने हरियाणा की जितनी भी विपक्षी पार्टियां थीं, उनको पूरी तरह से सुना। (शोर एवं व्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, ये मेरे सवाल का सही उत्तर क्यों नहीं देना चाहते? (शोर)

Mr. Speaker: Let him reply. Please take your seat.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, कल जब गवर्नर साहब बोल रहैं थे तो ये बीच में से उठे और बाहर चल दिये। आज इनको कसट्रेशन केवल यह है कि अखबारों में इनकी खबर नहीं छपी। किसी भी अखबार ने इनकी खबर को नहीं छापा।

Mr. Speaker: Please reply the question.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक चोरी चारी की बात है मैं यह रूल आउट नही करता कि हमने बिजली की चोरी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी है लेकिन मौजूदा गवर्नमैंट आने के बाद हमारे विजीलैंस सैल ने लगातार छापे मारे हैं और मार भी रहा है। हमने 1987–88 में 51 लोगों को बिजली की चोरी करते पकड़ा। अब भी 1988–89 में 9 केसिज दर्ज हुए हैं। मैं चोरी को मुकम्मल तौर पर रूल आउट नहीं करता लेकिन हमने चोरी की बहुत रोक थाम की है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, चौधरी वीरेन्द्र सिंह और सरकार बधाई की पात्र है क्योंकिय हरियाणा में बिजली का बहुत सुधार हुआ है। मैं आपके माध्यम से मस्ती जी से जानना चाहता हूं कि जवाब के पार्ट 'बी' में लिखा हुआ है कि 'यूनिटस सोल्ड इन करोडज, रैवेन्यू रिसीवड इन करोडज। यह इंडस्ट्रियल सैक्टर की बात है। मैं यह बात चूंकि समझ नहीं पाया इसलिए इसके बारे में मन्त्री जी ऐक्सप्लेन कर दे

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, डा० साहब इसका ऐक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल में इसलिए मांग रहैं हैं कि यूनिटस सोल्ड ज्यादा हैं और रिकवरी कम है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल सैक्टर में कुछ लोग मुकदमें लेकर कोर्टस में चले जाते हैं और स्टे आर्डर ले आते हैं। इसके अलावा कुछ केसिज आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं। यह वजह भी हो सकती हैं कि

इंडस्ट्रियल सैक्टर को जो बिजली सप्लाई की जाती है उसके कुछ बिल्ज अंडर डिम्प्यूट हों। यही कारण हैं।

Shifting of Police Station, Karnal

***798. Seth Lachhman Dass Bajaj:** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to shift the present City Police Station, Karnal to some other place; and

(b) if so, the time by which it is likely to be shifted together-with the location/place thereof ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) हां।

(ख) इसे सैक्टर–16, नजदीक जुन्डला गेट, करनाल में स्थित करने का प्रस्ताव है। इस समय यह बताना कठिन हैं कि थाना शहर नये स्थान पर किस तिथि तक स्थित होगा।

सेठ लछमन दास बजाज: स्पीकर साहब, यह थाना शहर के बिल्कुल अन्दर है। इसके चारों ओर आबादी बहुत हो चुकी है। रास्ता रोको आन्दोलन के समय हम चौधरी साहब के साथ इस थाने के एक कमरे में आठ आदमी थे। वहां पर जगह' कम है और स्टाफ बढ़ रहा है इसलिए कोई बड़ा थाना बनना चाहिए।

प्रो० सम्मत सिंहः स्पीकर साहब, नया थाना पूरे चार एकड़ में बनाने का प्रावधान है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, अभी मेरे योग्य दोस्त ने बताया कि चौधरी साहब के साथ वे उन दिनों में वहां थे। अब ये सोच रहें हैं कि कांग्रेसी या दूसरे लोगों को वहां भेजने के लिए खुली जगह होनी चाहिए। (हं सी) तो यह कब तक बना देंगे?

प्रो० सम्पत सिंहः हम इसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे।

Sabzi Mandi at Ganaur

***732. Shri Ved Singh Malik:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a New Sabzi Mandi at Ganaur, Tehsil Ganaur, Distt. Sonipat; and

(b) if so, the time by which the construction work of the aforesaid Sabzi Mandi is likely to be completed ?

Agriculture Minister (Shri Tayyab Hussain)**:**

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

श्री वेद सिंह मलिकः स्पीकर साहब, क्या यह बात ठीक है कि मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से मंडियों के लिए 16 लाख रुपए सैक्शन हो चुके हैं?

श्री तैयब हुसैनः मैंने जवाब तो 'न' में दिया है। लेटैस्ट पोजीशन यह है कि सरकार ने फैसला किया है कि बिल्डिंग्ज बनाने की बनिस्वत सड्कों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए।

Mr. Speaker : Now the question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर

Unemployed persons in the State

***741. Shri Raghu Yadav and Pandit Vasu Dev Sharma and Shri Hira Nand Arya and Shri Ranjit Singh :** Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state—

(a) the districtwise total number of unemployed persons registered in the Employment Exchanges of the State togetherwith the districtwise total number of unskilled, Matric, Graduate, Post Graduate, Engineers, Doctors, Diploma holders and Veterinary Doctors registered with the Employment Exchanges as on 31st December, 1988 separately;

(b) the criteria fixed for providing unemployment allowance in the State; and

(c) the number of persons out of those referred to

in part (a) above have been given un-employment allowance ?

श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह):

(क) दिनांक 3 1– 12–88 क्रो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कुल तथा अकुशल, मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोतर, इन्जीनियर, डाक्टर, डिप्लोमा होल्डर, तथा बैटरनरी डाक्टर श्रेणी के बेरोजगार प्रार्थियों का जिलावार ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) राज्य में बेरोजगारी भत्ता देने बारे जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, उन बारे सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ग) 3,531

ब्यौरा

क्रमांक	जिला	कुल	अकुशल	मैट्रिक	स्नातक	स्नातकोत्तर	इंजीनीयर	डाक्टर	डिप्लोमा होल्डर	वैटरनरी डाक्टर
1.	अम्बाला	92,096	36,148	30,512	7412	879	85	235	765	8
2.	कुरूक्षेत्र	48,452	19,340	18,784	3869	868	35	91	275	3
3.	करनाल	64,579	26,307	25,733	5679	778	48	84	538	3
4.	रोहतक	53,501	20,530	22,334	,606	785	57	328	366	15
5.	सोनीपत	38,980	12,460	20,471	2643	301	23	70	404	13
6.	जीन्द	33,221	11,909	14,532	2298	255	27	49	297	11
7.	भिवानी	40,985	14,791	16,942	,606	559	23	44	209	11
8.	गुड़गांवा	39,146	16,079	13,907	2817	290	21	59	150	1

9.	फरीदाबाद	43,216	19,813	15,848	3454	663	37	65	336	2
10.	महैंन्द्रगढ़	36,740	11,912	16,146	3557	453	16	36	131	15
11.	हिसार	58,849	19,344	22,577	4308	544	29	83	290	40
12.	सिरसा	20,719	6941	8832	2254	380	17	23	161	6
	कुल	570,484	215,574	226,618	46,503	6755	418	1167	3922	128

नोटः– (1) अकुशल श्रेणी में स्वीपर, लेबर तथा दसवीं ' से कम शिक्षित फेशर प्राथीं सम्मिलित हैं।

(2) मैट्रिक, स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रार्थियों में फेशरच के अतिरिक्त व्यवसायिक तौर पर शिक्षित तथा अनुभवी प्राथीं भी सम्मिलित हैं।

सूचना

1. यह भत्ता स्नातक/स्नातकोत्तर प्रार्थियों को दिया जाएगा परन्तु इसमें डाक्टर/वैटरनरी डाक्टर तथा वकील जिन्होंने बार से लाईसैस लिया है शामिल नहीं होंगे। ऐसे प्रार्थियों के नाम स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त लगातार 2 वर्ष के लिए रोजगार कार्यालय के संजीव रजिस्टर पर होने चाहिएं।

2. इसके लिए आयु 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो परन्तु अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग के प्रार्थियों के लिए०परी आयु–सीमा 35 वर्ष होगी।

3. प्रार्थियों ने मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा हरियाणा में स्थित स्कूल ऐजूकेशन बोर्ड सेडल बोर्ड आफ सैकेण्डरी ऐजूकेशन या इण्डियन काऊन्सल आफ सैकेण्डरी एजुकेशन से अफीलेटिड स्कूल से पास की हो। तत्पश्चात स्नातक की परीक्षा हरियाणा के विश्वविद्यालयों से अफीलेटिड हरियाणा में स्थित कालेज से प्राप्त की हो।

4. प्रार्थी हरियाणा का निवासी हो। इस सम्बन्ध में प्रार्थी को कम्पीटेन्ट अथारिटी से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. इस सम्बन्ध में वह जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक शपथ–पत्र देगा जो ओथ–कमीशनर या मजिस्ट्रेट से प्रमाणित होगा किः–

(क) उसकी अपनी तथा पारिवारिक मासिक आय सभी स्त्रोतों से 450 रुपये से अधिक नहीं है।

(ख) वह बेरोजगार है।

(ग) वह किसी संस्था/संस्थापना में छात्र/प्रशिक्षणार्थी/अपरेन्टिस नहीं है।

(घ) उसने किसी कर्मिशियल बैक/सरकारी विभाग से अपना कार्य चलाने के लिए कोई वित्तीय सहायता/सबसिडी प्राप्त न की हुई हो।

(ड) वह सरकारी सेवा से डिसमिस न किया गया हो।

100 रुपये प्रति–मास की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रार्थियों को 30 वर्ष की आयु तक (अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग के प्रार्थियों को 35 वर्ष तक) 5 वर्ष के लिए या 30 वर्ष की आयु पूरी करने तक (अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के लिए 35 वर्ष) जो पहले हो, देय होगा।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Approach roads for the Directory villages

99 Shri Bhag Mal: Will the Minister for P.W.D. B. & R. be pleased to state whether there is no link roads or approach roads in the Directory Villages and having a population of more than 250 in Sadhaura Constituency; if so, names thereof ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज): जी, हां।

(क) गांव चनचक।

(ख) गांव सितारी।

Construction of Office Building

100 Shri Bhag Mal: Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether any building for office purposes has been constructed in the Yard of Grain Market, Bilaspur by the Agricultural Market Committee, Chhachhrauli; if so, the cost thereof; and

(b) whether the aforesaid building has been taken over by the Market Committee, Bilaspur; if not, the reasons therefor ?

कृषि मन्त्री (श्री तैयब हुसैन):

(क) जी नहीं। (ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Grain Market, Sadhaura

107. Shri Bhag Mal: Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the year in which the Grain Market, Sadhaura district Ambala was constructed;

(b) whether the facility of drinking water (in the shape of water works) has also been provided in the said

Market;

(c) if not, whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide drinking water facility as referred to in Part (b) above; and

(d) if so, the time by which the aforesaid facility is like to be provided ?

कृषि मन्त्री (श्री तैयब हुसैन):

(क) अनाज मण्डी सढौरा का निर्माण वर्ष 1972–73 में किया गया था। (खुर) मण्डी समिति द्वारा जल–घर का निर्माण अभी किया जाना है परन्तु नगरपालिका द्वारा प्रदान की मई पीने के पानी की सुविधा मण्डी में पहले ही उपलब्ध है।

(ग) हां, जी।

(घ) इसे वर्ष 1989–90 में पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

Construction of Dam en River Markanda

108. Shri Bhag Mal: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a Dam on the river Markanda at village **Dhanaura** in tehsil Ambala to control the flood and to provide water to cultivate the land; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Dam is

likely to be constructed togetherwith the number of villages which are to be benefitted in Distt. Ambala after the construction of said Dam ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां।

(ख) अभी इस बैराज को बनाने का कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह योजना अभी केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार से स्वीकृत की जानी है। इस योजना द्वारा अम्बाला जिला के 54 गांवों को लाभ होगा।

Cultivable Land with Police department

101. Shri Hira Nand Arya and Pandit Vasu Dev Shama : Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the districtwise area of cultivable land with the Police Department and Jail Authorities at Present; and

(b) the yearwise income accrued therefrom during the period from 1982-83 todate ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क)

	पुलिस विभाग			जेल विभाग		
	एकड़	कनाल	मरला	एकड	कनाल	मरला

अम्बाला				19	7	11
करनाल				230	2	16
सोनीपत						12
फरीदाबाद					1	3
गुडगावां				6	4	
महैंन्द्रगढ़				4	6	
रोहतक				13	3	16
जीन्द	40	3	10	25	5	19
हिसार	6	5	11	145	7	
भिवानी	40			61	6	19
सिरसा						
कुरुक्षेत्र						
कुल जोड़	87	1	1	508	5	16

(ब)

	रुपयों में	रुपयों में
1982-83	1,09,800	11,40,811

1983-84	78,250	9,97,575
1984-85	1,44,350	5,43,505
1985-86	2,05,850.	4,95,345
1986-87	2,29,750	5,90,370
1987-88	1,33,200	4,81,467
1988-89	—शून्य—	2,06,482 (31-12-88 तक)

Elections of Municipal Committees

102. Shri Mangal Sein: Will the Minister of State for Local Government be pleased to state—

(a) the number of Municipal Committees of which elections were held during the year 1987;

(b) the names and date on which such Committees out of those referred to in part (a) above have been superseded ; and

(c) the number of Municipal Committees to which elections have not yet been held togetherwith the time by which the same are likely to be held?

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री ए० एस० भडाना):

(क) 67

(ख) कोई नहीं।

(ग) 14

उक्त 14 नगरपालिकाओं में से नगरपालिका खरखौदा तथा एच० एम० टी० पिंजोर के चुनाव दिनांक 26–2–89 को करवाये जा रहैं हैं। 5 नगरपालिकाओं नामतः गुडगावां, थानेसर, डबवाली, कलांवाली तथा रिवाड़ी के चुनाव अब तक इनमें चल रहैं कोर्ट केसिज के कारण सम्पन्न नहीं करवाये जा सके, क्योंकि कुछ याचिकायें पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट एवं उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं। इन नगरपालिकाओं में चुनाव करवाने के लिए कितना समय लगेगा यह विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये जाने वाले निर्णयों पर निर्भर करता है। जहां तक शेष 7 नगरपालिकाओं नामतरू सढौरा, पटौदी, हैंलीमंडी, नारनौंद, सिवानी, ऐलनाबाद तथा पुनहाना में चुनाव करवाये जाने का संबंध है, वह इन नगरपालिकाओं की वार्डबंदी तथा मतदाता सूचियों की तैयारी के पश्चात् ही करवाये जायेंगे। यह समस्त कार्य अगले 6–7 महीनों में सम्पन्न होने की सम्भावना है। इन नगरपालिकाओं में चुनाव की तिथि बाद में किसी समय निश्चित की जायेगी।

Election Petitions against Municipal Commissioners

103. Shri Mangal Sein: Will the Minister of State for Local Government be pleased to state—

(a) the number of election petitions filed, if any, against the Municipal Commissioners after municipal elections held in 1987 togetherwith the names of the Petitioners in each case;

(b) the number of Petitions out of those referred to in Part (a) above which are still pending for decision; and

(c) whether any complaint has been received for not starting of Election Petitions proceedings in respect of any of the Election Petitions stated in part (a) above, if so, the action taken thereon ?

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (श्री ए० एस० भडाना):

(क) 171, सूची सदन के पटल पर रखी है।

(ख) 171.

(ग) हां, प्राप्त चुनाव याचिकाऐं संबंधित वरिष्ठ सब–जजों को जांच केर लिए भेज दी गई हैं।

List of Elections Petitions

Sr. No.	Name of the Petitioners
1	Shri Shiv Mohan, S/o Sh. Ram Ji Dass V/s. Rameshwar Parshad S/o Sh. Jagan Nath etc.
2	Radha Kishan S/o Sh. Mansha Ram V/s. Ishar Singh S/o Sh. Kapur Singh etc.
3	Vishwa Nath S/o Sh. Hori Lal

	V/s. Piara Lal S/o Sh. Misri Lal etc.
4	Naresh Kumar S/o Sh. Phool Chand V/s. Satish Kumar etc.
5	Sohan Lal S/o Sh. Bassu Ram V/s. Suresh Kumar etc.
6	Ashok Kumar S/o Sh. Charan Dass Chanana V/s. Sham Behari S/o Sh. Krishan Dayal etc.
7	Jeet Kumar S/o Sh. Shankar Dass V/s. Returning Officer Kalka etc.
8	Rajinder Pal S/o Sh. Dhani Ram V/s. Nand Lal S/o Sh. Thaker Dass etc.
9	Ram Nath S/o Sh. Purma Nand V/s.

	Subhash Chander S/o Sh. Amar Singh etc.
10	Krishan Murti S/o Sh. Raja Ram V/s. Smt. Vijay Gupta w/o Sh. Harish Gupta etc.
11	Pawan Kumar S/o Sh. Rodha Mal V/s. Returning Officer Jagadhari etc.
12	Sh. Ram Lal S/o Sh. Dalip Singh V/s. Parmod Kumar S/o Sh Lajja Ram etc.
13	Sh. Iqbal Singh S/o Sh. Ganga Singh V/s. Lachhman Dass S/o Sh. Harbhagwan Dass etc.
14	Bhim Sain S/o Sh. Lal Chand V/s. Shri Gian Chand S/o Sh. Sita Ram etc.
15	Naresh Kumar S/o Sh. Ram Dass V/s. Des Raj S/o Sh. Jai Chand

16	Rajiv Kumar S/o Sh. Virinder Kumar V/s. Mohinder Kumar S/o Sh. Munishi Ram etc.
17	Sunder Dass S/o Sh. Lila Ram V/s. Shankar Dass S/o Sh. Munishi Ram
18	Subhash Chand S/o Sh. Munishi Ram V/s. Nathi Ram S/o Sh. Parbhu Ram etc.
19	Baldev Raj S/o Sh. Sita Ram V/s. Milki Ram S/o Sh. Khem Ram etc.
20	R.K. Khanna S/o Sh. Tej Bhan Khanna V/s. Faquir Chand S/o Sh. Nand Lal etc.
21	Hazara Singh S/o Sh. Bir Singh V/s. Mohinder Kumar S/o Sh. Munishi Ram etc.
22	Harbans Singh S/o Sh. Ganda Singh

	V/s. Satish Kumar S/o Sh. Jai Ram etc
23	Jamuna Dass S/o Sh. Manju Ram V/s. Som Nath S/o Sh, Bhagwati Parshad
24	Ashok Kumar S/o Sh. Boota Ram V/s Sh. Verinder Singh and others
25	Iqbal Sagar S/o Sh. Aschaiaj Lal V/s. Jawala Singh S/o Sh. Sher Bhan Singh
26	Sh. Ram Kumar S/o Sh Lachhman Dass R/o Raclin V/s Sh. Chunni Lal S/o Gopal Dass and others
27	Nihal Chand S/o Sh. Dasu Ram Rio Shahbad Markanda V/s. Narsingh Dass S/o Sh. Tirth Dass and others
28	Sh. Hari Chand S/o Sh. Shyam Lal of Pundri

	V/s. Sh. Devi Dayal S/o Sh . Suraj Bhan and others
29	Sh. Raghbir Chand S/o Sh . Dayal Chand Rio Ladwa V/s. Sh. Vijay S/o Sh. Shiv Parshad and others
30	Sh. Jag Mohan S/o Sh. Brham Dutt R/o Ladwa V/s. Sat Parkash S/o Sh. Sagar Chand and others
31	Sh. Tara Chand S/o Sh. Blehra R/o Pundri V/s. Sh. Hari Chand and others
32	Sh. Basant Lal S/o Sh. Mangal Ram R/o Kaithal V/s. Sh. Rajinder Kumai S/o Sh. Gurcharan Dass & others-
33	Sh. Jag Mohan S/o Sh. Bhagat Ram R/o Shahbad V/s. Sh. Kartar Singh and others.
34	Sh. Darshan Singh S/c Sh. Hukam Singh Rio Pehowa

	V/s. Sh. Arun Kumar and others
35	Sh. Mohan Lal S/o Sh. Asha Rain R/o Ladwa V/s. Sh. Ram Singh and others.
36	Sh. Pawan Kumar S/o Sh. Badri Parshad R/o Kaithal V/s. Sh . Jai Bhagwan and others
37	Sh. Ramesh Chand S/o Sh. Mool Raj R/o Ladwa V/s. Sh. Arvinder Kumar and others
38	Sh. Jai Gopal S/o Sh. Piara Lal R/o Thanesar V/s. Sh. Dinesh Kumar and others.
39	Sh. Singh Ram S/o Sh. Rameshwar Dass R/o Ladwa V/s Sh. Verender Kumar and others.
40	Sh. Ishwar Chand S/o Sh. Shiv Charan Dass R/o Ladwa

	V/s Sh. Narinder Kumar and others.
41	Sh. Kewal Krishan S/o Sh. Amar Nath of Ladwa V/s Sh. Vishminder Kumar and others.
42	Sh. Tilak Raj S/o Sh. Brij Lal Sethi R/o Ladwa V/s Harbans Lal and others.
43	Chhaju Ram S/o Sh. Balak Ram R/o Pehowa V/s Sh Bhola Nath and others.
44	Sh. Ajit Singh S/o Sh. Niranjan Singh R/o Thanesar V/s Sh. Jagdish Parshad and others.
45	Sh. Hemraj S/o Sh. Piyra Ram Palwal Distt. Faridabad and others. V/s Brahm Dev S/o Sh. Khacharu Palwal Distt Faridabad and others.

46	Sundu Pal S/o Sh. Hukam Singh Palwal Distt. Faridabad. V/s Shyam Sunder S/o Sh. Chhapan Palwal Distt.Faridabad and others.
47	Sh. Rattan. Lal S/o Fagu Ram Palwal Distt. Faridabad V/s SDO Civil Palwal & others.
48	Sh. Chaman Lal S/o. Sh. Pyara Lal Palwal Distt Faridabad V/s SDO (C) Palwal and others.
49	Sh. Ram Avtar S/o Sh. Jai Chand Hathin Distt. Faridabad V/s Sh. Om Parkash V/s Inderjit & others
50	Sh. Chayjan Singh S/o Sh. Ganga Sahai Hathin Distt Faridabad V/s

	Mohinder S/o Sh. Hira Lal Hathin & others.
51	Nathi Ram S/o Sh. Puran Hathin Distt. Faridabad V/s Lachmi S/o Sh. Shyama.
52	Ombir Singh S/o Sh . Ranbir Hathin Distt. Faridabad V/s Sh Ram S/o Sh. Chhajan Singh & others.
53	Hans Raj S/o Sh. Shyam Lal Sohana. V/s Naresh Kumar and others.
54	Raj Kumar S/o Sh. Budhi Chand Sohana V/s SDO (Civil) & Chander Dass and others.
55	Tek Chand S/o Sh. Mehar Chand, Firozepur Lirka. V/s Arjan Dev.
56	Hamid S/o Sh. Allaha Box, Nuh V/s Abdul Rashid and others.

57	Prem Singh S/o Sh. Rishal Singh Ward No. 9 Safidon End. V/s Roshan Lal S/o Sh. Sadhu Ram and others.
58	Ramdia S/o Sh. Lalu Ram Ward No .5 Safidon Distt Jind V/s Ishwar S/o Sh. Hari Chand and others
59	Kashmiri Lal S/o Sh. Deep Chand Safidon Distt Jind V/s Tara Chand & others.
60	Kartar Singh S/o Sh. Rulia Singh Kalyat Jind. V/s Mahi Pal S/o Sh. Siban Singh Kalyat Distt. Jind & others.
61	Jogi Ram S/o Sh. Mansa Ram W. NO. 11 Uchana Kalan, Jind V/s Biru S/o Sh. Jhandu Ram Narwana Jind & others
62	Dilbag Rai S/o Sh. Piara Lal W.No. 18 Jind

	V/s Raghubir Singh S/o Sh. Panna Lal and others
63	Sunil Kumar S/o Sh. Gita Ram Narwana Distt Jind. V/s Mohan Parkash Gupta Advocate Narwana.
64	Suresh Kumar S/o Sh. Mohinderpal Safidon City Jind. V/s Subhash Chand S/o Sh. Jado Ram Distt. Jind & others.
65	Atam Parkash S/o Sh. Roshan Lal, Sirsa V/s Jai Dayal & others.
66	Krishan Kumar S/o Sh. Brij Lal, Sirsa V/s Gobind Ram & others.
67	Vinod Kumar S/o Sh. Niranjan Lal, Sirsa V/s Shanti Lal & others.
68	Mahavir, S/o Sh. Gheru Ram, Sirsa

	V/s Prem Kumar & others.
69	Shanti Sarup S/o Sh. Suraj Bhan, Sirsa V/s Om Parkash & others.
70	Jagdish S/o Sh. Mangal Ram, Sirsa V/s Om Parkash & others.
71	Shri Niwas S/o Sh. Mukand Lal, Sirsa V/s Subhash Chander & others.
72	Hari Parkash Batra S/o Sh. Ram Lal, Sirsa V/s Mohan Lal & others.
73	Vedman Sarup S/o Sh. Shiva Nand, Sirsa V/s Vijay Kumar & others.
74	Hari Bhajan Singh S/o Sh. Khem Chand, Sirsa V/s

	Har Gobind & others.
75	Mohinder Kumar S/o Sh. Tara Chand V/s Rajender Garg & others.
76	Om Parkash S/o Sh. Moti Ram V/s Sh. Nathi Ram & others.
77	Deep Chand S/o Sh. Jug Lal V/s Karan Pal Gupta.
78	Bihari Lal S/o Sh. Ram Chander V/s Vijay Kumar
79	Mohinder Kumar S/o Sh. Kashmiri Lal V/s Bhagirath & others.
80	Charan Dass S/o Sh. Shanker Ram V/s Surat Singh & others.

81	Jasbir Goel S/o Sh. Nora ng Ram V/s Arvind Kumar & others.
82	Sushil Kumar S/o Sh. Suraj Bhan V/s Sukhdev & others.
83	Harbans Lal S/o Sh. Satnam Dass V/s Jug Lal & others.
84	Munshi Ram S/o Sh. Kanshi Ram V/s Prem Chand Shukla & others.
85	Satish Kumar S/o Sh. Shikar Chand V/s Rajender Garg & others.
86	Chiranji Lal S/o Sh. Bhajan Lal V/s Sh. Amar Nath & others.
87	Om Parkash S/o Sh. Telu Ram

	V/s Kapoor Chand & others.
88	Om Parkash S/o Sh. Kala Ram V/s Rajkishan & others.
89	Dev Dutt S/o Sh. Puran Singh V/s Nand Lal & others.
90	Ashok Kumar S/o Sh. Hukam Chand Jain V/s Yash Kumar & others.
91	Fateh Chand S/o Sh. Charan Dass V/s Subhash Chander.
92	Sh. Swaran Singh S/o Sh. Avtar Singh R/o Ward No.10 Nilokheri V/s Presiding Officer cum Asstt. Returning Officer Ward No. 10 Nilokheri and others.
93	Sh. Ajit Kumar S/o Sunder Dass R/o Panipat.

	V/s Sb. Amatjit Singh and others.
94	Sh. Surinder S/o Sh. Lakhmi R/o Assand V/s Sh. Sadhu Ram and others.
95	Sh. Deep Chand S/o Sh. Ram Sahai R/o Panipat V/s Sh. Vijay Kumar and others.
96	Sh. Ram Saran S/o Sh. Lal Chand R/o Karnal. V/s Sh. Chander Bhan and others.
97	Sh. Surjit Singh S/o Sh. Chhota Ram R/o Indri V/s . Sh. Ram Singh and others.
98	Sh. Nand Lal S/o Sh. Topan Dass R/o Tarori V/s Sh. Karnail Singh and others.
99	Sh. Beer Singh S/o Sh. Gurdeep Singh R/o Gharaunda V/s

	Sh. Datta Ram and others.
100	Sh. Om Parkash S/o Sh.Khushi Ram R/o Smalkha V/s Sh. Narshing Dool and others.
101	Sh. Satya Parkash S/o Sh. Suraj Bhan R/o Smalkha. V/s Narsingh Dool and others.
102	Sh. Puran Chand S/o Sh. Sewa Ram R/o Karnal V/s Sh. Ganga Ram and others.
103	Sh. Jai Pal S/o Sh. Ram Chander R/o Gharaunda V/s Sh. Madan Gopal and others.
104	Sh Moti Ram S/o Sh. Bhanna Ram R/o Indri V/s Sh Om Parkash and others
105	Sh. Yash Pal S/o Sh. Jai Dayal R/o Panipat V/s Sh. Om Parkash and others.

106	Sh. Radhye Sham S/o Sh. Notu Ram R/o Panipat V/s Sh. Rameshwar Dayal and others.
107	Sh. Jodha Ram S/o Sh. Khilandi Ram R/o Panipat V/s Sh. Kishan Lal and others.
108	Sh. Radhey Sham S/o Sh. Sangat Ram R/o Indri. V/s Sh. Raj Pal S/o Chunni Lal.
109	Sh. Om Parkash S/o Sh . Jyoti Prashad R/o Karnal V/s Sh. Ashok Kumar.
110	Sh. Brii Bhushan S/o Sh. Chattar Sen R/o Karnal V/s Sh. Ram Kishan and others
111	Sh. Ram Kishan S/o Sh. Ram Singh R/o Karnal V/s Sh . Lachhman Dass and others
112	Sh. Pishori Lal S/o Sh. BishembarDass R/o

	Gharaunda V/s Sh . Jai Narayan and others
113	Sh. Jagan Nath S/o Sh. Sant Ram R/o Assandh V/s Sh . Nand Lal and others.
114	Sh. Sat Parkash S/o Sh. Om Parkash R/o Jui V/s Sh . Pawan Parkash and others,
115	Sh . Balbir Singh S/o Sh. Rishal Singh R/o Ward No 9, Sonipat V/s Sh..Atain Parkash S/o Sh. Jodha Ram R/o Ward No, 14, Delhi Road, Sonepat and others .
116	Sh. Gian Singh S/o Sh. Jug Ram Ward No.12, R/o Gohana, Distt. Sonepat. V/s Sh. Moti Ram S/o Sh. Ram Chander R/o Ward No. 12, Gohana, Distt. Sonipat and others.
117	Dyal Chand S/o Sh. Howna Ram Rio Jeewan Nagar, Sonipat.

	V/s Returning Officer cum S.D.O. Civil Sonipat and others.
118	Sh. Ram Phal S/o Sh. Girdhari Lal R/o Ward No. 24, Sonipat. V/s Bhupinder Singh S/o Sh. Zile Singh Sonipat and others.
119	Sh. Sham Lal S/o Sh. Ram Bhaj R/o Ward No. 24 Sonepat V/s S.D.O. Civil Sonipat and others.
120	Sh. Rakesh Kumar S/o Sh. Kesho Lal R/o Ward No. 17 V/s S.D.O. Civil Sectt. and others.
121	Sh. Krishan Kant Bhardwaj R/o Sonipat V/s Sh. Sarup Singh S/o Jogi Ram and others.
122	Sh. Balwan Singh S/o Sh. Sukhinder Singh R/o Sonipat

	V/s Sh. Hukam Singh S/o Sh. Lehri Singh and others.
123	Sh. Sat Parkash S/o Bhagwan Singh R/o Bahadurgarh Distt. Rohtak V/s Sh. Tej Singh S/o Ram Kanwar and others.
124	Sh. Jitender S/o Daya Krishan House No. 473/14 Tegore Street near Women Hospital, Rohtak. V/s Sh. Jai Singh and others.
125	Sh. Saroop Singh S/o Lal Chand Dairy Mohalla, Rainakpura, Rohtak V/s Sh. Raj Singh Bagri and others.
126	Sh. Khem Chand S/o Sh. Manohar Lal, R/o Lambi Gali, Bahadurgarh, Distt. Rohtak. V/s Sh. Siri Chand S/o Sh. Ram Chander and others.
127	Sh. Mahabir Singh S/o Sh. Richhpal Singh, Haridherpur (Dherpana) Village & P.O. Meham,

	Tehsil Meham, Distt. Rohtak. V/s Sh. Palu Ram S/o Sh. Sheo Chand and others.
128	Sh. Kikar Singh S/o Sh. Jhundu Singh, Kalanaur Tehsil and Distt. Rohtak V/s Sh. Kishan Singh S/o Sh. Chandan Ram and others
129	Sh. Krishan Singh S/o Badlu Ram S/o Giani Ram, Ward No. 1, Kanwar Singh Colony, Jhajjar. V/s Sh. Ranvir Singh Rathi S/o Sh. Sher Singh and others.
130	Sh. Raj Kumar Sharma S/o Pt. Ram Richpal Sharma, Railway Road Rohtak. V/s Sh. Tara Chand Ski Sh. Ram Sarup and others.
131	Sh. Ram Parkash S/o Sh. Gordhan Singh, House No. 311/20 at Rohtak V/s Sh. Chandgi Ram and others.
132	Sh. Parkash Chand S/o Sain Ditta Model Town,

	Rohtak
133	Sh. Jai Singh S/o Chhabil Dass V/s Sh. Kedar Nath and others.
134	Sh. Lakhpat Rai S/o Sh. Man Singh V/s Ram Niwas and others.
135	Sh. Mange Ram S/o Parbhata Ram V/s Sh. Jitta Ram and others.
136	Sh. Anoop S/o Sh. Balbir Singh V/s Mohan Lal and others.
137	Sh. Ram Singh Verma S/o Krishan Dass V/s Sh. Naresh and others.
138	Sh. Assa Ram S/o Sh. Rish Pal. V/s Ramji Lal and others.

139	Sh. Ramji Lal S/o Sh. Khub Chand V/s Ramji Lal and others.
140	Sh. Ratti Ram S/o Lekh Ram V/s Jagat Singh and others.
141	Sh. Balbir Singh S/o Babu Ram V/s Sh. Guljar Raj and others._
142	Sh. Ram Karan S/o Dharup Parshad V/s Madan Lal and others.
143	Balbir Singh S/o Hira Lal V/s Om Parkash and others.
144	Sh. Vijay Pal S/o Diwan Singh V/s Jitender and others.
145	Sh. Sohan Lal S/o Moti Lal

	V/s Bansi Dhar and others.
146	Sh. Ram Sarup S/o Bhola Ram V/s Tirlok Kumar and others.
147	Sh. Harish Chander S/o Ramrish Pal V/s Rameshwar and others.
148	Sh. Murli Dhar S/o Nathu Ram V/s Gianider Singh and others.
149	Smt. Rani W/o Jagdish Chander V/s Om Parkash and others.
150	Sh. Assa Nand S/o Sh. Bhan Singh V/s Madan Lal and others.
151	Sh. Gagan Singh S/o Balwant Singh V/s

	Pardeep Kumar and others.
152	Sh. Umed S/o Banwari V/s Harbans and others
153	Sh. Ravinder S/o Jaswant Singh V/s Bishnu Kumar and others.
154	Sh. Ram Partap S/o Ram Kumar V/s Ramdid Dass and others.
155	Sh. Jai Dayal S/o Joku Ram V/s Sugan Chand and others.
156	Sh. Ashok Kumar Purohit S/o Girwar Lal V/s Sadhi Ram and others.
157	Sh. Vidya Sagar S/o Lakhmi Narain V/s Davarka Parsad and others.

158	Sh. Ram Partap S/o Shiv Lal V/s Balwant Singh and others.
159	Sh. Balbir Singh S/o Parbhu Singh V/s Rajinder Singh and others.
160	Sh. Dayal Chand S/o Ghanu Ram V/s S.D.O. Civil and others.
161	Sh. Surinder Kumar S/o Dr. Munna Lal V/s S.D.O. Civil and others.
162	Sh. Bal Gopal S/o Kanhia Lal V/s Sh. Ishwar Dass and others
163	Sh. Satyanarain S/o Bishamber Dayal V/s S.D.O. Civil and others.
164	Sh. Suresh Chand S/o Sh. Nand Kishore.

	V/s S.D.O. Civil Narnaul and others.
165	Sh. Paras Ram S/o Kundan Lal V/s Satya Narain and others.
166	Sh. Jagdish Chander S/o Bhwani Shankar V/s Returning Officer (S.D.O. Civil) Narnaul and others.
167	Sh. Baldev Singh S/o Lakhmi Singh V/s S.D.O. Civil Narnaul and others.
168	Sh. Babu Pal S/o Chandu Lal V/s Raj Kumar and others.
169	Sh. Sahi Ram S/o Sh. Mehar Chand Ahir, Mohindergarh V/s Mahavir and others.
170	Sh. Daulat Ram S/o Bhura Ram

	V/s Parbhati Lal and others.
171	Sh. Satish Kumar S/o Guljari Lal V/s . Raj Kumar and others.

Opening of Employment Exchange

104. Er. Jagpal Singh Chaudhri: Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to re-open the Sub-employment Exchange at Shazadpur; and

(b) if so, the time by which it is likely to be re-opened ?

श्रम तथा रोजगार राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह): जी नहीं ।

Holding of Elections

105. Er. Jagpal Singh Chaudhri: Will the Minister for Development and Panchayat be pleased to state whether it is a fact that Panchayat elections in village Shazadpur in Tehsil Naraingarh were not held alongwith other Panchayats in the State; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to hold the election of the above-said Panchayat ?

विकास मन्त्री (श्री हुकम सिंह): हां, नगरपालिका शहजादपुर को समाप्त करने बारे मामला, उच्च न्यायालय में लम्बित है और उच्च न्यायालय के निर्देशों अनुसार नगरपालिका को समाप्त करने के आदेश के सम्बन्ध में इस दौरान कोई कार्यवाही न की जाए। अतरू उच्च न्यायालय के निर्णय होने तक पंचायत का चुनाव नही करवाया जा सकता।

Allotment of Mini Buses to Naraingarh Depot of Haryana Roadways

106. Er. Jagpal Singh Chaudhri: Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide mini-buses/buses to the Naraingarh Sub-Depot during the year 1989-90;

(b) if so, the number thereof togetherwith the time by which the aforesaid buses are likely to be provided ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह):

(क) हां।

(ख) वर्ष 1989–90 में नारायणगढ़ सब–डिपो में 5 नई बसें और डाली जाने की संभावना है। इस समय वहां 52 बसें हैं।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने कल गवर्नमैंट ऐम्पलाइज के बारे में एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस दिया था उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्षः वह अंडर कसिड़ेशन है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने एक और काल अटैंशन मोशन का नोटिस कनफैड के ऐम्पलाईज की टर्मीनेशन आफ सर्विस के बारे में दिया था, उसके बारे में भी अपि कृपया बता दें।

Mr. Speaker: That is also under consideration.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस दिया हुआ है, उसका क्या बना?

Mr. Speaker: That is also under consideration.

श्री कैलाश चन्द शर्माः स्पीकर साहब, मेरी भी एक काल अटैंशन मोशन थी।

श्री अध्यक्षः. वह अभी मेरे पास नहीं पहुंची है। वह औफिस में होगी।

श्री कैलाश चन्द शर्माः स्पीकर साहब, मैंने चार तारीख को आपकी सेवा में डौकुमैंट्स के साथ एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था, उसका क्या बना?

श्री अध्यक्षः वह अभी औफिस में ऐग्जामिन हो रही है। It has not come to me and I have not taken any decision on that as yet. Please take your seat.

नियम 22 (2) के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 22 (2) के तहत प्रस्ताव पेश करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): Sir, I beg to move—

That the discussion on Governor's Address be postponed in favour of the discussion and decision on the Official Resolution regarding ratification of the Constitution (Sixty-Second Amendment) Bill, 1988.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ

That the discussion on Governor's Address be postponed in favour of the discussion and decision on the Official Resolution regarding ratification of the Constitution (Sixty-Second Amendment) Bill, 1988.

श्री अध्यक्षः प्रश्न है—

That the discussion on Governor's Address be postponed in favour of the discussion and decision on the Official Resolution regarding ratification of the Constitution (Sixty-Second Amendment) Bill, 1988.

The motion was carried.

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 30 के तहत प्रस्ताव पेश करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): Sir, I beg to move—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 23rd February, 1989.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ—

कि हरियाणा विधान सभा के रूल्ज औफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट औफ बिजनैस के रूल 30 को सस्पैडं किया जाए तथा थर्सडे, 23 फरवरी, 1989 को औफिशियल बिजनैस ट्रांजैक्ट किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है —

कि हरियाणा विधान सभा के रूल्ज औफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट औफ बिजनैस के रूल 30 को सस्पैंड किया जाए तथा थर्सडे, 23 फरवरी, 1989 को औफिशियल बिजनैस ट्रांजैक्ट किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरकारी संकल्प

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 के अनुसार अनुसमर्थन संबंधी

श्री अध्यक्षः अब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर औफिशियल रैजोल्यूशन मूव करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh)**:** Sir, I beg to move—

That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clause (d) of the Proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Sixty-Second Amendment) Bill, 1988, as passed by the Houses of Parliament.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clause (d) of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Sixty-Second Amendment) Bill, 1988, as passed by the Houses of Parliament.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, इस अमैंडमैंट के बारे में दुर्भाग्य से मेरे पास कागज इन टाईम नही पहुच पाये जिसकी वजह से मैं इस अमैंडमैंट के बारे में स्टडी नही कर सका। मोटी बात इस प्रस्ताव के बारे में यह है कि भारत के नागरिकों को अब वोट देने का अधिकार 21 वर्ष की उमर से घटा

कर 18 वर्ष किया जाना है। मैं बताना चाहूंगा कि यह डिमांड हमारी अपोजीशन वालों की काफी समय से थी कि वोट देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हर लड़के या लड़की को मिलना चाहिए। आखिर भारत सरकार ने यह बात मान ली और अब संविधान के तहत इसके अनुमोदन के लिए यह प्रस्ताव यहां पर लाया गया हैं। हमारी सरकार ने यह प्रस्ताव ला कर अच्छा कदम उठाया है लेकिन मुझे खेद है कि पोल रिफार्मज की जो बात 1984 के चुनावों के दौरान प्रधान मन्त्री जी ने कही थी उस बारे में संतोषजनक सुधार अभी तक सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। यहां पर मैं यह बात कह सकता हूं कि चुनाव में जो धांधली होती है या जो रैगिंग होती है वह दूर होनी चाहिये। पीछे उधमपुर में जो चुनाव हुआ था उसके बारे में अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि श्री भीम सिंह को पार्लियामैंट का चुनाव जीते जिताए हरवा दिवा। कांग्रेस पार्टी क्या काम कर रही है उसके बारे में भी सभी को पता है। अर्जुन सिंह के बारे में तो वहां की हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट ही दे दिया हैं, जिसके कारण उन्हैं इस्तीफा देना पड़ा। (विघ्न) महैंन्द्र प्रताप जी तो हमारे पुराने साथी हैं। इन्हैं तो चौधरी देवी लाल जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी मेहरबानी से ये चुनाव जीत कर आये थे। यह अलग बात है कि ये बाद में कांग्रेस में चले गए। अब भी यदि कोई सुबह का भूला सायं को घर वापस आ जाये तो उसे भूला हुआ नहीं कहते।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः मैं किसी की मेहरबानी से नहीं आया मुझ तो जनता ने चुन कर भेजा है।

श्री मंगल सैनः ये तो अपनी बात अपने ढंग से कर रहैं हैं। मेरे हिसाब से ये यह बात बेमौसमी कह रहैं हैं जबकि मैं टू दि प्वायंट बात कर रहा हूं। अब भारत की संसद ने वोट देने का जो अधिकार 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष का किया है, यह अच्छा कदम है। मैं इन्हैं बताना चाहूंगा कि आने वाली युवा पीढ़ी आपके खिलाफ है। ये जो बात पूज्य महात्मा गांधी जी के आदर्शों के बारे में कहते हैं उस बारे मे मैं यह कहना चाहता हूं कि अब गांधी जी तो हैं लेकिन महात्मा गांधी की जगह पर राजीव गांधी हैं और खद्दर की जगह पर टैरालीन है। अब कांग्रेस पार्टी के पहले वाले वैल्यू बिल्कुल बदल गए हैं। इनके कानूनों से सब कुछ पौल्यूट हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, पंजाब में हमारे एक महानुभाव हुआ करते थे पण्डित मोहन लाल जी अब उनका स्वर्गवास हो गया है, वे पैदल चल कर आया करते थे। जब उन्हैं कहा गया कि आप फर्स्ट क्लास का किराया ले लो तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लूंगा। इसी बात पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक आदर्श कायम किया। एक आदर्श इन कांग्रेस वालों ने कायम किया है जिसका भगवान ही मालिक है। आज पैसा, शराब और मसलमैन की चुनाव में खुली छूट होती है। इनकी इन बातों को मद्देनजर रखते हुए यह कदम बहुत अच्छा है और यह जो संकल्प यहां

लाया गया है मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं। यह जल्दी से जल्दी लागू हो ताकि आने वाले लोक सभा चुनावों से पहले ही यह कानून बन जाए जिससे 18 साल के नवयुवकों को वोट देने का अधिकार मिल जाए। वे अपने वोट को इस तरह देंगे कि कम–से–कम राजीव गांधी तथा उनकी पार्टी की छुट्टी कर देंगे। धन्यवाद।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्योंकि विरोधी पार्टियों की सरकारों ने बहुत से प्रान्तों में 21 साल की बजाय 18 साल के नवयुवकों को वोट देने का अधिकार म्यूनिसिपिल कमेटियों के इलैक्शन में पहले ही दे रखा है। इसलिए देर आयद दुरुस्त आयद। नौ– जवानों की भावना को देखकर केन्द्र सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा और 18 वर्ष की आयु के नौजवानों को मताधिकार देने का फैसला करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि किसी भी देश की, समाज की भावी पीढ़ी, नौजवान होते हैं और उन्हीं के कंधों पर देश का भार टिका होता है। आज जिस प्रकार की चुनाव प्रणाली है उसके लिए शहीद भगत सिंह और चन्द्र शेखर आजाद ने आजादी प्राप्त करने के लिए कुर्बानियां दीं, केवल इसलिए ताकि हिन्दुस्तान में गरीब–से–गरीब और साधारण–से–साधारण व्यक्ति को भी यह हक मिले कि वह अपनी इच्छा के अनुसार सरकार चुन सके। चुनाव की

जो व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नही हुआ है। आज व्यवस्था है धन की, क्योंकि आज की व्यवस्था पूंजीगत व्यवस्था है, पूंजी का प्रसार हो रहा है। चुनाव में आज जिस प्रकार से पूंजी का प्रयोग हो रहा है वह खतरनाक है लेकिन पूंजी ही सब कुछ नहीं है। जन–भावना सबसे बड़ी चीज है। आदरणीय चौधरी देवी लाल ने न्याय युद्ध किया, संघर्ष का संकल्प किया और वे सारे हरियाणा की जनता के अधिकारों के लिए खड़े हुए। केन्द्र सरकार में जो धन्ना सेठ बने बैठे थे उनकी पार्टी को ठिकाने लगा दिया। इसमें हरियाणा की जनता ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनावों में सुधार की जरूरत है। आज सीना जोरी से बूथ कैप्चरिंग की जो बाते हैं ये लोकतन्त्र के लिए घातक हैं। इन कामों से लोकतन्त्र नौजवानों के हाथों से बच जाएगा या समाप्त हो जाएगा, यह तो मालूम नहीं। केवल बूथ कैप्चरिंग ही नही यहां तक कि आगजनी भी होती है और फिर भी मामला समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति लोकतन्त्र के लिए बहुत ही दुखद है। इस देश के कानून में ऐसा सुधार किया जाना चाहिए जिससे इस तरह की घटनाए न हों। नौजवानों की भावनाओं का आदर करते हुए केन्द्र सरकार ने जो थोड़ा बहुत किया है यह केवल सत्ताधारी पार्टी ने अपने फायदे केलिए किया है। इसी तरह से डिफैक्शन बिल की बात बै। हमारे हरियाणा के एक मैम्बर भी हमारी पार्टी से चुने गये उन्होंने पार्टी बदलने के बाद भी अपनी मैम्बरशिप बनाए रखी। इस प्रकार उन्होंने अपने अधिकारों को मिसयूज किया है। प्रजातन्त्र में,

संविधान में जो लाभ प्राप्त हैं, सत्ता में बैठे लोग उनका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इस सदन में यह जो बिल लाया गया है इससे कई सुधार होंगे। जो अमैंडमैंट सदन में पेश की गई हैं मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि 15 साल के बाद केन्द्र की सरकार ने यह बात मानी है। 15 साल तक संघर्ष करने के बाद भी केवल एक बात मानी है। जब हमने 21 साल से आयु कम करके 18 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दे दिया तो साथ ही इलैक्शन में खड़ा होने के लिए जो 25 साल की हद है उसको भी कम करना चाहिए। उसे कम करके 21 साल करना चाहिए था ताकि विधान सभाओं में और पार्लियामेंट में युवकों को आने का अवसर मिलता। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि इलैक्शन में सुधार करने का वैसे तो बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन और भी बहुत सुधार करने की जरूरत है। हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली है उसमें जो माइनोरिटी पार्टी है, जिसको माइनोरिटी के वोट मिले हैं वह मैजोरिटी के खिलाफ आज राज करते हैं। 33 और 40 परसैन्ट वोट ले कर वे 60 परसैन्ट के खिलाफ अपना राज करते हैं। कांग्रेस सैन्टर के अन्दर और स्टेटों के अन्दर इसी तरह से वोट कम लेती है लेकिन अपोजीशन पार्टी जिनके वोट ज्यादा होते हैं, पर राज करती है। चुनाव प्रणाली ऐसी है जिसके कारण ऐसा

होता है। उनके कैन्डीडेट्स ज्यादा जीत जाते हैं इसलिए वे राज करते हैं। इसका भी कोई हल निकालना चाहिए। इसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रजैन्टे– शन का तरीका अख्तियार किया जाये। वह तरीका सिर्फ यही नहीं कि जिस पार्टी का जितना क्षेत्र है उतनी ही उसको रिप्रजैन्टेशन मिले बल्कि इसके और बहुत ज्यादा फायदे देश को हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रजैन्टेशन होगी तो वोट उनकी पार्टी को पड़ेगी, जो व्यक्ति खड़े हैं उनको पड़ेगी और राजनैतिक चेतना भी इससे बढ़ेगी। हिन्दुस्तान में राजनैतिक बंटवारा होगा, उससे यह फायदा होता है कि जितनी किसी पार्टी को वोट मिली हैं उतने परसैन्ट उसके नुमायन्दे असेम्बली में जाते हैं। दूसरी बात, एक बहु त बड़ी खामी जात पात के नाम पर होती है कहीं कास्ट के नाम पर वोट मांग रहैं हैं, कहीं धर्म के नाम पर मांग रहैं हैं, कहीं इलाके के नाम वोट मांग रहैं हैं। ये सारे काम हमारे देश में फूट के कारण बनते हैं। वे सारे खत्म हो जाते हैं अगर प्रोपोर्शनल रिप्रजैन्टेशन लागू कर दी जाये। मैं यही कहना चाहता हूं कि इससे भद्दी शक्ल क्या हो सकती है। जिन लोगों ने हरियाणा के अन्दर पंजाबी यानी दूसरी अकलियत जो हरियाणवी के बाद आती है, बहुत बड़े सोशल ग्रुप को उनकी बोली न दे कर यहां पर केवल वोट की गरज से तमिल भाषा लागू की थी। आज वही लोग पंजाबी के नाम पर कनवैन्शन कर रहैं हैं और ऐक्सप्लायटेशन कर रहैं हैं। इसलिए केवल प्रोपोर्शनल रिप्रजैन्टेशन से ही सही प्रतिनिधित्व लोकसभा में जा सकता है। यह मेरा विचार है और

यह विचार हमारे महान सदन की तरफ से पार्लियामैंट में जाना चाहिए। ये इस रेटिफिकेशन बिल का पूरा अनुमोदन करता हूं।

श्री कैलाश चन्द शर्मा (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस रैटिफिकेशन का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। वास्तव में विरोधी दल पिछले बीस साल से अलग अलग मैचों से सामूहिक रूप से यह मांग कर रहैं थे कि 18 साल के नौजवान को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जब 18 साल का लड़का वयस्क होने पर शादी कर सकता है, प्रौपर्टी में हिस्सा ले सकता है तो उसे वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए। बहुत लम्बे समय से यह बात चली आ रही थी जिसे आज स्वीकार कर लिया गया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा मसला हमारे देश के सामने है, जिसे बार–बार रखा गया है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। केवल 18 साल के नौजवान को वोट देने का अधिकार देने से चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकेंगे। वास्तव में चुनाव के अन्दर सारा रोल पूंजीपतियों का होता है। पूंजीपति चुनाव में आधिपत्य जमाये बैठे होते हैं। चुनाव में सारा पैसा पूंजीपति खर्च करते हैं। चुनाव में पैसा किसी न किसी तरह पूंजीपति से आता हैं। स्वाभाविक तौर से उनका थोड़ा बहुत प्रभाव चुने हुए नुमायम्दों पर होता है। इसलिए अनेक विरोधी दलों ने और हमारी पार्टी ने मांग की थी कि चुनाव का खर्च सरकार बहन करे। ऐसा करने से चुने हुए नुमायन्दें पूंजीपतियों के चुंगल में

नहीं रह सकेंगे और वे आराम से और हिम्मत से गरीबों की बात विधान सभा और लोक सभा में रख सकेंगे। इसलिये इसमें यह व्यवस्था होनी चाहिये थी कि चुनाव का खर्चा सरकार बहन करे, परन्तु इस पर विचार नहीं किया गया। इसी प्रकार से चुनाव सिस्टम के अन्दर जो धांधलियां होती हैं, जो बोगस पोलिंग होती है या बूथ कैप्चरिंग होती है, इसके लिये हमने कुछ सुझाव दिये थे, उन पर भी विचार नही किया गया। हमारा कहना यह था कि इलैक्ट्रोनिक मशीनों द्वारा चुनाव होने चाहियें। कई बार इस पर चर्चाए चलीं परन्तु इस बात को भी स्वीकार नहीं किया गया। इसी तरह से हमारा चुनाव आयोग इस समय एक सदस्यीय है। विरोधी दलों ने कई बार मांग की है कि एक सदस्यीय आभोग कभी भी ठीक प्रकार से निर्णय नहीं कर सकता। विरोधी दलों ने बार–बार मांग की है और इस बारे में मैमोरैंडम भी दिये हैं कि चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या 3 या 5 होनी चाहिये। अगर 5 सदस्य नहीं तो कम से कम 3 सदस्य जरूर होने चाहियें क्योंकि एक सदस्य जब भी कोई निर्णय लेता है तो यह बात स्वाभाविक ही है कि वह निर्णय कई बार गलत भी हो सकता है। इसलिये सभी विरोधी दलों ने यह मांग की थी कि इस आयोग के अन्दर कम से कम 3 या 5 सदस्य जरूर होने चाहियें। 3 या 5 लोगों का सदस्य मंडल बनाया जाये जो चुनाव के बारे में मुददो का ठीक प्रकार से निपटारा कर सके और चुनावों का सही रूप से संचालन कर सके। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जब तक इस चुनाव आयोग का विस्तार नहीं होगा, तब तक ठीक प्रकार से यह उभर कर

सामने नहीं आ पायेगा। हमारी पार्टी ने भी और विरोधी दलों ने भी यह प्रस्ताव रखा था कि चुनाव के अन्दर जीत या हार का आधार अधिक या कम वॉटों पर व रूप में आधारित होना चाहिये। अब जो चल रहा है है इससे जनता की ठीक भावनाओं या सही निर्णय का पता नहीं हो पाता। कई बार यह देखा जाता है कि देश की 66 प्रतिशत जनता कुछ चाहती है और 33 प्रतिशत जनता कुछ और चाहती है। चूंकि वोटों का बंटवारा हो जाता है इसलिये 66 प्रतिशत जनता की भावना सामने नहीं आ पाती। इसलिये इसमें भी सुधार किया जाना चाहिये और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव का निर्णय आना चाहिये ताकि देश की जनता की भावना ठीक प्रकार से सोमने आ सके। तब ही ऐसा सम्भव हो पायेगा जब इसमें आमूल–भूल परिवर्तन किये जायें। चुनाव आयोग को सारे देश की भावना को सामने रखकर अनुपातिक प्रधि–निधित्व सिस्टम को लागू करना चाहिये ताकि उसके अनुसार पार्टियों को लोक सभा में भी और विधान सभाओं में भी पूरा प्रतिनिधित्व मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इतना ही कह कर मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख आज 62वे सविधानिक संशोधन के बारे में चर्चा हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष और इस देश की जनता बड़े लम्बे अर्से से यह मांग करती आयी हैं कि देश को युवा पीढी को देश के निर्माण में और अच्छा भागीदार बनाया जाये, उसे

उत्तरदायित्व सौंपा जाये और उसे जिम्मेवार बनाया जाये। जो देश में कांग्रेस सरकारें और इसके कर्णधार रहैं हैं, वह जनहित और राष्ट्र हित में जब भी कोई मुद्दा उठाया जाता है, उसको अपनाते नहीं हैं, उसको मानते नहीं हैं लेकिन जब हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई बचाव नही होता तो विवश होकर, मजबूर होकर उन्हैं वह काम करना पड़ता है। यह जो मताधिकार की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल करने का प्रावधान होने वाला है, उसको संसद के दोनों सदन पास कर चुके हैं। विधि विशेषज्ञों की राय थी कि संसद के दोनों सदनों में पास हो जाने के बाद ही इसको लागू किया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है। पास तो कर दिया परन्तु कांग्रेस के हमारे ये लोग देश की युवा पीढ़ी से घबराते हैं। वे अपने दिल से नहीं चाहते कि अठारह साल और इक्कीस साल के बीच की जो युवा पीढ़ी है उसे मताधिकार मिले। इस चीज को टालने के लिए उन्होंने विधान सभाओं से इसे पास कराने का सिलसिला शुरू किया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज इस देश में सात प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें हैं और हरियाणा की तरह वे 62बे संशोधन के०पर अपनी राय देकर केन्द्र सरकार को इसमें विलम्ब न करने के लिए मजदूर कर सकती हैं और जल्दी ही इक्कीस साल से मताधिकार की आयु घटाकर अठारह साल करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब युवा पीढ़ी चुनावी प्रक्रिया में शामिल होगी तो जो शासक इस देश के खिलाफ और विशेषकर युवा गिद्धों के खिलाफ आचरण करते रहैं हैं, उसका उन्हैं परिणाम देखने को

मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, काफी लम्बे अर्से से इस बारे में बात चल रही थी। जैसा कि मैंने कहा है कि हालात से मजबूर होकर यह किया जा रहा है। यह स्वागत योग्य है। इसलिए इसको पारित करना चाहिए। संघर्ष के दिनों में आपने और हमने कहा था कि गरीब किसानों के और मजदूरों के कर्जे माफ होने चाहिएं। कांग्रेस के लोग जो उस समय सत्ता में थे, ने कहा कि ऐसा करना सम्भव नही है। ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो सके तो हम सब से पहले कर दें। लेकिन हरियाणा में यह लोकप्रिय सरकार बनी और इसने किसानों के, गरीब आदमियों के कर्जे माफ किए। उसके बाद, जो कांग्रेसी कहा करते थे कि कर्जे माफ नहीं हो सकते उन्हीं की महाराष्ट्र में जो सरकार है उसने हरियाणा का अनुसरण करके कर्जे माफ करने को बात की 'है। जो कुछ विपक्ष करता है और जब जनता का दबाव होता है उसको कांग्रेसी करते तो हैं लेकिन दबाव के बाद और माहौल से मजबूर होने के बाद। अध्यक्ष महोदय, इस तरह 62वे संविधान संशोधन का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर भारत को जनता के साथ छल किया था, इस देश के साथ फरेब किया था। उनके राज में गरीबी घटने की बजाए बढ़ती चली गई। अब हमारे देश के वर्तमान प्रधान मन्त्री विपक्ष की आवाज को मद्देनजर रखते हुए बेकारी हटाओ की बात रोज करते हैं। गरीबी नहीं बेकारी हटाओ हमारा नारा है। मैं आज हरियाणा विधान सभा के इस महान सदन में प्रधान मन्त्री को कहना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा

सरकार जो बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील है, उनकी त्रासदी को कम करना चाहती है उसने एक प्रस्ताव हरियाणा विधान सभा में पारित करके केन्द्रीय सरकार को भेजा हुआ है कि वह संविधान में संशोधन करे और काम के अधिकार को भी संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल करे। आज कांग्रेस सरकार इस देश में बैठी हुई है और दिल्ली पर काबिज है। उसके पास संसद के दोनों सदनों में पर्याप्त बहुमत हैं'। जब वह इक्कीस साल से घटाकर अठारह साल का मताधिकार की आयु का प्रस्ताव पास कर सकती है और बेकारी हटाओ का नारा देती है तो उसी तरह से वहं एक और संविधान संशोधन करके काम के अधिकार को भी संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल कर दे। अगर वह ऐसा नहीं करती तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि राजीव गांधी बेकारी हटाओ की महज कोरी बात करते हैं लेकिन बेकारी हटाने के प्रति गम्भीर नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो मताधिकार की आयु कम करने का प्रस्ताव है यह आपके सम्मुख है, इसका मैं समर्थन करता हूं और मैं चाहूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए।

श्री रतन लाल कटारिया (रादौर, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं संविधान के इस संशोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले बीस वर्षो से विपक्षी दलों द्वारा लगातार यह मांग हो रही थी कि देश के अठारह वर्ष के नवयुवकों को मतदान का अधिकार दिया जाए। स्पीकर साहब, इस देश में इलैक्शन कमीशन केन्द्र में बैठी सरकार की कठपुतली बन गया है।

इलैक्शन कमीशन के रोल के द्वारा ही जम्मू काश्मीर में भीम सिंह को हराया गया और मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह को जिताया गया। इसी तरह से हिन्दुस्तान के दलित वर्ग को वोट डालने के समय रोक दिया जाता है। इन सब बातों को विपक्षी दल समय समय पर उठाता रहा है। आज भारत का प्रधान मन्त्री इस बात पर लगा हुआ है कि वह किस तरह से अपना अस्तित्व बचाए और उस अस्तित्व को बचाने के लिए चाहिए कमिटिड जुडीशियरी। आज प्रधान मन्त्री अपने दिल के अन्दर इस बात को लिए हुए हैं कि इलैक्शन कमीशन उसके हाथ का पपेट होना चाहिए ताकि चुनाव सम्बन्धी उसके बुरे इरादे पूरे किए जा सकें। अध्यक्ष महोदय, इस बात को देखते हुए विरोधी दल के नेताओं ने ऐसा माहौल पैदा किया जिससे मजबूर होकर सरकार को 21 साल की बजाय 18 साल की आयु के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार देना पड़ा। इस तरह से देश के 5 करोड़ अतिरिक्त लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। जिन लोगों को मत देने का अधिकार होगा वे आने वाले भविष्य को अच्छी प्रकार से देख सकेंगे कि हम को किधर जाना है, किस प्रकार से देश की व्यवस्था करनी है।

11.00 बजे।

अध्यक्ष महोदय हमारे संविधान में तीन सूचियां हैं, केन्द्र सूची, राज्य सूची व कंकरैन्ट सूची। इन तीनों सूचियों के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य को अलग अलग काम करने के अधिकार दिये गये है। मेरा तो सुझाव है कि पंचायत इलैक्शन्ज को भी किसी

कमीशन के जरिये करवाया जाना चाहिये ताकि पूजनीय महात्मा गांधी जी और श्री जयप्रकाश नारायण जी के सपनों को साकार बनाया जा सके और 18 साल के नवयुवकों को अपने मताधिकार को प्रयोग करने का पूरा पूरा मौका दिया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस रेजोल्यूशन का समर्थन करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, चुनावों में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का जो प्रस्ताव यहां पर पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की सरंचना करने से पहले हमारे ऐक्सपर्टस ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और देश की हालत को स्टडी करने के पश्चात् हमारे संविधान में 21 वर्ष की आयु तक के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। आज उसी के बलबूते पर हम यहां पर बैठे हैं और वही प्रक्रिया आज तक हमारे देश में चल रही थी। माननीय सदस्यों ने यह बात कहकर के संतोष व्यक्त करना चाहा कि इस मामले पर शुरू से ही विपक्षी सदस्यों की तरफ से मांग होती रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के दबाव में आकर यह सारी चीज की गयी है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिये था लेकिन भारत सरकार ने इस मामले में जानबूझ कर डिले की। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों को यह समझ लेना चाहिये कि किसी एक अहम मसले को बिना

सोचे समझे नहीं सुलझाया जाना चाहिये। ये तो चाहते हैं कि मुंह से बात निकले और उसको तुरन्त पूरा कर दिया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत एक प्रजातन्त्र देश है और इसने प्रजातन्त्र के कई कीर्ति– मान स्थापित किये हैं। समय समय पर यहां पर हकूमतें बदलती रही हैं। अगर कांग्रेस का प्रजातन्त्र में विश्वास न होता तो यहां पर हकूमतें न बदलतीं। अगर हमारा प्रजातन्त्र पर विश्वास न होता तो पिछले दो इलैक्शनों में, हरियाणा में सत्ता का आदान प्रदान न होता। प्रजातन्त्र होने की वजह से ही हरियाणा की जनता ने 1977 और 1987 में हरियाणा की सत्ता जनता पार्टी और लोकदल के हाथों में सौंपी। प्रजातांत्रिक ढांचे में ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारी जबान से निकले उसे तुरन्त लागू कर दिया जाए बल्कि उसमें तो जनमत की राय जानी जाती है, उसके बाद ही कुछ फैसला किया जाता है। तो अध्यक्ष महोदय, यह मांग आज की नहीं है। स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा जी के समय से ही यह मांग रही है और एन० एस० यू० आई० ने भी इसी मांग को दोहराया था। इसके लिये केन्द्र सरकार ने एक पार्लियामैन्ट्री कमेटी बनायी और पार्लियामैन्ट की मुख्तलिफ एजेंसियों और प्रैस में भी इस बात की चर्चा रही है कि इसको मौका दिया जाना चाहिए था। प्रजातांत्रिक पद्धति का यही तरीका है कि जब तक जनमत तैयार न हो, जनता का उसके लिए फैसला न हो तब तक प्रजातन्त्र में वह फैसला नहीं किया जा सकता। तो यह कहना कि यह मांग विपक्ष की थी, यह गलत बात है। यह मांग तो इन्दिरा जी के समय से चलती आ रही थी। यह देखा गया कि

जनमत क्या कह रहा है। जनमत की भावना क्रो देखते हुए इस सुधार को महसूस किया गया और कांग्रेस ने इसको मान्यता दी। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी डा० मंगल सैन बड़े काबिल व्यक्ति हैं। यह अलग बात है कि उनकी काबलियत का फायदा इस वक्त यह सरकार नहीं उठा रही है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने यह देखा कि इसके पीछे नौजवानों की बढ़ती लालसा है कि प्रजातन्त्र की पद्धति को मजबूत करने में नौजवानों को राजनीति और देश के विकास मे भागीदार बनाया जाए। अगर डा० साहब अपने आचल में खुद झांक कर देखते तो वे शायद ऐसा न कहते कि कांग्रेसियों का प्रजातन्त्र में यकीन नही है। अगर कांग्रेस का प्रजातन्त्र में यकीन न होता तो दो बार सत्ता जनता पार्टी और लोक दल के हाथ में नहीं आनी थी। लेकिन प्रजातन्त्र में ये कितना विश्वास रखते हैं इसका नमूना पार्लियामैंट के पिछले दो इलैक्शन हैं। यह बात मैं नही कह रहा बल्कि अखबार कह रहैं हैं। इलैक्शन कमीशन ने भी 165 बूथों का फैसला इनके खिलाफ दिया। यह मैं रिकार्ड की बात कह रहा हूं।

लोक स्थास्थ्य मन्त्री (श्री राम विलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी मेरे माननीय सदस्य ने बड़ी गम्भीर बात कही कि यदि कांग्रेस का प्रजातन्त्र में विश्वास न होता तो लोक दल की सरकार न होती। इनको 1975 के वर्ष को याद करना चाहिए। इनकी नेता इन्दिरा जी ने खुद ऐसी बातें शुरू

की थी। तो इसका क्रैडिट यदि किसी को जाता है तो हिन्दुस्तान की महान जनता को जाता है, इनका कोई योगदान नहीं है।

श्री अध्यक्षः आप कृपया बैठिए।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, भाई राम बिलास जी कह रहैं हैं कि कांग्रेस ने हमेशा प्रजातन्त्र में विश्वास नही रखा। ऐमरजैंसी आप ही लोगों के लिए थी जो जनता को गुमराह कर रहैं थे। अध्यक्ष महोदय, भाई रघु जी ने कहा कि इन्दिरा जी ने गरीबी दूर करने का नारा देकर गरीबों के साथ मजाक किया था। मैं उनकी जानकारी के लिए और उनको सही मार्ग पर लाने के लिए बताना चाहता हूं कि वह भी समय था जब आप लोगों ने इन्दिरा जी को दुर्गा की उपाधि दी थी। उन्होने हिन्दुस्तान के मग्न सम्मान को कहां तक पहुंचाया, यह किसी से छिपा हुआ नही है। इन्दिरा जी ने गरीबों को गरीबी की रेखा से०पर उठाया था लेकिन आज ये शख्स कहते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। (शोर) स्व० इन्दिरा जी ने बैकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपर्स को खत्म करना व बीस सूती कार्यक्रम जैसे अनेक कदम सिर्फ गरीब, मजदूर व किसान ही के लिये उठाये थे। फिर भी ये ऐसी बातें जान बूझ कर कर रहैं हैं। (शोर एवं विघ्न) ये शख्स भूल जाते हैं उन लोगों को जो राजशाही में विश्वास करते हैं। (शोर)

Mr. Speaker: Please come to the point.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो लोग राजशाही में विश्वास करते है और जो राज परिवारों से हैं, उनको कल तक ये लोग पार्लियामैंट में दोष देते रहैं, कांग्रेस में जो लोग किसी खास पदों पर थे उनकी मुखालफित करते रहैं। लेकिन आज उन्ही को ये अपना लीडर मान रहैं हैं। तो ये लोग कहां प्रजातन्त्र और सच्चाई मे विश्वास करते हैं। (शोर)

Mr. Speaker: You are going off the track. Please come to the point.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने जो फैसला किया वह केवल इसलिए किया कि आने वाला समय नौजवान का है, इसलिए नौजवानों की भावनाओं की कदर करते हुए, नौजवानों को देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, उनको यह हक दिया है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, संविधान का यह 62वां संशोधन विधेयक जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, उसे हरियाणा सियान सभा के अनुमोदन के लिए आज संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहां प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं इस विधेयक के तथ्यों पर चर्चा करूं, मैं यह बात कहना चाहूंगी कि इस विधेयक का असैम्बलीज द्वारा रैटी– फिकेशन करवाया जाना अपने

आप में एक गैर–जरूरी बात है और यह कतई तौर पर अनावश्यक था। अभी थोड़ी देर पहले भाई महैंन्द्र प्रताप जी बोलते हुए यह कह रहैं थे कि यह विधेयक यहां पर बहुत देर से इसलिए लाया गया है क्योंकि प्रजातन्त्र में सब चीजों को देखने की जरूरत होती है। लेकिन मैं भाई महैंन्द्र प्रताप जी से कहना चाहूंगी कि 20 वर्ष तक इसको पारित करवाने में कांग्रेस सरकार ने विलम्ब किया। अब इसको लागू करवाने में देरी केवल इसलिए होगी क्योंकि इसमें कांग्रेस सरकार ने यह प्रावधान रखा कि सारी विधान सभाओं की दो–तिहाई विधान सभाओं से इसकी रैटीफिकेशन करवाना जरूरी है। वास्तव में चाहिए तो यह था कि जब यह दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था तो इसको तुरंत लागू करने की घोषणा कर दी जाती। लेकिन इसके पीछे जो मंशा थी वह मैं आपको बताना चाहती हूं। उन्होंने इसको इलैक्शन ईयर में केवल एक इलैक्शन कनसैशन के तौर पर पारित किया है। वे सोच रहैं थे कि शायद तमिल नाडू में वे बहुत ज्यादा बहुमत से जीत रहैं हैं, इसलिए वे अप्रैल, मई के महीनों में मध्य अवधि चुनावों की तैयारी कर रहैं थे। वे चाहते थे कि अप्रैल, मई के महीनों में चुनाव करवा लिए जाएं ताकि सैद्धान्तिक तौर पर यह चर्चा करके इसका लाभ उठा लिया जाए कि देखो हमने 18 साल के बच्चों को मत अधिकार दे दिया है। लेकिन उन 18 साल के बच्चों को वास्तव में मताधिकार से वंचित रखा। वे यह कह देंगे कि चूंकि दों–तिहाई विधान सभाओं द्वारा इसकी रैटीफिकेशन नहीं हुई है इसलिए हम इसको लागू नहीं कर सकते। लेकिन इसके विरोध में विपक्षी दलों

ने अपनी रण नीति बनाई और उस रण नीति के तौर पर उन्होंने दो निर्णय लिए। एक तो यह कि सर्वोच्च न्यायालय में हम इसके खिलाफ जाएंगे और इसके खिलाफ पेटीशन दायर करके वहां से यह निर्णय करवाएंगे कि यह रेटीफिकेशन अनावश्यक है। दूसरा अहम निर्णय यह लिया कि जहां जहां भी गैर कांग्रेसी सरकारें हैं वे अपना विशेष अधिवेशन बुला करके इसको पारित करेंगी ताकि उन गैर कांग्रेसी सरकारों द्वारा यह कहा जा सके कि देखो अगर तुम इसका अनुमोदन ही चाहते थे तो हमने इसको लागू करवाने की दृष्टि से इसका अनुमोदन कर दिया है। अब तुम अपनी कांग्रेस सरकारों से इसका अनुमोदन नहीं करवा रहैं हो। तुम इसका इसलिए अनुमोदन नहीं करवा रह हो क्योंकि तुम इसको लागू नहीं करना चाहते। हमारे यहां तो विधान सभा का अधिवेशन पहले ही बुलाया जा रहा था इसलिए विशेष अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज आप स्वयं देख रहैं हैं कि हमेशा विधान सभा में गवर्नर साहब के एड्रैस के अगले दिन यह परम्परा रही हैं कि राज्यपाल

महोदय के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ होती है लेकिन इस मुद्दे की महत्वता को देखते हुए, इसको लागू करवाने की जल्दी को देखते हुए आज संसदीय कार्य मन्त्री जी ने यह संशोधन हमारे सामने पेश किया है जिस पर हम परम्परागत परम्पराओं से हट कर आज इस पर चर्चा करेंगे ताकि हम हमारे यहां से भी इसको पारित करके भेज दें। मैं भाई महैंन्द्र प्रताप सिंह जी और

कांग्रेस के दूसरे भाईयों को कहना चाहती हू कि यह भी मांग माननी जरूरी है, यह स्वीकारी जानी जरूरी हैं लेकिन इलैक्शन कनसैशन के तौर पर आप इसे लागू करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब न्याय युद्ध चल रहा था तो मंच पर चौधरी देवी लाल जी और डाक्टर मंगल सैन जी के नेतृत्व में जो भी घोषणाएं की जाती थीं उनके बारे में चौधरी बंसी लाल यहां बैठे हुए एलान कर दिया करते थे कि मैंने यह मांग मान ली शै। वे यह सोचा करते थे कि जनता पर इसका यह असर पड़ेगा कि यह न्याय युद्ध वाले तो केवल मांग कर रहैं है मैंने तो स्वीकार ही कर ली है। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि हरियाणा की जनता ने यह बात कही कि अरे हमें पता है तुम यह मांग क्यों मान रहैं हो, इसलिए मान रहैं हो क्योंकि चौधरी देवी लाल कह रहैं हैं कि उनके आने के बाद वे इन मांगों को मानेंगे। इसका श्रेय हम तुमको नहीं देंगे, इसका श्रेय हम न्याय युद्ध के नेताओं को देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हू कि 18 साल के नौजवान भी कांग्रेस सरकार को इसका श्रेय देने वाले नहीं हैं। 10 वर्ष पहले जब विपक्ष के दल इस बात को चला रहैं थे उस समय अगर कांग्रेस वालो ने इस बात को माना होता तो इसका श्रेय उन्हैं मिलता लेकिन आज इसका श्रेय उनको मिलने वाला नही है। आज 18 वर्ष का नौजवान इतना मैच्योर हो गया है, इतना बुद्धिमान हो गया है जिसे कांग्रेस वाले पहले नातजुर्बेकार और अनुशासनहीन कहते थे। अध्यक्ष जी, हमारा तो इस बात मे विश्वास केवल कथनी कथनी से नहीं है। लोक नायक जय प्रकाश

नारायण नें जिस समय युवावाहिनी बनाई थी, उन्होंने जो उस समय राष्ट्र के नव–निर्माण का बिगुल बजाया था, वह वृद्धों को लेकर नहीं था, राजनीतिक दलों को लेकर नहीं था बल्कि केवल 18 साल के बच्चों को लेकर उसे बनाया था। उन्हैं पता था कि यह कांग्रेस की सरकार दमन की नीति अपनायेगी तो हो सकता है कि ये बालक भड़क जाएं। शायद आपको याद होगा कि 6 मार्च को जब दिल्ली में युवा वाहिनी की रैली निकल रही थी तो जय प्रकाश जी ने उनके हाथ पीछे से बन्धवा दिए थें। उन्होंने यह कहा था कि केवल एक ही नारा लगाते हुए चलो हमला चाहैं जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा'। एक अद्वितीय प्रदर्शन उस समय हिन्दुस्तान के नौजवानों ने दिल्ली की सड्कों पर किया। वे नौजवान अपने पीछे हाथ बन्धे हुए यह नारा लगाते हुए चल रहैं थे कि हमला चाहैं जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। उनकी पूरी दमनकारी नीति के सामने वे कहते रहैं 'दम है जितना दमन में तेरे देख लिया और देखेंगे। अगर यहां के नौजवानों को सही नेतृत्व मिले तो पूरी मैच्योरिटी और पूरी बुद्धिमता से वे उसका प्रदर्शन करते है। मैं आपने कहना चाहती हूं कि इसमें जो मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हमारी चिरप्रतीक्षित मांग को स्वीकारा गया है। कांग्रेस सरकारें भो इसे पारित करने में विलम्ब न करें, इसको लागू करने में किसी तरह की देरी न करें। हमारी सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को रोक कर इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए यह प्रस्ताव सदन में रखा है। मेरा सारे सदन से अनुरोध है

कि इसको तो सर्वसम्मति से पारित करें लेकिन कांग्रेस सरकारों से यह कह दें कि हम किसी तरह का बहाना स्वीकार नहीं करेगे। आगे आने वाले चुनावों में इन 18 वर्ष के नव युवकों को मताधिकार मिलना चाहिए। वोटर सूचियों में इनका नाम शामिल होना चाहिए। हर 18 वर्ष का बच्चा मत केन्द्र पर मत डाल सके, इस बात की व्यवस्था कांग्रेस सरकार को करनी चाहिए। यह बात कहते हुए मैं इसका अनुमोदन करते हुए अपना स्थान लेती हूं।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, बहन सुषमा जी ने बहुत ही सही बात कही है कि मौजूदा जनता दल और बी० जे० पी० की जो मिलीजुली सरकार है यह इस प्रस्ताव को कितना महत्व दे रही है, वह इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि गवर्नर ऐड्रैस पर जो बहस आज होनी थी उसे बीच में ही आप द्वारा रुकवा कर इस अमैंडिंग बिल की रैटीफिकेशन पर चर्चा शुरू की गई। यहां पर ठीक कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल इस अमैंडमैंट को लाना नही चाहती थी। केन्द्र सरकार 18 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वाले लड़कों में एक तरह से भ्रम पैदा करना चाहती है ताकि आगामी चुनाव जीतने के लिए इन लोगों को कांग्रेस पार्टी अट्रैक्ट कर सके। इस समय कांग्रेस पार्टी की छवि जनता में गिर चुकी है। इस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े लोग बड़े बड़े सकैण्डलों में घिरे हुए हैं। अब लोगों ने कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत को समझ लिया है। यदि सबसे ज्यादा दुख कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण

हुआ है तो वह दुख हमारे देश के नौजवानों को हुआ है। इन नौजवानों को कांग्रेस की नीतियां के कारण कोई भविष्य नजर नहीं आता। इन्होंने ऐसी गलत नीति पकड़ी कि नौजवानों के जीवन में बिल्कुल निराशा ही पैदा हो गई। ये इस अमैंडमैंट के द्वारा चाह रहैं थे कि युवा तबके को किसी न किसी तरह अट्रैक्ट कर लिया जाये। इस समय यदि वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष के नौजवानों को दिया जाता है तो उनकी संख्या पौने पांच करोड़ के आसपास है। ये आगामी चुनाव में पौने पांच करोड़ लोगों का क्रैडिट लेना चाहते हैं। मैं इन्हैं बताना चाहूंगा कि ऐसा होने वाला नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा कि सन 1972 में पार्लियामैंट की एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने युनानीमसली रिकमैण्डेशन की थी कि यहां पर 18 साल के लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए। उस यूनानिमस रिकमैण्डेशन को उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिसे मेरे भाई महैंन्द्र प्रताप जी दुर्गा बोल रहैं हैं, ने नहीं माना। समय–समय पर विपक्ष की तरफ से जबरदस्त आवाज उठती रही कि 18 साल के युवकों को वोट का अधिकार दिया जाए।

श्री मोहम्मद असलम खांः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। 1977 में जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने क्यों नहीं किया?

श्री अध्यक्षः यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं बनता, आप बैठिए।

श्री वीरेन्द्र सिंहः 1972 का मैंने जिक्र किया कि यूनानिमस रिकमैण्डेशन के बावजूद भी श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने इस बात को नही माना। आज ये चुनाव को मद्देनजर रखकर इसका क्रैडिट लेना चाहते हैं लेकिन इनको यह क्रैडिट मिलेगा नही क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। जिस प्रकार बहन सुषमा जी ने बड़े विस्तार के साथ बताया कि मजबूर हो कर इनको यह अमैंडमैंट लानी पड़ी। अभी भी ये रास्ता ढूढ रहैं हैं कि किस तरह से इसको डिले किया जाए। इसमें किसी प्र कार की रैटीफिकेशन की हम आवश्यकता नहीं समझते। ये रैटीफिकेशन के बहाने इस को डिले करना चाहते हैं। जिस दिन 18 साल के वोटर को मताधिकार का हक मिल जाएगा उस दिन पौने पांच करोड़ अतिरिक्त लोग वोट डालने के हकदार हो जाएंगे। मैं नहीं समझता हू कि इस प्रलोभन से कि उन्होंने युवकों को वोट डालने का अख्तियार दिया है, कांग्रेस अपनी झोली में उनके वोट डाल सकेगी। हम मानते हैं कि हिन्दुस्तान का वोटर काफी तादाद में अनपढ़ है लेकिन वर्ष 1952 से ले कर 1987 तक के इलैक्शनों का विश्लेषण कर लीजिए, उसका गौर से एनालीसिज कर लीजिए, यहां का वोटर हर बार अपनी समझदारी पर खरा उतरा है। किस प्रकार प्रजातन्त्र की बात ये कर रहैं हैं। महैंन्द्र प्रताप सिंह जी कह रहैं थे कि यदि ये प्रजातन्त्र में यकीन न करते तो जनता दल और बी० जे० पी० की सरकार न बनती। ये तो मजबूरी में प्रजातन्त्र का ढकोसला करते हैं। इनको पता है कि यदि ये कुछ और करते तो ये लोग सड्कों पर काटे जाते। लोग इन्हैं गंडासियो से काटते

तथा इनकी बुरी गत बनती। ये लोग यहां पर फिर मिलते ही नहीं। चौधरी महैंन्द्र प्रताप जी को याद होगा कि ये हमारे साथ तेजा खेड़ा फार्म पर एक महीना पड़े रहैं थे। मुख्य मस्ती जी ने जो लोन सम्बन्धी लिस्ट निकाली है उससे पता लगता है कि कौन कौन और किस किस का लड़का कितना लोन ले गया। तपासे साहब, जो हमारे यहां गवर्नर रहैं हैं, उनके लड़के ने फैक्टरी के लिए लोन लिया लेकिन वे लोग भी गायब, फैक्टरी गायब, तपासे साहब भी गायब और छोरा भी गायब। इस प्रकार इन लोकप्रिय लोगों ने प्रजातन्त्र के साथ खिलवाड़ किया, ऐमरजैसी लगा कर खिलवाड़ किया। इनके जितने किस्से यहां दोहराये जायें, उससे इस महान् सदन का टाईम ही वेस्ट होगा। इनका यकीन लोकतन्त्र में नहीं था। सरकार का पक्ष इस बारे क्या होगा यह मैं नही कहता लेकिन मैं इस ख्याल का आदमी हूं कि नौजवानो को जो 21 वर्ष की बजाए 18 साल की उम्र तक वोट देने का हक दिया गया है, हमें उससे भी आगे एक कदम उठाना चाहिए क्योंकि हमारे नौजवान काफी सूझबूझ रखते हैं। आज लैजिस्लेटर की आइ 25 वर्ष रखी गई है, उसको घटा कर 21 साल कर दिया जाना चाहिए। आने दो नौजवानों को आगे ताकि वे देश को सम्भाल सकें, देश को आगे ले जा सकें और देश को सुन्दर बना सकें। मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस राय का हूं कि इसमें भी अमैंडमैंट होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि विपक्ष और ट्रेजरी बैचों से इस रैजोल्यूशन का स्वागत हुआ है, उसको पूरी ध्वनि के साथ पारित किया जाए, यह मेरी गुजारिश है।

Mr. Speaker: Question is--

That this House ratifies the amendment to the Constitution of India Wine within the purview of clause (d) of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Sixty-Second Amendment) Bill, 1988, as passed by the Houses of Parliament.

The motion was carried.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब गवर्नर ऐड्रैस पर डिस्कशन होगी। डा० महा सिंह अपना मोशन मूव करें।

Shri Maha Singh (Rai): Sir, I beg to move—

That an Address be presented to the Govcrror in the following terms:-

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 21st February, 1989".

स्पीकर सर, कल इस महान सदन में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया, उसके लिए मैं राज्यपाल महोदय का तहैंदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय गैर–हिन्दी भाषी इलाके से आये हैं लेकिन जब कल उन्होंने यहां अपना अभिभाषण पढ़ा तो वह संस्कृत जानने वाले पंडितों से भी अधिक प्रशंसनीय था, हिन्दी के ज्ञाताओं से भी

अच्छा था। हमारे गवर्नर साहब बड़े काबिल और आलम फाजिल हैं। मैं उन्हैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे सदन के नेता चौधरी देवी लाल ने दो साल की अवधि में जो कार्य किया है, उसे उन्होंने बड़े संयम और संक्षिप्त में सारगर्मित तौर पर अपने अभिभाषण में व्यान किया है। जो यहां पर कार्य किया गया है उसके लिए चौधरी देवी लाल तथा हमारी सरकार बधाई की पाव है। अध्यक्ष महोदय, 20 महीने के अन्दर चौधरी देवी लाल की सरकार ने जो उपलब्धियां की हैं, अगर उन सब का बखान करूं तो बहुत ज्यादा समय लग सकता है लेकिन आपके आदेश को मानते हुए और समय को देखते हुए थोड़े शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। इस सरकार के आने के बाद हरियाणा का कितना सम्मान बढ़ा है, वह किसी से छिपा नहीं है। हमारे पूर्व जो क् इतिहास इस बात का साक्षी है कि हरियाणा एक पवित्र प्रदेश रहा है और यह ऋषि मुनियों की धरती कहलाता है। हरियाणा वह प्रदेश है जिसके बारे में यह कहा जाता था कि देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। लेकिन जब यहां पर कुछ लोग सत्ता में आये तो उन्होंने हरियाणा की धरती को बदनाम करने की कोशिश की। यह कहते हुए भी शर्म आती है कि हरियाणा में ही आया राम और गया राम की मिसाल कायम हुई और देश में यह बात फैली कि यहां पर एम० एल० ए० बिकता है। लेकिन आप सब को विदित है कि चौधरी देवी लाल ने हरियाणा की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, स्पीकर साहब, उसका मैं सदन के सामने एक उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। हमारे आदरणीय नेता चौधरी देवी लाल जी

इलाहाबाद में हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कें इलैक्शन में गये थे। आम नेताओं की हालत यह है कि वे लम्बे चौड़े भाषण दे कर बड़े पंडाल से रैस्ट हाउस या बंगले में वापिस लौट आते है लेकिन हमारे नेता का अलग ही करिश्मा है, वे दूर–दराज के गांवों में जाते हैं। आपको पता है कि वहां से पंडित जवाहर लाल चुनाव लड़ते थे, इन्दिरा गान्धी वहां की बेटी कही जाती थी और राजीव गान्धी को वहां के लोगों ने बेटा माना है लेकिन उस इलाके में भी सुधार नही हुआ। इलाहाबाद के लोगों ने प्रधान मंत्री बनाया। चालीस साल से प्रधान मं ली उस इलाके का रहा है लेकिन जब हमारे आदरणीय नेता चौधरी देवी लाल जी पहुंचे और वे उस इलाके के बीस किलोमीटर अन्दर गांवों में गये तो वहां पूरे के पूरे गांव झोपड़ियों के थे। स्पीकर सर, किसी गांव में सड़क और बिजली का खम्भा नजर नहीं आया और कोई पक्का मकान या बिल्डिंग नजर नही आयी। स्पीकर सर, जब वे गांव की गलियों में गये तो किसी झोपड़ी के सामने एक नौजवान बेटी बैठी हुई थी। उसे बैठी देख कर चौधरी देवी लाल के मन में इच्छा हुई कि इसकी झोपड़ी को अन्दर से देखा जाये। उन्होंने उस बेटी से कहा कि मैं आपका घर अन्दर से देखना चाहता हूं। जब चौधरी साहब ने उस झोपड़ी में घुसने की कोशिश की तो उस देवी ने कहा कि आप घर के अन्दर न जायें। लेकिन चौधरी देवी लाल जी ने कहा कि मैं आपके घर को अन्दर से देखना चाहता हूं कि किस तरह से आपके जिन्दगी बसर करने के साधन हैं। जब वे अन्दर घुसने लगे तो वह बेटी आगे खड़ी हो गई। उस बेटी ने कहा कि

ताऊ जी अन्दर मेरी मां बैठी है, हमारे पास एक ही वस्त्र है। वह नंगी बैठी है इसलिए आप अन्दर न जाये। एक ही कपड़ा है जिसे मैं बान्धे बैठी हुई हूं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) हमें इस बात का अफसोस है कि प्रधान मंत्री का वह इलाका है लेकिन उसने अपने हल्के में इन गरीबों के साथ 40 साल के शासन के बाद भी जुल्म किया है और अपने इलाके की तरक्की नही की। अभी मेरे भाई महैंन्द्र प्रताप सिंह जी गरीबी की बात कह रहैं थे, इन्दिरा जी की बात कह रहैं थे। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी इस समय जीवित नहीं हैं लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई महैंन्द्र प्रताप सिंह जी कैसी गरीबी की बात करते है। मैं इस बारे में एक मिसाल सदन के सामने जरूर देने की कोशिश करूंगा। ऐमरजैंसी के इन्दिरा गांधी के वह काले दिन और काले कानून अभी लोग भूले नही हैं जब वह कहती थी कि हम गरीबी हटायेंगे। संजय गांधी ने कहा कि गरीबी कैसे मिटेगी? दिल्ली के आस–पास जौ झुग्गी झोपड़ियां बसी हुई हैं, इनको हटा दो, बाहर कर दो। जब गरीब नजर नहीं आयेगा तो गरीबी मिट जायेगी। ऐमरजैसी के दौरान संजय गांधी ने सरकार को हुक्म दिया कि झुग्गी झोपड़ियों को उठाकर बाहर फैंक दो। बुलडोजर चलाया गया और पुलिस को भेजा गया। ज्यादतियां की गयीं। एक महिला उस दिन बदकिस्मती से 9 महीने पूरे कर चुकी थी। उस गरीब महिला को बच्चा पैदा होने जा रहा था। कड़ाके की सर्दी थी, तेज हवा चल रही थी। उपाध्यक्ष महोदय, बारिश भी हो रही थी। बुलडोजर वालों ने कहा, इंदिरा गांधी और संजय गांधी का हुक्म

है कि आपको बरतरफ कर दो। उस गरीब मां ने हाथ जोड़ इलतजा की कि भाइयो, संजय गांधी से कह दो कि मुझे बच्चा पैदा होने तक की इजाजत तो दे दी जाये लेकिन उसका हाथ पकड़ कर बाहर फैंक दिया और बुलडोजर चलाकर उसकी झुग्गी झोपड़ी को नष्ट कर दिया गया। इन कांग्रेसियों ने ऐसी गरीबों की सेवा की है। हमारे साथी बुल्ले शाह आ गये हैं। ये देख ले कि कैसे इन्दिरा गांधी ने और इनकी कांग्रेस ने गरीबी मिटाने की कोशिश की थी। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर केवल–माल चौधरी देवी लाल की सरकार ही ऐसी सरकार रही है जिसने देश के अन्दर बुढ़ापा पैन्शन देकर रिकार्ड कायम किया है। (व्यवधान व शोर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि चौधरी देवी लाल की सरकार ने बुढापा पेशन लागू की। अभी कुछ दिन पहले बुढ़ापे की पैशन के मनी–आर्डर गांवों में गये तो गांवों में एक माहौल सा पैदा हुआ। पिछले दिनों मैं अपने इलाके में गया हुआ था। वहां पर गांव में क्या देखता हूं कि जब चौधरी देवी लाल के मनी–आर्डर गांवो में पहुंचे तो वहां पर लोग कतार बनाकर पोस्ट–आफिस में आये। बूढ़े–बुढ़िया चौधरी देवी लाल जिन्दाबाद, चौधरी देवी लाल जिन्दाबाद, के नारे लगा रहैं थे। हर बूढ़े और बुढी को 800–800 रुपये दिये गए। इतना खासा रुपया हो गया कि उनके लिये वह नोट संभालने मुश्किल हो गये। 800 रुपया बूढ़े को मिला, 800 रुपया बुढ़िया को मिला। एक बूढ़े की दो पत्नियां थी, उनको 2,400 रुपया मिला। 2,400 रुपया इकट्ठा करके जब वे घर के अन्दर आ गये तो बूढ़े ने चुपके से कहा

लड़का न देख ले इसलिये कमरा अन्दर से बन्द कर लो। कमरा बन्द करके रुपये गिनने की कोशिश करने लगे। जब वह रुपया गिनने में न आया तो पड़ौस से एक पढ़े– लिखे बच्चे को बुलाया कि हमारे नोट तो गिन दो कि कितने हैं। जब नोट पूरे हो जाते हैं तो बूढ़ा कहता है कि इसको मेरे तकिये के नीचे रख दो, बुढ़िया कहती है कि नहीं, मेरे घाघरे के नीचे रख दो। (हंसी) इस तरह की मिसाल चौधरी देवी लाल की सरकार ने पेश की है। कांग्रेसी भाई यह कहते है, कि हमने पैन्शन तो पहले ही दी थी। डिप्टी स्पीकर साहब, वह पैन्शन सहायता की पैन्शन थी, सम्मान की पैन्शन नहीं थी। इन्होंने विधवाओं को और विकलांगों को बीस, तीस और पचास रुपए महीना केवल उनकी सहायता के लिए दिए थे। बुढ़ापा पैन्शन हमारे चौधरी देवी लाल ने दी है और यह सम्मान की पैन्शन दी है। यह सहायता के लिए नहीं दी है, सम्मान के लिए दी है। कुछ भाई यह कहते हैं कि यह फिजूलखर्ची है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि यह फिजूलखर्ची नही है। यह तो प्रदेश और देश के लोगों के लिए बुढ़ापे के सम्मान की बात है। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं कर्जा माफी की बात आपके सामने कहने की कोशिश करूंगा। महैंन्द्र प्रताप सिंह जी आ गए हैं। वे गरीबी की बात शायद नहीं सुन पाए। कर्जा माफी के बारे में कांग्रेसी भाई ढोल पीटते हैं कि चौधरी देवी– लाल ने कर्जा माफी का जो वायदा किया था, उन्होंने उसे पूरा नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सदन में यह बात कहना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल ने कभी नहीं कहा था कि

मैं बुल्ले आह का कर्जा माफ करूंगा और चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह का कर्जा माफ करूंगा। चौधरी देनी लाल ने कहा था कि जिस तारीख से जिस समय से हमने कर्जा न देने का एलान किया था उस परिधि के अन्दर जो कर्जा आता है केवल वह कर्जा माफ करने की बात कही थी और वे कर्जे माफ कर दिए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले चौधरी बंसी लाल हर रोज भाषणों मे कहा करते थे कि कर्जा माफ करने का कोई वायदा कानून नहीं है। चौधरी देवी लाल ने सरकार बनते ही हरियाणा विधान सभा में पहले दिन के अधिवेशन में कानून बनाया कि कर्जे माफ किए जाएंगे। कर्जा कितना माफ होगा इसका ज्यादा महत्व नही है। महत्व इस बात का है कि। चौधरी देवी लाल की सरकार ने गरीब देहात के लोगों के, पिछड़े लोगों के, हरिजनों के और बैकवर्ड क्लास के भाइयों के कर्ज माफ करने का कानून बनाया। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की जेब में जितना ज्यादा पैसा होगा, उतने ज्यादा कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ हमारे नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ते की एक ऐसी बेमिसाल स्कीम चौधरी देवी लाल ने कायम की, जिसको पहले कभी किसी ने कायम नहीं किया। चौधरी देवी लाल की सरकार ने इसके लिए भी कानून बना दिया। कितने लोगों को बेरोजगारी भव्या मिला, इसका इतना महत्व नहीं है जितना महत्व कानून बना देने का है। सर छोटू राम ने कुछ कानून बनाए जो आज तक नही मिट पाए। जो कानून हरियाणा विधान सभा में चौधरी देवी लाल की सरकार ने बना दिए हैं उनको हटाने की

किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी। चौधरी देवी लाल ने उगाही माफ की थी। ट्रैक्टर पर टोकन टैक्स माफ किया था। साई– किस पर टोकन टैक्स माफ किया था। चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह की सरकार आई तो इनको हटाने की हिम्मत नहीं हुई। यह कानून चौधरी देवी लाल ने 1977 में बना दिया था। इसलिए यह लामिसाल उपलब्धि सारे देश के अन्दर सब से पहले चौधरी देवी लाल और हरियाणा सरकार ने हासिल की। इसके साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर साहब, नौजवानों के लिए इंटरव्यू के वक्त फ्री बस यात्रा का प्रोवीजन भी चौधरी देवी लाल की सरकार ने ही किया है। गरीब मां बाप किसी तरह से अपना पेट काटकर, अपने पेट पर पट्टी बांध कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन जब नौकरी के लिए इंटरव्यू आता था, चाहैं वह इंटरव्यू चंडीगढ़ के लिए हो, चाहैं वह इंटरव्यू महैंन्द्रगढ़ के लिए हो और चाहैं वह हिसार के लिए आए, गरीब मां बाप के पास अपने बच्चे को इंटरव्यू पर भेजने के लिए पैसा नही होता था। वह बच्चा कहता था कि पिता जी मेरा इंटरव्यू झुक मुझे दो सौ रुपया चाहिए। बेचारे लाचार और गरीब मां बाप को निराश होकर और हताश होकर जवाब देना पड़ता था कि उनकी जेब में पैसा नही है। वह बच्चा इंटरव्यू पर जा नही सकता था। वह बच्चा जीवन से निराश हो जाता था और बेबस हो जाता था। धन्य है चौधरी देवी लाल जिन्होंने ऐसे गरीब बच्चों के लिए फ्री बस याता का प्रावधान किया। इसके लिए कानून बना दिया है। आज कोई भी गरीब से गरीब लड़का लड़की सारे हरियाणा के अन्दर एक कोने से दूसरे कोने तक फ्री, बस में जा

सकता है और अपना इंटरव्यू दे कर अपने घर वापिस आ सकता है। वह अपनी योग्यता का परिचय दे सकता हैं और रोजगार पा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर किसी भी नेता की ऐसी पैनी नजर नहीं है जितनी पैनी नजर हमारे मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लाल की है। इस पैनी नजर से चौधरी देवी लाल ने कबीलों के बच्चों के लिए एक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत जो कबीले का बच्चा पढ्ने के लिए स्कूल जाएगा उसको एक रुपया रोज मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, उसको स्कूल में हाजिरी लगाने का एक रुपया रोज मिलेगा। गरीब आदमी के कई बच्चे हो जाते हैं। अगर एक आदमी के दो –तीन, चार या पांच बच्चे स्कूल में जाएंगे तो दो–तीन चार या पांच रुपए हर रोज उस कबीले के बच्चों को स्कूल की पढाई के लिए, उसको स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से मिला करेंगे। यह सारे देश में अपनी किस्म की पहली मिसाल है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछ ने साल ओलावृष्टि हुई थी। जब ओलावृष्टि हुई थी उस समय इत्तफाक से यह सदन चल रहा था। रात को ओले पड़ गए। चौधरी देवी लाल को इस खबर का पता लग गया कि हरियाणा के अन्दर ओले पड़ने से बड़ा भारी फसल का नुक्सान हु आ है। चौधरी देवी लाल जी सदन से छुट्टी ले कर के, सदन को छोड़ कर के जहां पर ओलावृष्टि हुई, गांव–गांव में पहुंचे, ढानि–ढानि पहुंचे ताकि गरीब किसानों की हालात का जायजा लिया जा सके। इसकी एक मिसाल मैं आपको सुनाता हूं। मैं भी चौधरी देवी लाल जी के साथ था। दुर्भाग्यवश मेरे हल्के में सब से ज्यादा ओलावृष्टि हुई।

सेवली गांव के खेतों के पास चौधरी देवी लाल जी अपनी गाड़ी से उतरे। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर बैठा एक किसान सिसक रहा था, रो रहा था। उसकी चार एकड़ के लगभग भूमि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। चौधरी साहब की नजर उस पर पड़ी और वे उस किसान की तरफ चल पड़े। सिक्योरिटी वालों ने बहुत कोशिश की कि उस किसान को लाकर चौधरी साहब से मिलवा दिया जाये लेकिन चौधरी देवी लाल जी ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया कि नहीं, मैं खुद वहां जाकर उस किसान से मिलूंगा। चौधरी साहब खुद चलकर वहां पर गये। उस बूढ़े किसान की पीठ पर हाथ रख कर बोले कि बाबा क्या बात है? उस बेचारे बूढ़े किसान ने रोते–रोते, सिसकते–सिसकते चौधरी साहब से बताया कि उसके पास सिर्फ चार किल्ले जमीन थी जोकि बिल्कुल बर्बाद हो गई है। घर में एक जवान लड़की शादी के लायक बैठी हैं। मेरा इस जमीन के बिना कोई साधन नहीं है, मैं अब लाचार हूं, क्या करूं? मैं तो लुट गया। भगवान ने इस तरह की विपत्ति हमारे सिर पर डाली है। चौधरी देवी लाल जी ने कहा कि आज यहां पर कांग्रेस की सरकार नही है, देवी लाल की सरकार है जोकि किसानों की, गरीबों की मसीहा सरकार है। चौधरी साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला, उनके हाथ में जितने पैसे आये उन्होंने उस किसान के हाथों थमा दिये जो चार हजार रुपये थे। उस किसान को कहने लगे कि बाबा यह तो लो, कानूनी कार्यवाही होने के बाद, गिरदावरी के हिसाब से जितना मुआवजा बनता होगा, वह भी आपको दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने गरीब

हरिजनों की काफी मदद की है। जो लोग दूसरों की फसल काटकर अपने कुनबे का पेट पालते थे, उनको भी मुआवजे का 5 फीसदी दिया गया ताकि वे भी अपना गुजारा कर सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, जब हमारे मुख्य मन्त्री जी ने यह ऐलान किया कि मैं इस हरियाणा स्टेट को किसी वक्त टैक्स–लैस स्टेट बना दू गा तो कई कांग्रेस के भाईयों ने यह कह दिया कि चौधरी देवी लाल जी कैसे बना सकते हैं। लेकिन चौधरी देवी लाल जी ने एक ऐसा करिश्मा किया कि उन्होंने एक मैचिंग ग्रांट की स्कीम चलाई। उसका कितना इम्पैक्ट हरियाणा प्रान्त पर हुआ। वह स्कीम यह है कि जहां भी चौधरी देवी लाल जाते हैं तो वहां के लोग अपने इलाके की तरक्की के लिये, एक–एक, दो–दो रुपये प्रति व्यक्ति इकट्ठा करके उनको देते हैं तो वे उसके बराबर की राशि और देकर उसको दुगुना करते हैं ताकि उस इलाके में विकास का काम हो सके। अगर किसी जगह पर हरिजन या महिलाओं के लाभ के लिये कोई राशि इकट्ठी करके उनको दी जाती है तो उसको वे तीन गुना करके उस इलाके की तरक्की के लिये दे देते हैं। इस तरह की परिपाटी उन्होंने डाली कि लोग ऐसी बातों में खूब दिलचस्पी लेने लगे। चौधरी देवी लाल जी के इन प्रभावी कदमों को अगर हम प्रभावी ढंग से अपनाएं तो यह स्टेट सचमुच में टैक्स–लैस स्टेट बन सकती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, 1987 के अन्दर सभी को मालूम है कि कहत पड़ा था और उस समय यमुना में एक बूंद भी पानी की

नहीं थी। कोई भी भाई जूती पहन कर यमुना को क्रौस कर सकता था। धन्य हैं चौधरी देवी लाल और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, और वे बधाई के पात्र हैं क्योंकि इनके कारण से उस समय भी लोगों को 24 घण्टे बिजली मिली थी। उपाध्यक्ष महोदय, इतफाक से मैं ऐसे इलाके में रहता हूं जो बिजली और पानी की टेल पर है लेकिन चौधरी देवी लाल की सरकार आने के बाद 1987 के अन्दर भयंकर कहत में 24 घंटे बिजली मिली थी। उपाध्यक्ष महोदय, जहां राजस्थान और हमारे पड़ौसी प्रान्त कहत से तबाह हो रहैं थे, मैं कहता हूं कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी वहां बढ़ी, पैदावार बढ़ी और हमारी उपज की उस भयंकर कहत में परसैटेज बड़ी। उस भयंकर कहत के समय कुछ मेरे गरीब किसान भाई मेरे से भी पूछते थे कि जब रिवर पानी से पूरे भरे होते थे तो ये कांग्रेसी हमें रोजाना दो–तीन घंटे ही बिजली देते थे लेकिन आज कहत पड़ा हुआ है यह बिजली कहां से आ रही है? मैंने कहा वैसे तो मुझे भी पता नही है, इस बारे में चौधरी देवी लाल या चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी बता सकते हैं। फिर भी कुछ बातों का हमें पता चला कि बिजली कहां से आई। यहां बलवीर पाल शाह जी बैठे हैं। मैं उनको बताता हूं कि यह बिजली कहां से आई? यह रिकार्ड. इस भाषण के अन्दर भी है कि इस सरकार ने आने के बाद बिजली की 52 प्रतिशत प्रोडक्शन बढ़ाई और वह भी कहत के दौरान बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? बिजली दो तरह से पैदा की जाती है, एक पानी से और दूसरे कोयले से। जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी तो वे लोग घटिया ग्रेड का कोयला

खरीदते थे और बढ़िया ग्रेड के कोयले का बिल बनवाते थे। वे लोग अपनी जेबों में पैसे भर लेते थे। उन्होंने प्लांट्स में घटिया ग्रेड का कोयला लाकर उनकी प्रोडकशन को कम कर दिया था। एक कारण तो यह था और दूसरा कारण यह था कि वे बिजली को बेचते थे, बिजली की चोरी करवाते थे। इसी सदन के अन्दर चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने ब्यान दिया था कि जो लोग नाजायज बिजली इस्तेमाल करते थे और देहात के फीडर की बिजली दूसरे सैक्टर में ले जाते थे उन पर 42 करोड रुपए की पैनेलिटी लगाई गई और अफस– रान को हुकम दिया कि यदि आगे से कोई चोरी पकड़ो गई तो वे भी सस्पैंड होंगे और मालिकों का कनैकशन काट दिया जाएगा। इन दो कारणों से भयंकर सूखे में सरकार ने 24 घंटे बिजली दी। इसके लिए मैं सरकार को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि हरियाणा का एक– एक बच्चा, एक–एक आदमी सरकार का तहदिल से शुक्रगुजार है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस वात की भी खुशी है कि बीस महीनों में हमने जो सहकारी आन्दोलन में तरक्की की, वह एक ला–मिसाल बात है। इसका गवर्नर महोदय ने अपने भाषण के अन्दर भी जिक्र किया है। पहले हमारे जो बोर्डज और कार्पोरेशंज थीं, उनमें 90–95 प्रतिशत में घाटा था। वह घाटा मिसमैनेजमैंट या क्रप्शन के कारण था। आज मैं सदन के अन्दर दावे से कह सकता हूं कि जितने भी हमारे बोर्डज और कार्पोरेशंज हैं, वे तरक्की की तरफ हैं। पहले से बहुत भारी अन्तर हो चुका है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हैफेड का भी नाम है इत्तफाक से इसका मैं ही चेयरमैन हूं। पहले इसके

सभी प्लांटस बन्द थे या लौस में थे। लेकिन आज इस सरकार ने सभी प्लांट्स चालू कर दिए हैं और वे मुनाफे में चल रहैं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शूगर मिल्ज ने सारे देश के अन्दर आज रिकार्ड पैदा कर दिया है। आपको इस बात की हैरानगी होगी कि जब कांग्रेस का शासन था तो शूगर मिल्ज की 90 प्रतिशत से ज्यादा कभी भी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी नहीं हुई, आज हमारे शूगर मिल्ज की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी 105 प्रतिशत है जो सारे देश के अन्दर एक रिकार्ड है। उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने का भाव 35 रुपए क्विंटल हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा चौधरी देवी लाल की सरकार ने ही दिया है लेकिन हमारे बलबीर पाल शाह की सरकार जब चीनी का भाव तय करती है तो यू० पी० और दिल्ली का तो मंहगा तय करती है और हरियाणा का सस्ता तय करती है। वह कहती है कि हरियाणा के मिलों में मुनाफा है। मिलों में मुनाफा इस बात का द्योतक नहीं है कि चीनी का भाव कम करदिया जाए। मुनाफा इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार कितनी ईमानदार है और कितनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। बलबीर पाल शाह, जी आप अपने प्रधान मन्त्री राजीव गांधी को कहैं कि चीनी का जो भाव दूसरे प्रान्तों में है, वही भाव हरियाणा में होना चाहिए। यदि वे आपकी बात नहीं सुनते तो आप इस्तीफा दे कर इधर आ जाएं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि पिछले चुनावों के समय हरियाणा में जो सूखा पड़ा था, उससे हरियाणा का 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हमारी सरकार ने राजीव गांधी से

मांग की कि हरियाणा का किसान सूखे के कारण तबाह हो रहा है इसलिए आप यदि 700 करोड़ रुपए नहीं दे सकते तो कम से कम 300 या 400 करोड़ रुपए दे दीजिए ताकि हरियाणा के किसानों को कुछ राहत मिल सकै। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजीव गांधी ने केवल 32 करोड़ रुपया हरियाणा प्रान्त को दिया। ऐसा करके राजीव गांधी ने हरियाणा के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया। नागालैंड एक छोटा सा प्रान्त है। अगर मैं सही हूं तो उसकी टोटल आबादी 8 लाख के लगभग होगी। उस छोटे से प्रान्त को 80 करोड़ रुपए दिए गए। जिस प्रान्त की आबादी 8 लाख की हो और जहां पर रोजाना मूसलाधार बारिश होती हो, जहां पर कहत नाम की कोई चीज न हो उस प्रान्त को 80 करोड़ रुपए दिए गए और जिस प्रदेश की आबादी एक करोड़ 40 लाख की हो और जहां पर कहत पड़ा हो और 700 करोड़ रुपए का नुक्सान हो, उस प्रदेश को केवल 32 करोड़ रुपया दिया। बलबीर पाल शाह जी, आप कहैं राजीव गांधी को, कि वे हरियाणा के लोगों के साथ बेइन्साफी न करें, बेइन्साफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा के लोगों के साथ राजीव गांधी ने एक बेइन्साफी चुनावों से पहले की थी, उसका सबक हरियाणा की जनता ने उसको पढ़ा दिया। वह बेइन्साफी यह की थी कि पंजाब समझौते के तहत राजीव गांधी ने हरियाणा को पूछा तक नहीं इसलिए आज विधान सभा में उनकी पार्टी के नकद नारायण चार बैठे हैं। यदि क्या हरियाणा की जनता के साथ कोई बेइन्साफी करने की कोशिश की तो यहां चार क्या हिन्दूस्तान की पार्लियामैंट

में भी इनके दर्शन नहीं होंगे। इनका एक आदमी भी पार्लियामैंट के दरवाजे पर नहीं जा सकेगा। बलबीर पाल शाह जी आप राजीव गांधी को यह बात कह देना। इसके साथ–साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल जी ने सारे प्रदेश में बहुत सी नई स्कीमें लागू की हैं। मुख्य मन्त्री बनते ही चौधरी देवी लाल जी ने सभी जिलों के आला अफसरों को हुक्म दिया कि एक घंटा यानी 11.00 बजे से 12.00 बजे तक हर जिले का आला अफसर अपने आफिस से बाहर निकल कर बैठेगा या किसी दरखत के नीचे बैठेगा और हर भाई को यह इजाजत होगी कि वह अपना दुख दर्द उस अफसर के आगे सुनाए लेकिन जब चौधरी देवीलाल जी ने यह देखा कि उनका जो मन्शा था, वह पूरा नही हो रहा है तो इन्होंने मुक्त द्वार प्रशासन का एक नया तरीका निकाल कर सारे प्रदेश में हलचल मचा दी सारे प्रदेश में सचिवालय से चौपाल तक प्रोग्राम शुरू किया गया। चौधरी देवी लाल जी ने कहा कि सचिवालय के अन्दर 9 मंजिली इमारत में हम लोग चले जाते हैं और गरीब आदमियों को हम तक पहुंचने में बहुत तकलीफ होती है। गरीब आदमी को 200 या 250 किलोमीटर का रास्ता तय करके सचिवालय तक आने के लिए सोचना पड़ेगा और अपनी जेब को भी देखना पड़ेगा तथा उसको 200 या 300 रुपए का इन्तजाम भी करना पड़ेगा। इसके अलावा उसको 2 या 3 दिन की मजदूरी भी छोड़नी पड़ेगी लेकिन इसके बावजूद भी गरीब आदमी अपने सारे दुख दर्द सह करके सचिवालय तक पहुंचने की कोशिश करता है। जब कोई गरीब आदमी यहां सचिवालय तक

पहुंच जाता है तो नीचे उसको पुलिस के कर्मचारी धक्का दे कर कहते हैं कि ताऊ जी अपना पास दिखाओ लेकिन उन गरीबों को यह पता नहीं होता कि यह पास की क्या बीमारी है। पुलिस वाले कहते हैं कि किसी एम० एल० ए० या किसी मन्त्री से लिखवा कर लाओ तब तुम्हारा पास बनेगा, उसके बाद आप०पर जा सकते हैं। वह गरीब आदमी भागता है और किसी एम० एल० ए० या किसी मन्त्री के दस्तखत करवाता है, फिर उसका पास बनता है। जब वह गरीब आदमी सचिवालय में०पर जाता है तो जिसके पास उस गरीब आदमी को जाना होता है, उसके दरवाजे पर चपड़ासी बैठा मिलता है, वह कमरे के अन्दर नहीं जाने देता। यदि किसी तरह से वह गरीब आदमी कमरे के अन्दर चला भी जाता है तो अन्दर उसको क्लर्क बैठा मिलता है। वह अपनी गर्दन०पर नही उठाता और न ही उस गरीब आदमी की बात सुनता है। बड़ी जदोजहद के बाद वह गरीब आदमी खाली हाथ वापिस चला जाता है। इस बात को देखते हुए हमारे मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लाल जी ने अनुमान लगाया कि सचिवालय को गांव की चौपाल में ले जाया जाए। मेरे साथी बलबीर पाल शाह जी सदन में बैठे हैं। इनको पता है, इनके इलाके में मुक्त दार प्रशासन लगे हैं और हजारों की तादाद में केसों का निपटारा किया जाता है। ऐडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया और चुस्त करने का यह सारे देश में एक ऐतिहासिक कदम है। इस काम के लिये देवी लाल जी की सरकार ने सारे देश में एक नया ढंग अपनाया है। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ हमारी सरकार और अच्छे काम करने के लिए कदम उठा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं करनाल रिफाईनरी की कहना चाहता हूं। करनाल के अन्दर कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी रिफाईनरी लगाने का प्रावधान किया गया था। इस प्लांट को वहां पर लगाने के लिए वहां के किसानों को उजाड़ दिया गया और उनकी कीमती जमीनों को कम मूल्य देकर ऐक्यायर कर लिया गया। इस प्लांट में हजारों लोगों को रोजगार मिलना था। हम चाहते हैं कि सैडल सरकार तुरन्त इस कारखाने को पूरा कराये ताकि हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। मैं भारत सरकार को और राजीव गांधी को आगाह करने के लिए कहता हूं कि या तो इस प्लांट को जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाये नहीं तो दिसम्बर, 1989 में चुनाव अनि वाले हैं, उन चुनावों में कहीं ऐसा न हो कि उनको इटली भाग जाना पडे। कहीं पर बोफोर्स कांड हो रहा है तो कहीं पर दूसरा कोई कांड हो रहा है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि हरियाणा में एक कोच फैक्टरी लगाने की प्लानिंग कमीशन ने अपनी स्वीकृति दे दी थी लेकिन राजीव गांधी ने अपनी जान की रक्षा के लिए हरियाणा के हकूकों को खत्म कर दिया। जिस कोच फैक्टरी के अन्दर 20 हजार बेरोजगारों को काम मिलना था उसको हरियाणा से निकाल कर पंजाब में ले गए। हमें यह आपत्ति नही कि पंजाब में कोच फैक्टरी क्यों लगाई गई? वहां चाहैं केन्द्र सरकार 100 कारखाने लगाये हमें कोई एतराज नही है। हम तो यही चाहते हैं कि हरियाणा को कोच फैक्टरी का हक मिलना चाहिए था। उनको दूसरी फैक्टरी क्यों नहीं दी गई? हम चाहते हैं कि जो कोच

फैक्टरी हरियाणा के लिए स्वीकृत हुई थी, उसे उसी जगह पर उसी कैपेसिटी में लगाया जाये। इसके साथ–साथ मैं एक बात अपने एक साथी कामरेड माई की कहना चाहता हुं 1 शायद वे सी० पी० (एम०) से तालुल्क रखते हैं। उन्होंने वाक आउट किया। लेकिन मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने इण्डस्ट्रियल मजदूरो की सवा छः सौ रुपये महीना मजदूरी फिक्स की है जबकि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इण्डस्ट्रियल मजदूरों की मजदूरी 600 रुपया महीना फिक्स की है। वहां उनकी सी० पी० (एम०) की सरकार है। जितनी उदारता किसी के प्रति चौधरी देवी लाल जी के मन में है, उतनी उदारता किसी के मन में नही है। शायद हमारे कामरेड भाई हरपाल सिंह जी ने अखबार की सुर्खियों में अपना नाम लाने के लिए वाक आउट किया हो। मैं फिर कहता हूं कि जितनी हमदर्दी चौधरी देवी लाल जी के मन में गरीबों केप्रति, मजदूरों केप्रति या किसी और जाति केप्रति है, उतनी उदारता किसी के मन में नहीं है। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए एक दो बात और कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि हरियाणा के अन्दर ला एण्ड आर्डर की पोजीशन हमारे कांग्रेस के भाईयों ने खराब करने की कोशिश की। मैं यहां सदन में उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके चौम्बर में तो उनके नाम बता सकता हूं लेकिन यहां नहीं बताना चाहता हूं। उन द्वारा कोशिश की गई कि हरियाणा में ला एण्ड आर्डर की पोजीशन को खराब किया जाए। हरियाणा के अन्दर जितने भी

कांड हुए उनके दोषी या तो पकड़ लिये गये या गोली से उड़ा दिये गये। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि चौधरी देवी लाल की सरकार के रहते पूरे प्रान्त में पूरा अमन और शान्ति है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें रह गई हैं जिनको समय की कमी के कारण मैं कह नही पाया। फिर कहने की कोशिश करूंगा जब समय मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो बोलने के लिए समय दिया, उस के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

12.00 बजे।

श्री उपाध्यक्षः अब मास्टर शिव प्रसाद, एम० एल० ए० मोशन को सैकिण्ड करेंगे।

श्री शिव प्रशाद (अम्बाला शहर): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभि भाषण के लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव डाक्टर महा सिंह जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने कैं लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 1987 के चुनाव से पहले केन्द्र की सरकार ने यह सोचा कि हरियाणा में तो अपनी ही सरकार है। यहां के मुख्य मन्त्री चौधरी भजन लाल थे। केन्द्र ने पंजाब के लोगों को खुश करने के लिए एक समझौता किया। उस समझौते में जिसको ''राजीव लौंगोवाल समझौता'' कहा जाता है, हरियाणा के लोगों के हितों को बिल्कुल समाप्त करके रख दिया। इतना ही नहीं चण्डीगढ़ पंजाब को देने की तिथि निश्चित कर दी गई,

हरियाणा को उसके बदले में क्या मिलेगा, इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई। उसका फैसला करने के लिए इन लोगों ने एक कमीशन बिठाया। यह अजीब सिलसिला इन्होंने पंजाब के लोगों को खुश करने के लिए शुरू किया। हरियाणा में जो रेल कोच फैक्टरी बनने जा रही थी, जो हरियाणा को देय थी, वह पहले हमारे यहां अम्बाला में लगने वाली थी। आज के राजस्व मन्त्री श्री सूरज भान जी उसको अम्बाला में लगाने के लिए कोशिश कर रहैं थे। लेकिन फिर वह फैक्टरी अम्बाला की जगह हिसार में लगाने की बात चली। यह कहा गया कि वहां जमीन मुफ्त मिल जाएगी। लेकिन उसे भी हरियाणा की बजाये कपूरथला में लगाने का फरमान हो गया। हरियाणा के माननीय नेता चौधरी देवी लाल और डा० मंगल सैन तथा लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव–गाव जाकर जन–जागरण अभियान का काम अपने हाथ में लिया। हरियाणा के साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ संघर्ष शुरू हो गया ताकि हरियाणा के लोगों के हितों को किसी भी कीमत पर हाथ से न जाने दिया जाए। संघर्ष का बिगुल बजा और रास्ता रोकने के कारण पुलिस की लाठियों और गोलियों से हमारे लोग शहीद हुए। उस समय के नेतृत्व ने संघर्ष को अंतिम सीमा तक पहुंचाया और उसमें कामयाब हुए। एक देखने की बात है जो मैं आगे चल कर कहना चाहूंगा। ये लोग चुनाव से पहले वायदे करते रहैं हैं कि अगर सरकार हमारे हाथ में आई तो हम यह कर देंगे वह कर देंगे। आम तौर पर चुनाव से पहले जो सरकार होती है या जो दूसरी पार्टियां होती हैं, वे

जनता से वायदे करती हैं लेकिन बाद में उन वायदों को पूरा नही करते हैं। लेकिन हमारे यहां चुनावों से पहले संघर्ष समिति के नेताओं ने जनता से वायदे किये और लोगों ने उन पर यकीन करके भारी बहुमत हमारे नेताओं को दिया। हमारे सामने हरियाणा के चुनाव हुए। चुनाव से पहले कांग्रेस ने हरियाणा के मुख्य मंत्री को बदल दिया जो कि अपने आप को बड़े फन्ने खां समझते थे। उनकी जगह चौधरी बंसी लाल को ले आए। चौधरी बंसी लाल के नेतृत्व में यहां सदन में केवल पांच लोग ही कांग्रेस के पहुंच पाए। इतना ही नहीं हरियाणा के कांग्रेसी मुख्य मन्त्री अपने ही तोशाम हल्के से एक नौजवान के हाथों से हार गये। हरियाणा की जनता ने किस प्रकार से हमारे लोगों का साथ दिया, वह हम भूल नहीं सकते। जैसे ही यह सरकार हमारे नेताओं के हाथ में आई, चुनावों के दौरान उन्होंने जो वायदे किये थे, वे उन्होंने पूरे किये हैं। हमारे नेताओं ने जनता से कहा था कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम लोगों के कर्जे माफ करेंगे, गरीब माता–पिता के बच्चे जो इन्टरव्यू देने के लिए जाते हैं, उनका किराया माफ करेंगे। इसी तरह से पहले पेड़ों को बेचने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने चुनाव से पहले इस बारे मे वायदा किया था उसे भी पूरा कर दिया। जो जमींदारों के सफेदे के या दूसरे पेडू सड्कों के साथ–साथ लगे हुए थे, उनमे से अब जमींदारों को हिस्सा मिलता है। बुढ़ापे की पैशन की चर्चा हर बार सैशन में होती है, यह चर्चा इसलिए होती है कि सारे देश में किसी भी प्रदेश की सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है, केवल

हरियाणा की सरकार ने किया है। चुनाव से पहले यह कहा जाता था कि केवल लोगों से वोट लेने के लिए बरगलाया जा रहा है। अपोजीशन के भाई यह कहते थे कि कभी ऐसा भी हो ता है कि लोगों का कर्जा माफ कर दिया जाये और 65 साल तक के लोगों को पैशन दे दी जाये। लेकिन ज्यों ही चौधरी देवी लाल के हाथ में सरकार आयी उन्होंने चुनाव जीतने से पहले जो भी वायदे किये थे, वे पूरे किये। सन 1967 से लेकर इस सरकार के आने तक नगरपालिका के चुनाव नही हुए थे। किसी नगरपालिका को सन् 1967 में भंग कर दिया, किसी को सन 1970 में भंग कर दिया लेकिन इस सरकार ने चुनाव जीतने से पहले वायदा किया था कि अढ़ाई तीन महीने में नगरपालिकाओं के चुनाव हो जायेंगे। इस सरकार ने जो वायदा किया था वह पूरा किया। 75– 76 दिन के अन्दर ही नगरपालिकाओं के चुनाव करा दिये और लोगों के हाथों में नगरपालिकाओं का प्रबन्ध सौंप दिया यानी जन–प्रतिनिधियों को सौंप दिया। यहएक उदाहरण है कि इस सरकार ने दो–अढ़ाई महीने में ही अपने वायदे को पूरा किया। इसके आगे डा० महा सिंह ने कहा कि यहां प्रशासनिक मामले में भी सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं समझता हूं इस बात के लिए हरियाणा सरकार और पुलिस बधाई के पात्र हैं। आतंकवादियों ने इस प्रदेश में इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की कि हरियाणा में भी अशान्ति पैदा हो जिस तरह से पंजाब में गैर–केसधारियो के साथ हो रहा है। वे चाहते थे कि हरियाणा में भी वही हालात पैदा करदें जो पंजाब में आतकवातियो ने पैदा कर रखे हैं लेकिन यहां

की जनता ने या नेताओं ने दूरदर्शिता से और पुलिस के सहयोग से सारा मामला कन्ट्रोल में रखा। जितने भी आतंकवाद के मामले हुए हैं उन में आतंकवादियों को या तो समाप्त कर दिया या उन्हैं पकड़ लिया। हमारी सरकार ने आश्रय देने वालों को भी पकड़ लिया। दस आतंकवादियों को मार दिया और सौ से अधिक आश्रय देने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ–साथ सरकार ने यह भी प्रबन्ध किया है कि भविष्य में भी आतंकवादियों का गठन न हो और उन्हैं कोई ऐसा अवसर न मिले जो वे ऐसा दृश्य पैदा कर सकें जिससे जनता में भय पैदा हो। ऐसी बातों के लिए विशेष जांच पड़ताल की दृष्टि से कुछ दल भी बनाये हैं ताकि इस बारे में वे सारी जानकारी ले सके। इस वर्ष के दौरान छः नई कमाण्डो कम्पनियां और बढ़ा दी गई हैं और यह भी सोचा जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार से बाचचीत करके पुलिस को नये हथियारों से लैस किया जाये ताकि वे आतंकवादियों का मुकाबला कर सके।

एक देखने की बात यह भी है कि जब से चौधरी देवी लाल की सरकार आयी है प्राकृतिक प्रकोप भी हुआ है। सरकार आते ही यहां पर सूखा पडा। ऐसे हालात खराब हो गये थे कि यह सरकार टिक नहीं पायेगी। फिर भी इसने पहले तो कर्जे माफ कर दिये फिर बूढ़ों को पैंशन दे दी। पैसा खजाने में न होने के बावजूद भी इस सरकार ने किसी न किसी तरीके से उस का मुकाबला किया है और यह तारीफ योग्य बात है। केन्द्र की सरकार को जितने रुपये का प्रस्ताव हमारी प्रान्तीय सरकार ने भेजा था,

उतना नहीं दिया और केवल 32 करोड़ रुपया दिया। फिर भी एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि जिसमें एक भी पशु की सूखे की वजह से मृत्यु हुई हो। सरकारद्वारा भूसा और हर जरूरी चीज जो पहुंचनी चाहिये थी, वह पहुंचायी गयी है। चाहें उसके लिए कहीं से इन्तजाम करना पड़ा है, वह किया गया है। लोगों ने भी चारों तरफ से सूखा राहत कोष में भरपूर योगदान दिया है। इस तरह से सूखे का मुकाबला किया गया। फिर सूखे के बाद अगर बारिश हुई तो इतनी हुई कि कुछ जिलों में तो इसने प्रलय का रूप धारण कर लिया, लोगों के मकान गिर गये। विशेष रूप से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि उन गरीब हरिजनों को जिनके बारिश के कारण मकान गिर गये थे, उनको 400 रुपये और दूसरी जरूरी चीजें जैसे कम्बल आदि देकर सहायता की गयी। उनको 4 प्रतिशत इड्रैस्ट पर मकान बनाने के लिये ऋण भी दिया गया। इसी प्रकार से शहरों के अन्दर भी सहायता की गयी। सूखे और बाढ़ के मामले में जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ, उसका जहां हमारी सरकार ने डटकर मुकाबला किया वहां पर हमारे नेताओं ने भी डटकर मुकाबला किया। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक प्रकोप के बावजूद भी आर्थिक क्षेत्र में बड़ी तेजी से प्रगति हुई है। उसका कारण क्या है? हमारी सरकार ने यह देखा की किसान और जमींदार जो मेहनत करके खेत में अन्न पैदा करना चाहते हैं, उनको सहायता कैसे दी जाये। अगर कहीं पर सूखा पड़ गया या बारिश ज्यादा पड़ गयी तो वहां पर भी सहायता पहुंचाई गयी। कांग्रेस के राज में लोग बिजली के लिये

तरसते थे। हमारी सरकार ने जहां इन प्राकृतिक प्रकोपों का मुकाबला किया, वहां बिजली का प्रबन्ध इतने सुचारू रूप से किया कि लोगों को 21–21 घंटे तक बिजली मिली। आज चाहैं किसान हो, चाहैं उद्योग धंधों में लगा कोई व्यक्ति हो, आप किसी से भी बात कर लो, बिजली के मामले में जब भी हम लोगों से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि चौधरी देवी लाल की लोक दल और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से कम से कम बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। बिजली के कारण लोगों को कोई परेशानी नही है। इस प्रकार की बातें आप लोगों के मुंह से सुन लीजिये। प्राकृतिक प्रकोप आने के बावजूद हरियाणा में आर्थिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। यह बात हमें देखने को मिलती है कि चाहैं शहरों का सवाल हो या देहातों का सवाल हो, चौधरी देवी लाल की सरकार सब के लिये है। चौधरी देवी लाल की सरकार गांव में रहने वाले लोगों के लिये ही नहीं है। चाहैं कोई गांव में रहने वाला हरिजन भाई है, सड़क पर काम करने वाला गरीब मजदूर है या शहर में रहने वाला दुकानदार है या कोई दूसरा शहरी व्यक्ति है, प्रदेश ने चारों ओर विकास किया है। सब को बराबर राहत मिलनी चाहिये, इस प्रकार का दृष्टिकोण हमारी इस सरकार का है। इसीलिये उसने हर जगह पर रहने वाले को सुविधा प्रदान करने की कोशिश की है। जहां तक सेल्ज टैक्स का सम्बन्ध है, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कुछ ऐंसे कदम उठाये हैं जिनसे लोगों को राहत मिली है। पहले ही यानी प्रथम स्टेज पर टैक्स लिया गया और कई चीजों पर टैक्स कम किया

गया। मैं समझता हूं कि इससे जहाँ टैक्स की चोरी को रो कने में मदद मिलेगी, वहां प्रदेश में आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिये इस बारे में मेरे एक सुझाव पर सरकार ध्यान दे तो ठीक रहैंगा। बराबर की स्टेट्स में कौन–कौन सी चीज पर क्या–क्या टैक्स लगा हुआ है, हमें यह देखना चाहिये और अगर उसके मुकाबले में हम अपने टैक्स की दर को कम कर दें तो जहां हमारे यहां आमदनी ज्यादा होगी, वहां हमारे यहां उद्योग धंधे भी लगेंगे और टैक्स की चोरी में निश्चित रूप में कमी होगी। मेरा यह सुझाव है कि जिस तरीके से इन्होंने दूसरे कदम उठाये हैं, वे सराहनीय हैं, अगर यह भी कदम उठायेगे तो ज्यादा बढ़िया रहैंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछले दिनो वर्षा अधिक हुई थी तो हमने देखा कि नदी और नालों के किनारे टूट गए और टूटने की वजह से पानी का रुख बदल गया। गांव में बसे हुए लोगों का पानी की वजह से काफी नुकसान हुआ। गांवों में पानी भर गया। इस सरकार ने सिंचाई तथा बिजली के क्षेत्र में तीन सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह पैसा जल मार्गो को पक्का करने के लिए खर्च किया जाएगा। कच्चे मार्ग होने के कारण पानी बेकार चला जाता है। राज्य में अब तक लगभग 42 प्रतिशत जलमार्ग पक्के किए जा चुके हैं और बाकी 58 प्रतिशत जल–मार्गों को पक्का करने का मामला सरकार के विचाराधीन है। चल मार्ग पक्के होने से नहर का पानी उन सभी किसानों, विशेषकर जिनकी

जमीनें नहरों के अन्तिम क्षेत्रों में स्थित हैं, को समान रूप से पानी मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने बागवानी तथा सब्जियों की फसलों को बढ़ाने के लिये विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए एक निदेशालय बनाया गया है। यह सरकार का बहुत अच्छा कदम है। इससे किसानों क्रो काफी लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, पशुओं की देखभाल के लिए वर्ष 1989– 90 के दौरान 40 नई पशु–चिकित्सा डिस्पैसंरियां खोलने और 30 पशु– चिकित्सा डिस्पैसरियों का दर्जा बढ़ाकर पशु अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है ताकि वहां पर पशुओं का ठीक ईलाज हो सके। सरकार ने इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए ध्यान दिया है। इससे किसानों को लाभ होगा क्योंकि अस्पताल न होने के कारण उनके कीमती पशु मर जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप देने तथा मूल्यों को स्थिर रखने के लिए विभिन्न उपाय इस सरकार ने किए हैं। आम लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनको डिपो से आवश्यक चीजें नहीं मिलतीं और वे ब्लैक में बेच दी जाती है। खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से या सरकार की ओर से एक योजना बनाई गई है और शायद गांव के पंचों और सरपंचों को इस बारे में पल भी गए होंगें और शहरों में नगरपालिका के सदस्यों को भी पत्र गए होंगे। गांव में हर डिपो पर पांच लोगों की एक समिति कायम की जाएगी। अगर गांव में तीन डिपो हैं तो अलग–अलग समिति बनाई जाएगी। शहर में एक

वार्ड में पांच लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। उसमें तीन महिलाएं होंगी, एक ऐक्स सर्विसमैन और एक नौजवान होगा। डिपो पर जो चीजें वितरण होने के लिए आती हैं जैसे तेल है, आटा है, गेंहू है और चीनी है, यह कमेटी यह देखेगी कि उनका वितरण ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। डिपो होल्डर ठीक कीमत चार्ज कर रहा हैं अथवा नहीं। कहीं वे चीजें ब्लैक में तो नहीं बेची जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिपो होल्डर कम तोलता हो। ये सारी चीजें यह कमेटी देखेगी। अगर कहीं कमी होगी और कहीं से शिकायत आएगी तो डिपो होल्डर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। छः जिलों के०पर एक शिकायत निवारण फोरम और उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक राज्य आयोग गठित करने का निर्णय किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल इसलिए किया गया है कि लोगों को डिपोज पर चीजें नहीं मिलती। इन बातों का ध्यान रखते हुए महकमे की ओर से ऐसी योजना बनाई गई है ताकि करप्शन न हो और जनता को डिपोज पर ठीक चीजें मिल सकें। सरकार ने यह व्यवस्था की है कि किसी भी उपभोक्ता को आवश्यक चीजें प्राप्त करने के लिए दो किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े। मुझे पूरा भरोसा है कि स्कीम पर निश्चित रूप से ऐक्शन भी होगा। जमाखोरी तथा चोर बाजारी रोकने के लिए व्यापारियों के लेखों, भण्डारों तथा गोदामों की नियमित रूप से जांच की गई, उनको चौक किया गया और उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए गए ताकि बेईमानी और करप्शन को दूर किया जा सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, वास्तव में इस अभिभाषण में गर्वनर महोदय ने सरकार के हर प्वायंट को, जिसको ध्यान में रखकर सरकार चल रही है, सरकार के हर प्रकार के विकास के कार्य को दर्शाया है। सभी बातों का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में व खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में हमारी यह मौजूदा सरकार बहुत ध्यान दे रही है। सरकार दिलचस्पी ले रही है कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में गांव–गांव और शहर–शहर में गरीब बच्चों, अनुसूचित जाति के लोगों, पिछड़े लोगों और खासकर कमजोर बच्चों की सुविधाओं की ओर खास ध्यान दिया जाए। गरीब बच्चों को वजीफे, पुस्तकों का अनुदान इस लिये दिया जा रहा है ताकि वे गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाएं। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जिस मुद्दे पर सन् 1977 से यहां हाउस में बोलता आ रहा हूं वह इस सरकार ने कर दिखाया है, जिसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है। डिप्टी स्पीकर साहब, शिक्षा ही एक ऐसा आधार है जोकि इस देश को मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है। मैं एक अध्यापक होने के नाते शुरू से ही इस बात पर जोर देता आया हूं कि सरकार को प्राइमरी शिक्षा की ओर खास ध्यान देना चाहिये, वह काम इस सरकार ने अब कर दिखाया है। मैं आरम्भ से ही यह कहता आया हूँकि प्राईमरी शिक्षा को हायर ऐजुकेशन से अलग रखा जाए ताकि प्राईमरी शिक्षा की ओर सरकार का खास ध्यान रहैं। पहले क्या था कि हायर ऐजूकेशन के मसले को तो सरकार ने अलग कर दिया लेकिन प्राईमरी और हाई स्कूल्ज के

डायरैक्टोरेट्स को इक्ट्ठा रखा। इससे ऐसा होता था कि हाई स्कूल्ज की हर सहूलियत की ओर सरकार का ध्यान रहता था कि पुस्तकें चाहियें, टाट समय पर पहुंचने चाहियें बिल्डिंग्ज ठीक होनी चाहिये लेकिन प्राईमरी स्कूल्ज की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं था। अब इस मौजूदा सरकार ने प्राईमरी ऐजुकेशन के लिये जो अलग डायरैक्टोरेट की स्थापना की है उससे प्राईमरी शिक्षा को काफी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिये हम अपनी इस सरकार को बधाई देते हैं। यह एक बड़ा ही सराहनीय कदम है। अभी–अभी बहन सुषमा जी ने बताया कि लड़कों की व लड़कियों की शिक्षा की ओर सरकार ने काफी ध्यान दिया है। पिछले सैशन में भी इस बारे में जिक्र आया था कि लड़कों के स्कूलों के लिये अगर लोग एक लाख रुपया इकट्ठा करके देंगे तो उनको एक लाख रुपया सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट के तौर पर दिया जाएगा और लड़कियों के मामले में एक लाख के पीछे मैचिंग ग्रांट के तौर पर दो लाख रुपया दिया जाएगा। इससे सरकार की उदारता का परिचय मिलता है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में चाहैं लड़कों से सम्बन्धित हो या लड़कियों से, कितनी उदारता से काम कर रही है। इसी तरह से नये स्कूलों का खोलना, अप–ग्रेडेशन करना यह भी एक बड़ा ही सराहनीय कदम है। यह सब कुछ इस सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये किया है ताकि शिक्षा का स्तरॅंचा उठे, हर वर्ग के बच्चों को इसका लाभ मिले और हमारे प्रदेश की तरक्की हो।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जेलों का जिक्र भी आया। मैं सात–आठ साल जेल में रहा हूं। मेरा सन् 1948 से जेलों के साथ लगाव रहा है। वहां पर जो व्यवस्था थी, वह खराब थी लेकिन चौधरी देवी लाल जी ने अब जेलों में काफी सुधार किया है। इतना ही नहीं कि केवल बाहरी तौर पर ही कुछ किया गया हो, अन्दरूनी तौर पर भी जेलों का सुधार किया गया है। जेलों के अन्दर मनोरंजन के लिये टेलीविजन सैट्स और दूसरे और भी प्रावधान किये गये हैं ताकि जो उम्र कैद काट रहैं भाई या महिलाएं हैं, वे सही मनोरंजन करके अपना समय व्यतीत कर सकें। इसके साथ–साथ आजीवन कैदियों की समय पूर्व रिहाई की नीति को भी उदार बनाया गया है। इस तरह से कैद काट रहैं कैदियों को उनके अच्छे व्यवहार के कारण समय से पहले ही रिहा कर देने की हमारी सरकार की नीति है, जिसकी इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चर्चा की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, पेय जल मुहैया करने की दृष्टि से लोगों को पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। कुछ ऐसे गांव हैं जो समस्या ग्रस्त हैं, जहां पीने के लिए पानी नहीं मिलता। इस वर्ष के दौरान तीन सौ गांवों से अधिक के लिए ऐसी योजना है कि वहां पीने के लिए पानी मिले। ऐसा करना सरकार की जिम्मेदारी भी बनती हैं। हर व्यक्ति को पीने का पानी मुहैया कराना सरकार का कर्तव्य हैं। अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए 1989–90 के वर्ष

के दौरान सरकार चार सौ और गांवों को पीने का पानी देगी। यह बात शहरी इलाकों पर भी लागू होती है। जैसे अम्बाला शहर है जो पानी की समस्या से बहुत देर से उलझा हुआ है। अगर वहां पर पानी की समस्या न होती तो यह हमारा विधान भवन चण्डीगढ़ की बजाए अम्बाला में होता यानि हरियाणा की राजधानी वहां होती। अम्बाला में पानी लाने का मामला बहुत देर से चल रहा है। बंसी लाल और भजन लाल के समय से यह मामला चल रहा है? पिछले चुनाव से पहले बंसी लाल ने यह सोचा कि अम्बाला को पानी देने के लिए अगर बटन मैं दबा दूं तो शायद अम्बाला शहर की सीट कांग्रेस के हाथ में आ जाए। यह योजना 1977 में जनता सरकार के टाइम की थी। इलैक्शन से पहले बंसी लाल ने उस योजना का बटन दबाया लेकिन वहां की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह तो जनता सरकार की योजना थी, आप द्वारा बटन दबाने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं वहां पर पानी देने में और तेजी से काम किया जाए ताकि वहां पर लोगों को जितनी माता में पानी चाहिए, वह मिल सके। पिछली' गर्मियों में वहां पर पानी की दिक्कत आई थी और अगली गर्मियों में शायद और ज्यादा दिक्कत आए। इसलिए शहरों में भी पेय जल का पूरा प्रबन्ध किया जाए। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ध्यान दे नहीं रही है बल्कि यह कहता हूं कि और ज्यादा ध्यान दे। शहरों में जहां सड्कों का सवाल है, मैं उस ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज शहरों में सड्कों की हालत बहुत खराब है। सरकार ने इनके लिए कुछ पैसा दिया भी है लेकिन वह कम है।

मैं चाहता हूं कि जैसे मुरथल से करनाल तक सड़क को फोर लेनिंग किया जा रहा है उसी तरह से शहरों के अन्दर भी किया जाए ताकि शहर–शहर नजर आएं। अगर शहरों की सड्कों की हालत ज्यादा खराब हो गई तो सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, अब थोड़े खर्चे में वे सड़कें ठीक हो सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि दाएं बाएं से पैसा निकाल कर उनको ठीक करवाया जाए। पिछले दिनों कांग्रेसियों ने एक प्रचार किया कि मौजूदा सरकार शहर के लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखती है लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझे ध्यान है कि हमारे उप मुख्य मन्त्री पिछले दिनों में अम्बाला में आए। वहां पर उनके सामने मैंने यह बात रखी कि अखबारों में आया है कि सरकार ने पानी की दरें बढ़ा दी पैं और डिवैल्पमैटं चार्जिज बढ़ा दिए हैं। ये बातें जब मुख्य मन्त्री जी के कानों में पहुंची तो उन्होंने कहा कि यह बात वाकई गलत है और उसे रोकने के आदेश देकर लोगों को यह बता दिया कि हमारे ह्रदय में शहर के लोग भी बराबर हैं। इस दृष्टि से में समझता हूं कि हमारी सरकार हरियाणा के सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रख कर डिवैल्पमैंट करती है। हमारी सरकार प्र यत्नशील है कि हरियाणा में रहने वाले प्रत्येक प्रकार के लोगों को राहत दी जा सके। मैं अधिक न कहता हुआ एक बात जरूर कहूंगा कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण पेश हुआ है उसके बारे में डाक्टर साहब ने कहा कि यदि इसके एक– एक प्वायंट को लिया जाए तो बहुत ज्यादा समय चाहिए लेकिन हर माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की सारी बातें जरूर

कहना चाहता है। सरकार ने जिस जिस पहलू में तरक्की की है, लोगों को जो–जो राहत पहुंचाई है और आने वाले समय में क्या–क्या विकास के काम करना चाहती है तथा लोगो को क्या–क्या सहूलियतें देने जा रही है, इन सारी बातों का इस अभिभाषण में जिक्र किया गया है। इन शब्दो के साथ डाक्टर साहब ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यावाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान नेता जप।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

कि गवर्नर साहब को एक ऐड्रैस फौलोइंग टर्मज में प्रेजैट किया जाए–

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 21st February, 1989."

श्री मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, कल सदन में हमारे माननीय राज्यपाल महोदय पधारे थे। जो हमारा कांस्टीच्यूशन है उसके अन्तर्गत प्रदेशों के राज्यपाल जब वर्ष का पहली बार सदन बैठता है तो वहां आ कर सदन को सम्बोधित किया करते है। प्रथा के अनुसार उन्होंने हमारे सदन को सम्बोधित किया। उनका अभिभाषण तो सरकार का नीति वक्तव्य है जिसको उन्होंने पढ़ कर सुनाया। हमारे राज्यपाल महोदय ने हिन्दी क्षेत्र के

निवासी न होने के बावजूद भी चूकि हिन्दी बोलने का प्रयत्न किया इसलिए वे बधाई के पाव हैं। डिप्टी स्पीकर साहव, इस अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की गई है और सरकार किस बारे में चिन्तित है, उसका भी जिकर किया गया है। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ काम तो मारबलस किए हैं। जिसको आयुर्वेद भाषा में असाध्य रोग कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में इनक्योरेबल डिजीज कहते हैं इस सरकार ने ऐसी इनक्योरेबल डिजीज यानी बिजली का भी इलाज कर दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सदन में मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने इस जगह पर बैठे हुए चौधरी बंसी लाल और चौधरी भजन लाल को देखा है और कुछ समय के लिए पंडित भगवत दयाल शर्मा को भी बैठे देखा है। चौधरी देवी लाल जी को दूसरी बार बैठा हुआ देख रहा हूं। वहां पर बैठने वाले सब हाथ खड़े कर देते थे और कहते थे कि बिजली की कमी पूरी करना हमारे बस की बात नही है। उस समय किसानो के खेत सूख जाते थे, कारखाने बन्द रहते थे, घरों में विजली नहीं होती थी, लोग त्राहि ताहि करते थे। मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं और खास करके चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी जो हमारे आई. पी. एम. हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग जलाया कि बिजली की समस्या हल कर दी। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि इन दिनों बिजली की कुछ तकलीफ रही है। कुछ मजबूरी होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा इन्हैं कहना चाहूंगा

कि मैं विधान सभा की पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज कमेटी का चेयरमैन हूं। उस कमेटी की मीटिंग्ज में मैंने बिजली बोर्ड को ऐग्जामिन किया है, वह रिपोर्ट मैं बाद में दूगा। मेरी जानकारी के आधार पर थर्मल प्लांटस में कोयला गलत आया और कुछ तेल गलत आया जिसकी वजह से बिजली उत्पादन में कुछ कमी आई। यह कोयला और तेल इसलिए गलत आया क्योंकि कर्मचारी और अधिकारी जो वहां पर हैं वे हमें विरासत में मिले हैं। वे कितने अच्छे है, अगर इस बारे में मैं आपके सामने सारी बातें कहूं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरी मजबूरी है कि मैं उनकी सारी बातें आपके सामने नही कहना चाहता। मेरी आई.पी.एम. चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी के साथ इस बारे में बातें होती रहती हैं। उनको मेरे विचारों का पता है। किन्ही कारणों की वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई वरना सरकार की नीतिया ऐसी हैं कि बिजलीके उत्पादन में गड़बड़ी नही हो सकती। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल को यह चिन्ता रहती थी कि मैं हरियाणा का मुख्य मन्त्री तब तक हूं जब तक प्रधान मन्त्री राजी हैं। इसके लिए चाहैं हरियाणा के खेत धूल उड़ाते रहैं, कारखानें बन्द रहैं तेकिन बिजली रायबरेली क्षेत्र में जाए जो प्रधान मन्त्री का चूनाव क्षेत्र है। उन्होंने हरियाणा के अन्दर बिजली की सप्लाई रोक दी और प्रधान मन्त्री के क्षेत्र रायबरेली में बिजली दी। लेकिन चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग जलाया कि हरियाणा में बिजली की समस्या हल हो गई।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे पड़ौसी प्रदेश पंजाब में आतकवाद कई वर्षों से जोरों पर है। आज के प्रधान मन्की ने इसी बात पर 1984 का चुनाव जीता था कि अगर देश को एक रखना चाहते हैं और देश को अखण्ड देखना चाहते हो तो काग्रेस पार्टी को वोट दो। इस नारे पर लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इतने वोट दिए कि उन्हैं खुद भी नहीं मालूम था किं हमें इतने वोट मिल जाएंगे। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और जब लेता है तो झाड़ू फेर कर लेता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आतकवाद का साया हरियाणा प्रान्त पर भी रहा हैं। मास्टर शिव प्रसाद जी पर आतकवादियों द्वारा कातिलाना हमला हुआ। भगवान की छुपा से वे बच गए और हमारे साथ इस समय हाउस में मौजूद हैं। इसी प्रकार से डाक्टर हरनाम सिंह पर भी जानलेवा हमला हुआ। उस हमले में इन्हैं और इनकी पत्नी को काफी चोटें आई। इनके लड़के की, उस की बहू की तथा एक और रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस हमले के दौरान जो साहस इनकी पत्नी ने दिखाया, वह भी अपने आप में एक मिसाल है। पिछले दिनों यहां पर पेहवा, कैथल, कुरूक्षेत्र और पानीपत में आतकवादियों द्वारा कुछ घटनाएं की गई। इसी प्रकार की एक घटना वे पंचकूला में भी कर गए थे। लेकिन हरियाणा की धरती को भगवान का यह वरदान है कि या तो वे सभी आतकवादी पकड़े गये या मारे गए। डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि आतकवादियों को

पकड़ने के मामले में तो सरकार ने कमाल ही कर दिया। मैं वीरेन्द्र सिंह जी से कहना चाहता हूं कि सिरसा में जो दरियापुर काण्ड हुआ था उस कांड के आतकवादियों को जिन पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया है, उन्हैं पब्लिकली रिवार्ड करना चाहिए।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): उनको रिवार्ड कर दिया है।

श्री मंगल सैन: अगर कर दिया है तो अच्छी बात हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, कई बातें इस अभिभाषण में फरमाई गई हैं लेकिन लोकल बौडीज के बारे में चर्चा विशेष रूप से नहीं की गई। वीरेन्द्र सिंह जी लोकल बौडीज की किसी कमेटी के अध्यक्ष हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सी०ए० की बीमारी लोकल बौडीज पर थोपी हुई है उसे वापिस ले लिया जाना चाहिए। ये लोग काम नहीं करने देते। ये लोग समझते हैं कि हम ही सर्वेसर्वा हैं। अगर इनको रखना ही है तो कहीं दूसरी जगह सिक्किम या नागालैण्ड भेज दें लेकिन यहां की नगरपालिकाओं को इनसे मुक्ति दिला दी जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, यह मैं मानता हूं कि आर्थिक संकट की वजह से हमारी सरकार नगरपालिकाओं को उतना पैसा नहीं दे पाई जितना उन्हैं चाहिए जिससे वे अगना काम ठीक प्रकार से चला सकें। पैसा न होने के कारण अब डिवैल्पमेंट चार्जिज अधिक लिए जा रहैं हैं और चुंगी भी बढाने जा रहैं हैं। पानी के रेट भी बढ़ा दिए हैं। यह मामला मैंने अपने एक साथी के साथ मिल कर सदन के नेता तक पहुंचाया है। उसके लिए अब एक

सब–कमेटी बनाई हुई है। मुझे आशा है कि यह सब–कमेटी बढ़ी हुई दरें वापिस लेगी।

राव साहब मेरी बात पर गौर करेंगे। इन्होंने आर्टिकल पढ़ा होगा ''पंजाब केसरी'' व ''हिन्द समाचार'' का उसमें आदरणीय चौधरी देवी लाल के पांचवें पुत्र का जिक्र था। पढ़ कर मैं भी भौंचक्का रह गया क्योंकि चार का तो हमें पता था। एक ऐक्साईज एण्ड टैक्सेशन औफिसर हैं जिसे अखबार ने चौधरी देवी लाल का पांचवां पुत्र बताया। उन्होंने एक पैट्रोल पम्प के मालिक को अन्दर कर दिया और खामख्वाह एक बवण्डर खड़ा कर दिया। एक बात जो सहज तरीके से सुलटाई जा सकती है, उसे सुलटाएं। इसलिए सक्रीनिंग करके ठीक जगह पर अफसरों को लगाया जाए ताकि वे जनता के लिए परेशानी का कारण न बनें (विघ्न)। मैंने पांचवें पुत्र का नाम तो लिया हीं नहीं, यह जनरल बात है, मैंने तो अखबार का नाम बताया है 1 (विघ्न) मेरे अजीज श्री पुनिया साहब तो बहुत ही सुलझे हुए ब्यूरोक्रेट रहें हैं और अब ये मिनिस्टर हैं। मैं निवेदन करना चाहता है कि हमारे सहकारिता मन्त्री श्री कादयान साहब यहां बैठे नहीं हैं, यदि वे बैठे होते तो बहुत अच्छा होता। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप कहेंगे कि सदन में किसी का नाम न लो। हमारे एक आफिसर हैं जिनकी जेब एक चलता–फिरता सैक्रेटरियेट बना हुआ था। जेव में हाथ डाला और जिसको चाहा अप्वांयटमैंट लैटर थमा दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी यह सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है। अप्वायंटमैंट का

एक 'प्रोसीजर है और उससे हमको अलग नहीं होना चाहिए। एक घटना मैं आदरणीय मुख्य मन्त्री जी के नोटिस में लिखित चिट्ठी के जरिये लाया। एस. एस एस. बोर्ड की परीक्षा एक्साईज इन्सपैक्टरों के लिए रोहतक के सैटर में हुई। पेपर 9.00 बजे शुरू हुआ। 11. 55 बजे एस पी. साहब की जीप से एक सुपुत्र उतरे और सैटर में जाकर कहा कि यह मेरा लिखा हुआ जवाब ले लो। सैटर वालों ने कहा कि तुम तो परीक्षा में थे ही नहीं, तुम्हारा जवाब कैसे ले लें। उसने जवाब दिया कि या तो पेपर ले लो या फिर नतीजा भुगतना होगा। सैटंर वालों ने कहा कि हम नतीजा भुगत लेंगे लेकिन पेपर नहीं लेगे। मैंने यह लिख करदिया है कि वह व्यक्ति कौन हैं और सुपुत्र किस का है। कर्मचारियों की रिक्रूटमैंट में तो कन्फैड ने सारे रिकार्ड ही तोड़ दिये। यह पैसा पब्लिक का पैसा है गरीब मजदूर, किसान का पैसा है। इस पैसे को एक आदमी के व्हीम्ज पर नहीं छोड़ना चाहिए। 650 कर्मचारियों को निकाल दिया। उन कर्मचारियों के छोटे–छोटे बच्चे हैं, उनके बूढे मां–बाप होंगे। डिप्टी स्पीकर साहव यहां पर मंत्री परिषद के लोग बैठे हैं, यह नहीं होना चाहिए था। गरीब की आह नहीं लेनी चाहिए। गरीब की आह बड़े–बड़े सिंहासनों को हिला देती है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कल गवर्नमैंट ऐम्पलाइज आए थे। मैं बता देना चाहता हू कि मुख्य मन्त्री जी ने बड़ी कुशलता से उनके मामले को डील किया। श्री के० वी० सिंह कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिले और उनसे मैमोरैडम ले लिया और इस प्रकार से यह मामला सुलट गया। (विघ्न) कामरेड साहब, पहते ही चले

गये हैं क्योंकि उनका समाधान हो गया शै। उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की बड़ी भारी देन है, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। हमें कर्मचारियों को प्यार से बिठा कर समझाना चाहिए और राहें रास्ते पर लाना चाहिए। अब तो टीचर्ज ने भी हाथ में झण्डा पकड़ लिया है और नारा लगाया है कि '' हमारी मांगें पूरी करो वरना गद्दी छोड़ दो।'' उन लोगों से बैठकर बात की जा सकती है। मैं नहीं समझता कि सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इस बात से इन्कार कर। हमारी सरकार जनता की सरकार है और जनता की हर बात को सुनने के लिए तैयार है। हर डिस्टिक्ट हैडक्वार्टर पर हमारी सरकार ने एस डी एम. साहव को सुबह खुला दरबार लगा कर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए आदेश दिए हुए हैं। मेरा सुझाव है कि सरकारी कर्मचारियों की मांगो पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर के निपटाया जाये। एक बार श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने हाउस मे स्टेटमैंट भी दी थी और उनकी सुविधाओं की घोषणा भी की थी लेकिन फिर पता नही कहां मामला अटक रहा है। यह बात हमारी समझ में नही आती। इनकी बात ठीक हो जाये, इतना ही मेरा निवेदन है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आदरणीय बहिन सुषमा जी के पास महकमा फूड ऐन्ड सप्लाई है। कई बातें इस महकमे के बारे में अखबारों में छपती रहती है। बहिन जी ने बड़ी कुशलता और योग्यता के साथ इस महकमे में काम किया है। श्री महैंन्द्र प्रताप सिंह जी आपकी कांग्रेस के टाईम में सारे देश भर में ऐस' काम

नही किया जो बहिन जी ने किया है। हर डिपो पर पांच सदस्यों की डियूटी लगायी है जिनमें महिलाए भी हैं और निगरानी करने के लिये हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज लगाया है जो कन्जयूमर के राईट को प्रोटैक्ट करेगा। महैंन्द्र प्रताप सिंह जी, आपको इस बात की तारीफ करनी चाहिये थी। असलम खा जी तो कम बोलने में विश्वास रखते है। श्री बलबीर पाल शाह तो हाउस में तशरीफ ही कम लाते हैं और अब तो उनकी जगह पर कांग्रेस प्रेजीडेन्ट के रूप में श्री शमशेर सिंह आ गये हैं 1 (हंसी) डिप्टी स्पीकर साहब, हमने आन्दोलन चलाया। न्याय युद्ध प्रारम्भ किया। वह दो मुद्दों पर सुरू किया था। एक मुद्दा धरती का था और दूसरा पानी का। हम चाहते हैं कि रावी व्यास का पानी हरियाणा में लाने के लिये नहर जने खोदी जाये। मैंने चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी की एक स्टेटमैंट पढ़ी उन्होंने कहा है कि यदि नहर नहीं खुदी तो कहीं फिर आन्दोलन न करना पड़े। वीरेन्द्र सिंह जो हम साथ हैं, आन्दोलन मिल कर करेंगे क्योंकि हमें तो साथ रहना ही है। डिप्टी स्पीकर साहब, सैन्ट्रल गवर्नमैंट की बदनीयती है। आप सब को पता है कि आप पंजाब किस के हाथ में है। पंजाब सैन्ट्रल गवर्नमैंट के हाथ में है। पलवल में आ कर केवल घोषणा करने से प्रधान मंत्री की बात नहीं बनती है। अब फिर उन्होंने कहा है कि एस० वाई० एल० नहर समय पर पूरी कर देंगे लेकिन धीमी गति से बात चल रही है। उन्होंने कहा है कि जून के महीने में पानी बहा देंगे। बड़ी अच्छी बात है लेकिन सैडल गवर्नमैंट का रोल हाइली औब्जैक्शनेबल है। महैंन्द्र प्रताप जी, आपने शायद भारत का

संविधान पडा होगा और नहीं पढ़ा हो तो मेरे पास पड़ा है, आप पढ़ लें। यहां फैड्रल स्ट्रक्चर है। (विघ्न) महैंन्द्र प्रताप सिंह जी, अगर आप हमारी बात मान जाते और वहां से नहीं भागते तो आप आज इधर ही होते। यह फैड्रल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा है। यह कोई बात नही है कि राजीव महोदय कभी सारे डिप्टी कमीशनर्ज को बुला लें और उनसे बातचीत करें। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन तो प्रदेश का मामला है, प्रदेश के हाथ में है। कभी सारे हिन्दुस्तान के पंच और सरपंचों को बुला लेंगे। उन्हैं आज राजीव जी ने कैसे याद किया? इसलिये याद किया कि चुनाव नजदीक हैं। मां तो एक बार मर गई दुबारा मरने से रही। अब पड़ौसी की मां को मां नहीं कह सकते। अपनी मां को ही मां कहैंगे। उस समय लोगों ने हमदर्दी में वोट दे दिये क्योंकि गोली से मरी थी। लोगों ने हमें वोट नहीं दिये, मां तो हमारी भी मर चुकी थी। लोगों ने कहा कि उसकी मां को वोट दो। डिप्टी सीकर साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजीव महोदय ने फैड्रल स्ट्रक्चर की जड़ों पर कुठाराघात किया है। यह ऐसा ऐन्टी नैशनल ऐक्ट है जिसकी जितनी निन्दा की जाये उतनी थोड़ी है। मैं इस फौरम पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। मेरी अपनी मर्यादा है। लोककन्त्र में बड़ी सोच समझ कर बात कहनी चाहिये। हमने हरियाणा में नारा दिया था कि भ्रष्टाचार बन्द बिजली पानी का प्रबन्ध'।

श्री उपाध्यक्षः डाक्टर साहब, आप कितना टाईम और लेंगे? आपको बोलते हुए 20 मिनट तो हो गये हैं।

श्री मंगल सैनः 5 मिनट और ले लूंगा। उसके बाद अगर आप 5 मिनट और दे देंगे तो मैं 5 मिनट और भी ले लूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः ठीक है, 5 मिनट और ले लें।

श्री मंगल सैनः तो डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी ने जो भ्रष्टाचार बन्द की बात कही थी, उस भ्रष्टाचार को बन्द करने के लिये ऐन्टी करप्शन बोर्ड बनाया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, इन कांग्रेसियों का तो शायद कुछ बना नहीं, इसलिये रोज अखबारों में कुछ न कुछ छपवाते रहते हैं। ये भाई यह कहते हैं कि यह बात है और वह बात है। मेरा एक सुझाव है कि इनका यह उलाहना भी खत्म किया जाये। हरियाणा में बूढ़ों को पैन्शन देने की बात करके और कर्जे माफी की बात करके हिन्दुस्तान भर में एक माहौल कायम किया गया है। मैंने कई बार भाई वीरेन्द्र सिंह जी से कहा है कि ओबबड्जमैन का प्रोवीजन भी यहां होना चाहिये। इस बारे में ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्ज रिपोर्ट भी लिखा हुआ है। लोकायुक्त या लोकपाल का प्रोवीजन यहां किया जाना चाहिये ताकि कम से कम अगर किसी को कोई शिकायत हो, वह दरख्वास्त दे दे और इंक्वायरी हो जाये। मैं सरकार से यह भी दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा कानून बनाया जाये कि झूठी दरख्वास्त देने वालों को तो हवालात हो जाये और अगर बात सच्ची हो तो ऐक्शन हो जाए। क्लीन पब्लिक लाईफ का तकाजा है कि हम न

सिर्फ अच्छे दिखने चाहिये बल्कि हर लिहाज से ठीक नजर आने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। एक डिसक्वायटिंग न्यूज मेरी निगाह में है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने पड़ ली है। इस महीऐन के 19 तारीख के टाईम्ज आफ इंडिया में ''रिजैन्टमैंट ओवर लीजिंग आफ माईन्ज हैडिंग से यह खबर छपी है। फरीदाबाद में अनन्गपुर और पाली गांवों की जमीन के बारे में चर्चा है। मैं इसको सदन के पटल पर रखना चाहता हूं ताकि इसको पढ़कर सदन इस बारे में एनलाईटन हो जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डाक्टर साहब, यह अखबार तो सब के पास है। इसको टेबल पर रखने की जरूरत नहीं है।

श्री मंगल सैनः चलो, कोई बात नहीं। एक बात जो पब्लिक माइंड में जाती है, वह यह कि है इस सरकार के बारे में लोगों की बडी अच्छी धारणा है। कांग्रेस के मामले में तो जो मर्जी लोग कह दे, कोई बात नहीं मगर इस सरकार ने 1989 में लोक सभा के चुनाव लड़ने हैं। सारे देश में हरियाणा की चर्चा हो रही है और होती रहैंगी इसलिये मेरा कहना यह है कि मामला साफ हो जाये तो ठीक रहैंगा। मैंने आपकी सेवा में यह भी कहना है कि हमारी फोर्थ एस्टेट०पर बैठी हुई है। जर्नेलिस्ट्स और पत्रकार भी कई बार आन्दोलन के मूड में आ जाते हैं। आखिर बात क्या है? इन्होंने न्याय युद्ध में हमारा साथ दिया है। जो भी इनकी

जायज बात है, वह मान लेनी चाहिये। आखिर, ब्लैकशीप तो हर प्रोफैशन में होते हैं। पोलिटिक्स में भी हैं यानी हम में भी हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रैस में भी ब्लैक शीप हैं। उनका अपना रोल है लेकिन प्रोफेशन एज सच को रिगार्ड देना चाहिये, रिस्पैक्ट देनी चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री और मलि परिषद् के बाकी सदस्य इनकी बड़ी इज्जत करते हैं और इन सब के बड़े अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि आपने मुझे सीमा में बांध दिया है, इसलिये ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने यहां पधार कर बड़ी अच्छी बात की। इन शब्दों के साथ उनके लिये जो धन्यवाद प्रस्ताव हाउस के सामने है, उस का समर्थन करता हुआ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं गवर्नर साहब के ऐड्रैस के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। गर्वनर साहब ने अपने ऐड्रैस में पिछले साल जो फ्लड आए, उनका जिक्र किया है और सरकार ने किस तरह से राहत दी उसका भी जिक्र किया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बाढ के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा में अपने जितने दरिया हैं हम उनका एक कतरा पानी भी इस्तेमाल नहीं करते। कांग्रेसियों ने तो इस बात का ख्याल नहीं किया लेकिन अब किसानों की सरकार आई है और हरियाणा के हितों की रक्षा करने वाली सरकार औई है, तो उसे इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम मार– कंडा और घग्घर का पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल

करें तो इससे बहुत फायदा होगा। हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ जाएगा। बाढ़ से 192 करोड रुपए का नुक्सान आका गया है। अगर इस पानी को इस्तेमाल कर लें, तो वह नुक्सान नहीं होगा। मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, साहबी नदी के पानी को कन्ट्रोल करने के लिए वहां एक प्रोजैक्ट बनाया गया है। उस प्रोजैक्ट पर चालीस करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और अब कहते हैं कि वहां सौ साल में एक बार पानी आएगा। चालीस करोड़ रुपए बरबाद कर दिए और उसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ। जहां से पानी मिल सकता है वहां पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, कोई दस या बारह लाख एकड़ फीट पानी हर साल इन नदियों से बह जाता है। मेरा कहना यह है कि इस. पानी का उपयोग होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं यमुना दरिया के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें जो पानी है उसके दो तिहाई हिस्से पर हमारा कन्ट्रोल है। मतलब यह है कि दो तिहाई हिस्सा हमारा है लेकिन हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर रहैं हैं। इसलिए उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। दादूपुर नलवी नहर हमारी पांच कास्टीच्यूएंसीज थानेसर, मुलाना, शाहबाद, नग्गल और रादौर आदि को पानी देगी और दो लाख एकड़ रकबा इस पानी से सिंचित होगा, वह नहर नहीं बनी है। इस नहर पर 18 करोड़ रुपया खर्च आना है। इस नहर के बन जाने से बहुत फायदे होंगे। इससे न केवल हरियाणा में अनाज की पैदावार बढ़ेगी बल्कि वाटर लैवल०पर आएगा और बिजली की खपत कम होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पर जो सबसिडी अभी देनी पड़ती है, वह नहीं देनी पड़ेगी और करोड़ों रुपए का फायदा होगा। एक फायदा इससे और होगा कि हर साल जो हमारे नौजवान खड्डों में गैस से मर जाते हैं, उनकी जिन्दगी बच जाएगी। जून से अक्तूबर तक ये हादसे होते हैं! सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे नौज– वान हर काम के लिए आज तैयार हैं। वे कहते हैं रजबाहों की निशानदेही कर दी जाए तो हम खुदाई खुद कर देंगे। हम श्रमदान करने के लिए तैयार हैं। इस बारे में मैंने सरदार गुरदयाल सिंह से बात की थी। लोग पानी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वे सरकार के साथ हर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय यमुना में पानी की कमी नहीं है। एक लाख क्यूसिक पानी उसमें रहता है वैसे रिकार्ड सात लाख क्यूसिक का है। पिछले साल जो ड्राउट पड़ा, उस सूखे के समय भी बीस वाईस हजार क्यूसिक पानी उसमें था। हमें उस पानी का प्रयोग करना चाहिए। पश्चिमी यमुना नहर करनाल, सोनीपत, रोहतक और जींद को पानी देती है। वह सब से पुरानी नहर है। इस नहर को ताजेवाला हैड वर्क्स से पानी की सप्लाई होती है। ताजेवाला हैड वर्क्स पुराना हो चुका है और 1978 में भी इसके टूटने का खतरा था और 1978 से अब तक दस साल में यह और भी कमजोर हो चुका होगा। वह किसी भी वक्त टूट सकता है। हमने इसका आल्टरनेटिव हथिनी कुण्ड बैराज अभी तक बनाया नहीं है। अगर ताजेवाला हैड वर्क्स टूट जाए तो बहुत बड़ी बरबादी हो जाएगी। हम वैस्टर्न यमुना कैनाल को पानी भी नहीं दे पाएंगे। इस नहर में

एक बूंद भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी और सोनीपत, करनाल, जींद और रोहतक का लाखों एकड़ का एरिया सूखा रह जाएगा। वहां पर जो हाइड्रो पावर स्टेशन बने हुए हैं, अगर ताजेवाला हैड वर्क्स टूट गया तो ये स्टेशन फेल हो जाएंगे। हमारे बहुत पैसे का नुक्सान हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार या सैन्ट्रल वाटर कमीशन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। हरियाणा सरकार को इनसे बात करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यमुना में इतना पानी है कि अम्बाला और कुरूक्षेत्र को जितना अधिक से अधिक पानी हम दे सकते हैं उतना देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मै एक बात और कहना चाहता हूं। एस० वाई० एल० के बनने की जो रफ्तार है वह चिन्ता का विषय है। इस नहर के बनने की जो तारीख मुकर्रर हुई थी, वह लिगर ओन होती जा रही है। सैन्ट्रल गवर्नमैट और काग्रेसी भाई समय को लिगर ओन करके शायद पार्लियामैन्ट के इलैक्शंज तक ले जाना चाहते हैं और इसका बटन राजीव गांधी से दबवाना चाहते है। इसलिए इसको लेट किया जा रहा है।

13.00 बजे।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, हमारी बिजली की हालत बहुत अच्छी है। कांग्रेस के राज्य से एकदम अच्छी हुई है। इसका श्रेय हरियाणा सरकार, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी और बिजली बोर्ड के इंजीनियर्ज व सभी कर्मचारियो को जाता है। जैसे यहां पर कहा गया कि पिछली कांग्रेस सरकार के

समय में रायबरेली व दिल्ली को बिजली दे देते थे। यह तो तृक पक्ष है लेकिन वास्तविकता यह शै कि हमारे यहां पर बिजली का उत्पादन बढ़ा है। आगे से हमारे राज्य में बिजली की हालत काफी सुधरी है लेकिन जब तक नये थर्मल प्लांट्स नहीं लगाये जाएंगे तब तक हमारा संकट फिर भी बना ही रहैंगा क्योकि बिजली की खपत लगातार वढ रही है। पहले कहते थे कि पौंग डैम में आग लग गयी या मशीनरी वगैरह खराब हो गई इसलिए बिजली कम मिली और इसी वजह से पैदावार भी कम हुई। ऐसी बात नहीं है। इस तरह के कट तो अब भी लगते है। असल बात यह है कि बिजली की खपत बढ़ रही है और प्रोडक्शन बहुत कम है। सरकार का खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि नये थर्मल प्लांटस लगा करके बिजली के उत्पादन को और बढ़ाया जाए। इस तरह की बातें मैंने पिछले सैशन में भी कही थीं लेकिन हमारी बातो के जवाब में यह कह दिया जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। मै यह कहना चाहता हू कि जैसे छरू सात सालों से करनाल की रिफाइनरी बन रही है, उसी रफ्तार से केन्द्र सरकार तो यह चाहैंगी कि यमुनानगर थर्मल प्लांट का काम भी सलो स्पीड से चलता रहैं। उनके पास पैसा नहीं है लेकिन हमें इन बातों की जरूरत है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार इसके लिए केन्द्र सरकार पर पूरा दबाव डाले ताकि समय के अन्दर–अन्दर सभी काम पूरे हो जाएं और हमारी बिजली की जरूरत भी पूरी हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ–साथ मैं एक और बात आपके द्वारा यहां कहना चाहता हूं कि जहां हमारे यहां बिजली की सप्लाई में, चाहैं बढ़िया उत्पादन के कारण, चाहैं बाहर की सप्लाई रोकने के कारण या मैनेजमैन्ट ठीक करने के कारण, बढ़ौतरी हुई है वहां दूसरी ओर बिजली की सप्लाई में एक बड़ा भारी नुक्स भी रह गया है। यह एक प्रकार की बीमारी है जोकि काग्रैंस सरकार वाले हमें दे गये है। इसलिये मेरा निवेदन है कि नये–नये सब– स्टेशन्ज बनाएं जाएं और लम्बी लाईनों की बजाये छोटी लाईनों का अविष्कार किया जाए ताकि लाईन लौसिज कम हों। ट्रांसफारमर्ज भी हमारे पास पूरी तादाद में हों ताकि हमें लो वोल्टेज की कोई समस्या न रहैं। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इस ओर खास तवज्जो दे। दूसरी बात डिप्टी स्पीकर साहब, मैं किसान की जिन्स के बारे में कहना चाहता हूं, जिसकी कीमत तय करना केन्द्र सरकार के हाथ में है। केन्द्र सरकार ने इस मामले में सदा ही किसानों के खिलाफ अपना ऐक्शन किया है। जो भाव बांधे जाते हैं, वह किसानों की कौस्ट आफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखकर नही बांधे जाते है बल्कि व्यापारियों को, सरमायेदारों को फायदा पहुंचाने के लिये उन्हीं की इच्छानुसार बांधे जाते हैं। ऐसा करने की वजह से इस साल बासमती पैदा करने वाले किसानों पर कुल्हाडा मारा गया है, जिसके कारण से किसानों को केवल बासमती में ही 50 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है। एक किल्ले में पाच से आठ क्विंटल तक बासमती की पैदावार होती है जिसका भाव हमारे यहां तो

1500 रुपये पर क्विटल है लेकिन इंटरनैशनल मार्किट में उसी का भाव 2500 रुपये पर क्विटल है। इसी तरह से जौ लेवी का चावल है, पहले उसका भाव छः सात सौ रुपये क्विटल था लेकिन अब उसका भाव तीन सौ से साढ़े तीन सौ रुपये क्विटल कर दिया, जिसकी वजह से किसानो को 50 करोड़ का नुक्सान हुआ। हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ भाव के मामले में जो नीति निकाली उससे केवल सरमायेदारों व व्यापारियों को ही फायदा हुआ न कि किसानो को उसका फायदा हुआ। इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं कि व्यापारी जब किसानों से बासमती खरीदता हए तो वह उसके दाम किसानों को क्वालिटी के हिसाब से देता है लेकिन उसको यह छूट है कि आर० आई० और० पी० आर० 6 क्वालिटी की घटिया बासमती वह आगे उसी फिक्स दाम पर बेच सकता है जोकि किसानों के साथ एक तरह का अन्याय है। इसी तरह से अब मैं गन्ने की कीमत के बारे में यहां बताना चाहता हू कि इस समय गन्ने का भाव सब से ज्यादा हमारे प्रदेश में है। लेकिन हमें जो लैवी चीनी की कीमत मिलती है वह सब से कम है। अगर हमें भी यू०पी० राजस्थान और महाराष्ट्र के बराबर लैवी चीनी की कीमत मिले तो किसानों को गन्ने की कीमत और दी जा सकती है और दूसरे तरक्की के काम किए जा सकते हैं। इसके साथ ही मैं मजदूर फ्रंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इनके सौ साल के लम्बे संघर्ष के दौरान बहुत कानून बने हैं लेकिन हमारे हरियाणा में उन कानूनों पर अमल नहीं होता। जितने मजदूर कारखानों में काम करते हैं, उनकी रजिस्टरों

में हाजरी नहीं लगाई जाती शै, जिसका नतीजा यह होता है कि अगर किसी मजदूर का ऐक्सीडैंट हो जाता है या कोई सवाल उनको नौकरी से निकालने का आ जाता है तो वे मालिक के रहमो करम पर रह जाते हैं। ये कानून अमल में नहीं लाए जा रहैं हैं इसलिए मजदूरों के अन्दर बहुत बड़ी बेचौनी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों का सरकार को बहुत योगदान है। हमें उनके योगदान की आज भी जरूरत है ताकि ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से चल सके। इसलिए उनकी ऐजीटेशन हमारे लिए लाभदायक नही है। हमने उनके साथ चुनावों के समय जो वायदे किए थे, वे पूरे होने चाहिए ताकि उनमें जो बेचौनी पैदा हुई है, वह न रहैं। इलैक्शन के वक्त हमने उनकी जो मांगे मानने के लिए कहा था वह मानी जानी चाहिए। इसके अलावा हम जो ऐड– हाक बेसिज पर वर्कर रखते हैं, उनको 240 दिन से पहले ही निकाल दिया जाता है, जैसे कान्फैड के मुलाजिम निकाले गए हैं। अगर वे लोग हाई कोर्ट में चले गए और स्टे ले आए तो फिर सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मुलाजिम ऐडहाक बेसिज पर नहीं रखे जाने चाहिएं बल्कि पक्के तौर पर रखे जाने चाहिए। अगर कोई टैम्परेरी काम हो उसके लिए तो ऐडहाक बेसिज पर रखे जा सकते हैं। वैसे यह सिस्टम ठीक नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकारी मुलाजिम तो आन्दोलन भी कर लेते हैं और यूनियन भी बना सकते हैं लेकिन पुलिस वालों से मेरा मिलना होता है तो वे कहते हैं कि सरकार दसवी पास को सिपाही भरती करती है और उसे 95/– रुपए

महीना तनखाह देती है। दूसरी तरफ बस कंडक्टर या और कैटैगरीज को देखा जाए तो उनकी तनखाह ज्यादा हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि न तो हम ऐजीटेशन कर सकते हैं और न ही यूनियन बना सकते हैं। तो हमारे साथ यह ज्यादती क्यों हैं? इसलिए उनके बारे में हमें जरुर सोचना चाहिए। इसी तरह से आतंकवाद के खिलाफ हमारी जनता ने और पुलिस ने सरकार के साथ बहुत कोआप्रेट किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आतंकवादियों को पकड़ने मे सरकार की मदद की है या जो लोग उनके साथ ऐनकाउंटर मे मारे गए, उन लोगों को पूरी तरह से सम्मानित करना चाहिए। अगर उनमें कोई कर्मचारी हो तो उसको पदोन्नत करना चाहिए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। हमारे कुरुक्षेत्र जिले में आतंकवादियों के खिलाफ लोगों ने बहुत योगदान दिया। जैसे गुहला के पास मदहैंड़ी गांव में लोगों ने आतंकवादियों को पकड़ लिया था। ऐसे लोगों का साहस बढ़ाना चाहिए ताकि आगे के लिए भी वे होशियारी के साथ उनका मुकाबिला करें। लेकिन साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे कई पुलिस औफिसर्ज ऐसे है, जिनको कारखाने वाले पैसा देते हैं। धारुहैंड़ा की एक बहुत बड़ी शिकायत है। वहां पर ट्रेड यूनियन वाले धरना दे रहैं थे। पुलिस वालों ने उनके कैम्प उखाड़ दिए। हमारी आल इंडिया ट्रेड यूनियन के सैक्रेटरी होमीजा जी वहां पर गए और उन्होंने हमारे होम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी, उन्होंने मुझे भी लिखा कि उनके सामने पुलिस वालों ने जलसा नहीं करने दिया। यह हरियाणा के लिए कोई शोभा की

बात नहीं है। हमारे लिए यह कोई अच्छी बात नहीं है कि आज हम शहरी आजादियों को इस तरह से स्नब करें। लोगों को जो अधिकार हैं, बात करने का जलसा करने का, मीटिंग करने का और ऐजीटेशन करने का, उस पर इस तरह से रोक लगाना गलत है। ऐसे पुलिस औफिसर्ज को बड़ी सख्ती के साथ कर्ब करना चाहिए। इसके अलावा मैं शूगर मिल्ज के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे शूगर मिल बहुत अच्छे चल रहैं हैं। यह बहुत अच्छी बात है। शाहबाद शूगर मिल का सारे हरियाणा में सबसे अच्छा रिजल्ट है लेकिन वहां पर जो जनरल मैनेजर है, अगर वह वहां पर न हो तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा हो सकता है। उस जनरल मैनेजर का रवैया यह है कि पिछले साल उस मिल में मजदूरों का जो लीडर था, उसको उस जनरल मैनेजर ने अपने दफ्तर में बुला कर पीटा और उस पर झूठा इल्जाम लगा करके उसको नौकरी से निकाल दिया। मैंने पिछली बार इस बारे में असैम्बली में सवाल भी दिया था। उस सवाल के बारे में हमारे कोआप्रेशन मिनिस्टर ने जो इन्फर्मेशन दी उसमें उन्होंने यह कहा कि उन्होंने हड़ताल का नोटिस दिया था इसलिये उनको समझाने के लिए अपने औफिस में बुलाया था। जब मैंने इस बारे में सारी इन्कवायरी की तो पता लगा कि उन्होंने हड़ताल का कोई नोटिस नहीं दिया। मैं यह बात सदन में कहता हूं कि उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था लेकिन सदन में गलत इन्फर्मेशन दी गई। मैंने बाद में कोआप्रेशन मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी कि श्रीमान जी आपको उस जनरल मैनेजर ने गलत इन्फर्मेशन दी है लेकिन उसका जवाब मुझे

आज तक नही मिला। वहां का जनरल मैनेजर ऐसी बाते करता है। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि इस साल वहां पर जो चीफ इंजीनियर रखा था। उसको उसने रखने के बाद एक महीने के अन्दर–अन्दर डिसमिस कर दिया। जनरल मैनेजर को चीफ इंजीनियर रखने की क्षमता नहीं है और न ही उसको हटाने की क्षमता है लेकिन उसने अपने आप ही चीफ इंजीनियर रख लिया और अपने आप ही उसको हटा दिया। आजकल वह मिल बगैर चीफ इंजीनियर के चल रही है। जिस मिल में हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ हो और वह बगैर चीफ इंजीनियर के चलेगी तो कल को उसमें कोई भी हादसा हो सकता है और कल को कोई भी बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को उस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए और खास करके कोआप्रेशन मिनिस्टर साहब को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हुं कि हमारे प्रदेश में डिवैल्पमैंट के काम कुछ कम हो रहैं हैं शायद हमारे पास फाइनैंस की कमी है। हमारा अपना कितना पैसा इकट्ठा हुआ है उसकी तस्वीर तो जब बजट आएगा तब हमारे सामने आ जाएगी लेकिन मैं जो अनुभव करता हूं, वह यह है कि दिल्ली की सरकार हमें कुछ भी नहीं देना चाहती और न ही हमें अपने प्रान्त की डिवैल्पमैंट के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। दिल्ली की सरकार यह चाहती है कि हरियाणा में डिवैल्पमैंट के काम न हों ताकि वे पार्लियामैंट के इलैक्शंज में जीत जाए। दिल्ली की सरकार शायद यह समझती है कि वे लोग इस तरह से जीत जाएंगे। हमारे प्रान्त में डिवैल्पमैट

के काम रुके पड़े हैं, अस्पताल नहीं बन रहैं हैं, नए स्कूल नहीं बन रहैं हैं, नए कारखाने लगाने और सड़कें बगैरह बनाने के सभी कामों में रुकावट है। मेरा ख्याल है कि सैट्रेलाइज प्लान के लिए स्टेट की तरफ से जो 7 लाख रुपया दिया गया, वह एक ब्लौक को दिया गया, उसका भी केवल 25 परसैन्ट मिला है और 75 परसैंट पैसा मिलना बाकी रहता है जबकि केवल एक महीना इस साल के बजट का बाकी रह गया है। तो हमारी यह पोजीशन है जिसके बारे में हमें सोचना पडेगा। पैसा कहां से लाएं? हमारी म्यूनिसिपल कमेटियों की हालत बहुत खराब है। वे अपने कर्मचारियों को तन्खाह नहीं दे सकतीं। (इस समय थी अध्यक्ष पदासीन हुए।) हमारे सारे डिवैल्पमैंट के काम रुके हुए हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐन्टी करप्शन बोर्ड के बारे में कोई जिक्र नहीं आया है कि उसकी क्या कारगुजारी है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार करप्शन खत्म करना चाहती है तो उसे लोकपाल नियुक्त करना चाहिए। उसके बगैर बात नहीं बनेगी। सरकार को लोकपाल नियुक्त करना चाहिए ताकि हम सबको मैदान में रख दें जिसकी मर्जी इन्कवायरी कर ले हम सब मैदान में हैं। हमें कोई डर नहीं है। हम शीशे के मकान में नहीं हैं जो शीशे के मकान में होगा वह डरेगा क्योंकि शीशे के मकान पर यदि पत्थर लगेगा तो टूट जाएगा। इसलिए हमें मै दान में खड़े हो करके लोकपाल नियुक्त करन। चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के बारे में हमारा जो नारा था कि बिजली पानी का प्रबन्ध भ्रष्टाचार बंद' उसको अमली रूप दे सकें। वह तभी होगा अगर लोकायुक्त बिल आएगा

और लोकपाल नियुक्त होगा। तभी हम अच्छा काम कर सकेंगे और हमारी शोभा बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं गवर्नर साहब के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस समय चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो लोकप्रिय सरकार है, वह सभी जातियों और सभी के सहयोग से ही सत्ता में आई है। चौधरी देवी लाल तथा यह सरकार सभी जातियों और लोगों के बारे में सोचती है है और चिंतित है। यह सरकार सभी लोगों के कल्याण के लिए योजना बनाती है। इस सरकार ने बहुत सी ऐसी पहल की हैं 1 जो इस देश में पहली बार हुई है और अब जिनका अनुसरण अन्य राज्य भी करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा तबका है जिसकी ओर आज तक किसी ने गौर नहीं किया था यानि ध्यान नहीं दिया था। चौधरी देवी लाल जी की सरकार पहली सरकार है, जिसने उस अपेक्षित तबके के प्रति उचित और जरुरी ध्यान दिया है। वह तबका है बेरोजगारों का। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही इस सरकार ने सत्ता सम्भाली, बेरोजगारों की व्यथा और उनकी त्र को समझा इस ने हरियाणा के बेरोजगारों को इन्टरव्यू पर आने–जाने के लिए निः शुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई। पिछले बजट सत्र के दौरान 24 मार्च 1988 को मेरा एक गैर सरकारी संकल्प स्वीकार

करके हरियाणा विधान सभा ने राजीव गांधी जी को कहा था कि संविधान में संशोधन करके काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाये। राजीव गांधी बेकारी हटाओ का नारा लगाते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि वे इस नारे के प्रति इतने गम्भीर हुँ, तो हरियाणा की सरकार ने हरियाणा विधान सभा में जो प्रस्ताव पास करके उनके पास भेजा हुआ है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मेरा एक तारांकित प्रश्न था और उस प्रश्न के जवाब से शायद सभी मैम्बर संतुष्ट न हुए हों। लेकिन सरकार ने अपने जवाब में सदन को सूचित किया है कि हरियाणा सरकार अपने राज्य के स्नातक बेरोजगारों को 100 रुपया मासिक बेरोजगारी भला भी दे रही है। जैसा मैंने कहा है कि शायद इस जवाब से सभी संतुष्ट न हों लेकिन यह एक बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष महोदय, सैद्धांतिक रूप से सरकार ने माना है कि बेरोजगार लोगों को राष्ट्र निर्माण में जुटाया जाये, उनके जीवन यापन के लिए दो टाईम की रोजी रोटी के लिये उन्हैं कोई न कोई काम. अवश्य दिया जाये। हमारी सरकार ने नवम्बर, 88 में पारिवारिक आय की कुछ सीमा स्नातक बेरोजगारों पर लगा– कर उन्हैं 100 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भला देना आरम्भ किया है। हमारी यह मांग है कि बेरोजगारी भले पर जो खर्च होता है उसे केन्द्र सरकार वहन करे। हमारी यह भी मांग हैं कि केन्द्र सरकार हमारी हरियाणा सरकार के साथ सौतेला व्यवहार न करे। जब यहां पर सूखा पड़ा तो जितनी सहायता हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार से मानी थी, बह नहीं दी गई।

इसी प्रकार जब बाढ़ आई तो उस समय जितनी सहायता की मांग की गई थी, वह भी नहीं दी गई। जितना हम केन्द्र सरकार से मांगते हैं उसके विपरीत हमें बहुत कम सहायता केन्द्र सरकार दे रही है। ऐसे आर्थिक संकट के बावजूद भी हरियाणा सरकार इस बात के लिए बधाई की पाल है कि उसने सिद्धांत रूप. में इस बात को स्वीकार करके बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना आरम्भ तो किया। जैसे ही? आर्थिक हालात सुधरेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की जो सीमा तय की गई है, इस को कम करके और ज्यादा बेरोजगारी को ऐसा भला मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, एक नारा चौधरी देवी लाल जी का 'भ्रष्टाचार बन्द औंर बिजली पानी का प्रबंध' करने का है। बिजली पानी का प्रबंध हरियाणा में हो रहा है इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार बंद का जहां तक सवाल है, चौधरी देवी लाल और यह सरकार इस नारे को कार्यान्वित करने के लिये कृतसंकल्प है, दृ ढ़संकल्प है और सभी विभागों मेँ बोर्डज और कार्पोरेशजं में कोशिशें जारी हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जैसे समुद्र के अन्दर एकाध मछली खराब होती है वेसे ही उज्जवल और स्वच्छ छवि की सरकार में भी एकाध महकमा ऐसा है जहां स्थिति संतोषजनक नहीं हैं। अखबारों में छा रहा है और हरियाणा में आम जुबान पर चर्चा है कि की आप्रेशन डिपार्टमैंट, कोआप्रेशन डिर्पाटमैंट न हो कर करप्ट डिपार्टमैंट हो चुका है। वह सहकारी विभाग नहीं उसको भ्रष्टाचारी विभाग कहा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ अखबारों में छपा उसका खण्डन नही

किया गया, क्या यह मौन स्वीकृति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल की हमेशा यह इच्छा रही है कि सभी जातियों सभी क्षेत्रों को कूदा हिस्सा मिले लेकिन जो कुछ कान्फैड में हो रहा है, वह दरअसल में हम लोगों को उत्तरहीन कर देता है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाला हूं कि रोजगार देने में एक प्रक्रिया होती है। पहले जौब एनलिसिज किया जाना चाहिए। कोआप्रेशन का मतलब वन फार आल एण्ड आल फार वन है। जौब एनलिसिज के बाद मैनेजमैंट से जौब की रिक्वायरमैंट की स्वीकृति ली जाए और उसके बाद ऐम्पालयमैंट ऐक्सचेंज जो सरकार ने खोल रखे हैं, जिनका आधुनिकीकरण हम कम्पयूटर लगा कर करना चाह रहैं हैं, वहां से बेरोजगारों को बुला कर उनमें से योग्य व्यक्तियों के नाम लिये जाएं। फिर प्रक्रिया है साक्षात्कार की और उसके 'बाद ही रोजगार दिया जाए। अन्यथा अखबारों में विज्ञापन दिया जाए और विज्ञापन से योग्यतम बेरोजगारों को बुलावा दिया जाए और उनको रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लात और चौधरी बंसी लाल जैसे कांग्रेसियों के जमाने में जिस तरह से नौकरियां नीलाम की गई जिस तरह से भाई भतीजावाद और सिफारिशबाजी चल रही थी, उससे हरियाणा के बेरोजगारों में निराशा और आक्रोश फैल गया। वे सोचते थे कि यहां नौकरी के लिए योग्यता नहीं चलेगी, सिफारिश चलेगी। चौधरी देवी लाल की सरकार उस रिवायत को तोड़ना चाहती है। जैसे पहले सिफारिश चलती थी, नौकरी के लिए पैसा चाहिए था इससे बेरोजगारों में यह भावना घर कर गई थी कि इस राज के अन्दर अगर नौकरी चाहिए तो

सिफारिश चलेगी योग्यता नहीं चलेगी। अगर यह भावना बेरोजगारो में घर कर जाए तो स्थिति बड़ी विकट हो जाती है विकराल हो जाती है। चौधरी देवी लाल की सरकार से बेरोजगारों को आशा जगी है कि यह सरकार उनकी सुनवाई करेगी और ऐसा हो भी रहा है। कन्फैड में जो सैक्शंड पोस्टें थीं उससे कहीं ज्यादा लोगों को लिया गया और इसके लिए मैनेजमैंट से पहले कोई सैक्शन नहीं ली गई। जैसे कि जिक्र आया है कि एक अधिकारी चलता– फिरता सचिवालय बना हुआ था तथा अप्वायंटमैंट लैटर थमा देता था। अध्यक्ष महोदय, यह अधिकारी कांग्रेस के राज में निलम्बित था। उसको कई लोगों ने गलत तरीके से बहाल करवाया और उसको वही जिम्मेदारी सौंपी गई जिस जिम्मेदारी से उसको सस्पैंड किया गया था। अध्यक्ष महोदय, उसको एक मन्त्री विशेष ने एक के बाद एक चिटें थमाना शुरु कर दिया क्योंकि मन्त्री को यह 'भान नहीं था कि मेरे विभाग में पोस्टों की पोजीशन क्या है, कितनी पोस्टें सैक्शंड हैं और कितनी खाली हैं। मन्त्री ने एक के बाद एक चिट अधिकारी को थमाना शुरु कर दिया जिसका नतीजा यह हुआ। अध्यक्ष महोदय, कन्फैड में पोजीशन यह थी कि वहां पर 882 पोस्टें सैक्शंड थीं और 550 के करीब फालतू कर्मचारी वहां पर लगाए हुए थे। जनवरी, 1989 तक उनकी तादाद ' बढ़ कर दो हजार हो गई। अध्यक्ष महोदय, 89 डेज के लिए अप्वायंटमैंट दिया गया और मजाक यह है कि 89 डेज की अप्वायंटमैंट वाले लोगों को 3–3 और 6–6 महीनें के लिए ट्रेनिंग पर भेजा। यह मजाक नही है तो क्या है? अध्यक्ष

महोदय, इररैगुलर अप्वायंटमैंट्स वहां पर हुई हैं। चौधरी देवी लाल की सरकार इतनी बढ़िया है कि सारा देश उसकी ओर देख रहा है। चौधरी देवी लाल बेरोजगारों के मसीहा बन कर उभरे हैं। इस प्रदेश का बेरोजगार कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिये लड़ना चाहता है लेकिन फिर भी इररैगलर अप्वायंटमैंट्स हुई हैं। ये इररैगुलर अप्वायंटमैंट्स तीन जिलों को सौपी गयी हैं। पहले जिला सिरसा है जिसमें 25.3 प्रतिशत अप्यायंटमैंट्स दी गई। रोहतक जिले में 181 यानी 22 प्रतिशत अप्वायंटमैंट्स और हिसार मे 91 यानी 11 प्रतिशत अप्वायंटमैंट्स दी गई। अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिला को दिया जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं, हिसार जिले को दिया जाए, हमें कोई ऐतराज नही, रोहतक जिले को दिया जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं लेकिन यह रोहतक जिला नहीं था। अध्यक्ष महोदय, यह मन्त्री विशेष का गांव था। जिस तरह पहले नौकरियों पर लगाते रहैं हैं यानी नौकरी के लिए क्या योग्यता है, नौकरी के लिए कितनी उम्र चाहिए इस का कही कोई उल्लेख नही था। जेब से कागज निकाला और नाम भर दिया। चौधरी देवी लाल अपने पूरे राजनैतिक जीवन के दौरान अगर संघर्ष करते रहैं तो वे पिछड़े वर्ग के लिए करते रहैं और हरिजनो, महिलाओं और ऐक्स–सर्विसमैन के लिए करते रहैं। जो समाज के पिछड़े हुए तबके है, जो समाज के दलित और शोषित तबके हैं, उनके उत्थान के लिए चौधरी देवी लाल संघर्ष करने रहैं लेकिन अफसोस की बात है कि यह जो इररैगुलर अप्वायंटमैंट्स की गई, उसके अन्दर हरिजनों को,०पर की जो पोजीशन होती है, उसमें

कोई स्थान नहीं दिया गया और बैकवर्ड को भी०पर का कोई स्थान नही दिया गया। इसी प्रकार से ऐक्स–सर्विसमैन बोर महिलाओं को भी कोई स्थान नहीं दिया गया। केवल सैल्जमैन और डेलीवेजिज की कैटेगरीज पर चन्द हरिजनों को लगाया गया। कुल 6 77 परसैन्ट हरिजन लगे। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बेरोजगारों के लिए वह काम कर रही है जो इस प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं हुआ और यह सरकार हर महकमे से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कृतसंकल्प है। चौधरी देवी लाल बेरोजगारों के अन्दर विश्वास पैदा करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं लेकिन कहीं कोई काली भेड है, कहीं कोई कमी है तो हमें सदन में कहना चाहिए कि शड्यूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड क्लास, ऐक्स–सर्विसमैन और महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया। मैं महैंन्द्रगढ़ जिले से आया हूं। महैंन्द्रगढ़ जिले को मैं रिप्रेजैन्ट करता हूं।

Mr. Speaker: Mr. Yadav, you are on your legs for the last 12 minutes.

Shri Raghu Yadav: No, Sir.

Mr. Speaker: I am not telling a lie. Please don't say no. Watch is before me.

Shri Raghu Yadav: Alright, Sir, I would, like to have a few minutes अध्यक्ष महोदय, महैंन्द्रगढ़ जिले के केवल 15 आदमियों को नौकरी मिली, गुड़गांव जिले के भी 15 आदमियों को मिली यानी कुछ जिलों में तो 56 परसैन्ट को मिली और इन दो जिलों में केवल तीन परसैन्ट को मिली। इस तरह से कन्फैड के

अन्दर भ्रष्टाचार मिटाने के नारे की धज्जियां उड़ाई गईं। वहां पर कम्बल खरीदे गये। 55 रुपये वाला कम्बल 185 रुपये में खरीदा गया और जब उसे 110 रुपये में बेचने की बात की गई तो भी वह नहीं बिका। अब 70 रुपये में वह कम्बल जबरदस्ती लैबी शूगर के साथ पेले जा रहैं हैं लेकिन कोई खरीदता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मन्त्री जी के श्री बी० एस० कादयान भतीजे हैं, उनको ऐजुकेशन डिपार्टमैंट से डैपुटेशन पर कन्फैड में लाया गया। वे कुरुक्षेत्र के अन्दर जनरल मैनेजर थे।

Mr. Speaker: Please do not take the name of any person.

श्री रघु यादवः मैं बी० एस० कादयान का नाम वापिस लेता हूं। सैं कहता हूं कि उनके रिश्तेदार को ऐजूकेशन डिपार्टमैंट से डैपुटेशन पर लेकर कुरुक्षेत्र के अन्दर जनरल मैनेजर लगाया। थी अध्यक्ष आप ऐड्रैस पर आये।

श्री रघु यादवः भ्रष्टाचार मिटाना हमारा नारा है। अध्यक्ष महोदय, उन्हैं डेपुऐटेशन पर लिया गया। उनका क्या अनुभव था और उसे क्यों लिया गया? राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। मैं तो यही जानना चाहता हूं कि उन्हैं क्यों लिया गया? अध्यक्ष महोदय, साबुन जो कन्फैड ने खरीदा, उसका नाम तरुण है। तरुण साबुन बाजार में सस्ता मिलता है और कन्फैड की दुकानों पर महंगा मिलता है और उस साबुन का बैर है पानी से। पानी दिखाओ तो वह खत्म हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसी

तरह से कपड़े के अन्दर हुआ। कन्फैड करोड़ों रुपये के घाटे में चला गया। इसी तरह हैफेड है। हैफेड के अन्दर अध्यक्ष महोदय तीस हजार टन गेहूं रेन इफैक्टिड दिखाया गया है लेकिन औक्शन कर दिया 66 हजार टन। 36 हजार टन फालतू औक्शन कर दिया। 280 रुपये से 290 रुपये क्विंटल का गेहूं 206 और 235 रुपये क्विंटल के हिसाब से औक्शन कर दिया। इस तरह लगभग एक करोड़ अस्सी लाख रुपये का फालतू गेहूं गलत तरीके से औक्शन कर दिया। अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल और उनकी लोकप्रिय सरकार ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिये विजिलैन्स सैल को एक्टिव किया हुआ है, एन्टी करप्शन बोर्ड बनाया हुआ है। जगह–जगह छापे मारे जा रहैं हैं, कई जगह भ्रष्टाचार को रोका जा रहा हैं लेकिन one for all and all for one वाली बात है। कोआप्रेटिव जो सरकार का सब से बड़ा अदायरा है, वहां पर अनियमिततायें हैं, वहां पर भ्रष्टाचार है। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी जो होते हैं वे केवल तनखाहयाफता नहीं होते, कर्मचारी नहीं होते। मन्त्री जनता के ट्रस्ट के सिपाही होते हैं। मन्त्री रक्षक होते हैं, मन्त्री जनता के खेत के रक्षक होते हैं।

श्री अध्यक्षः अब आप बैठें। आप कल कटिन्यू करेंगे। अब हाउस कल सुबह 9.39 बजे तक ऐडर्जन किया जाता है।

13.30 बजे

(तत्पश्चात सदन वीरवार, 23 फरवरी, 1989 को प्रातः 9. 30 बजे तक स्थगित हुआ।)